क्रम-संख्या–245

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 12 अगस्त, 2026

श्रावण 21, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग–3

संख्या 1377 / 36-03-2026-1901341
लखनऊ, 12 अगस्त, 2026

अधिसूचना

सा0प0नि0–53

चूँकि मजदूरी संहिता, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2019) की धारा 67 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2026 का प्रारुप सरकारी गजट में, अधिसूचना संख्या 426 / 36-03–2026–1901341 दिनांक 10 मार्च, 2026 द्वारा, उससे सम्भावित रूप से प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों से, उस दिनांक, जिससे उक्त अधिसूचना से युक्त गजट जनसामान्य को उपलब्ध कराया गया था, से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर आपत्तियों और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किया गया था;

और चूँकि, पूर्वोक्त अधिसूचना दिनांक 10 मार्च, 2026 को जनसामान्य को उपलब्ध कराई गयी थी;

और चूँकि व्यक्तियों और हितधारियों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 24 के साथ पठित मजदूरी संहिता, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2019) की धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, और,–

(क) उत्तर प्रदेश मजदूरी भुगतान नियमावली, 1936;

(ख) उत्तर प्रदेश न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1952;

(ग) उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2021

का सिवाय उन बातों का अधिक्रमण करके जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी हो या करने से लोप की गयी हों, राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं; अर्थातः–

उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2026

अध्याय–एक

प्रारम्भ

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली, 2026 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषायें

2–(1) जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,–

(क) "प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 19 की उपधारा (1) तथा धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "अपील प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अपील प्राधिकारी से है;

(ग) "अपील" का तात्पर्य धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन की गई किसी अपील से है;

(घ) "बोर्ड" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा धारा 42 की उपधारा (4) के अधीन गठित राज्य सलाहकार बोर्ड से है;

(ङ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य बोर्ड के अध्यक्ष से है;

(च) "संहिता" का तात्पर्य मजदूरी संहिता, 2019 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2019), से है;

(छ) "समिति" का तात्पर्य धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति से है;

(ज) "दिन" का तात्पर्य मध्य रात्रि से प्रारम्भ होने वाली 24 घंटे की अवधि से है;

(झ) "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" का तात्पर्य संहिता के प्रयोजनों के लिए ई-मेल द्वारा प्रस्तुत की गई या अभिहित पोर्टल या मोबाइल ऐप्लीकेशन या वेब साइट पर अनुरक्षित या प्रदर्शित की गई या किसी भी माध्यम से किया गया डिजिटल भुगतान सम्बंधी किसी सूचना से है;

(ञ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र से हैं;

(ट) ''भौगोलिक क्षेत्र'' का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये;

(ठ) "अत्यधिक कुशल व्यवसाय" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है, जिसमें इसके निष्पादन में विनिर्दिष्ट स्तर की उत्कृष्टता की मांग होती है और एक पर्याप्त अवधि में गहन तकनीकी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण अथवा व्यवहारिक व्यावसायिक अनुभव के माध्यम से अर्जित क्षमता अपेक्षित होती है और साथ ही कर्मचारी से यह अपेक्षा होती है कि वह ऐसे व्यवसाय के निष्पादन में सम्मिलित अपने निर्णय या विनिश्चय के लिए सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करे;

(ड) "निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता" का तात्पर्य धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ढ) "सदस्य" का तात्पर्य बोर्ड के किसी सदस्य से है, जिसमें इसका अध्यक्ष भी सम्मिलित है;

(ण) "सामान्य मजदूरी दर" का तात्पर्य संहिता की धारा 2(म) के अधीन यथापरिभाषित मजदूरी से है;

(त) "अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी से है;

(थ) "रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय संघ से है, जो औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) के अधीन पंजीकृत है;

(द) "धारा" का तात्पर्य, इस संहिता की धारा से है;

(ध) "अर्द्धकुशल व्यवसाय" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है, जिसके निष्पादन में काम पर अनुभव द्वारा प्राप्त कौशल का उपयोग अपेक्षित होता है और कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण अथवा मार्गदर्शन में इसका उपयोग किये जाने लायक होता है और इसमें अकुशल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी सम्मिलित है;

(न) "कुशल व्यवसाय" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है, जिसमें इसके निष्पादन में काम पर अनुभव के द्वारा अथवा तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से कुशलता और सक्षमता अपेक्षित होती है और जिसके निष्पादन में पहल करने तथा निर्णय करने की आवश्यकता होती है;

(प) "अकुशल व्यवसाय" का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है, जिसमें इसके निष्पादन में केवल प्रचालन अनुभव के उपयोग की आवश्यकता होती है और इसमें कोई अतिरिक्त कौशल सम्मिलित नहीं होता है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित किन्तु संहिता में परिभाषित अन्य समस्त शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो संहिता के अधीन उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हों।

अध्याय–दो

न्यूनतम मजदूरी

धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन मजदूरी की प्रति घण्टा तथा प्रति माह दर की गणना की रीति

3–(1) धारा 6 की उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन के आधार पर उन मानदंडों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी जिन्हें राज्य सरकार किसी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा अलग से विनिर्दिष्ट करेगी:

परन्तु यह कि राज्य सरकार इस संहिता के अधीन राज्य सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं करेगी।

(2) जब एक दिन के लिए मजदूरी की दर नियत की जाती है, तब एक घंटे की दर के लिए ऐसी मजदूरी को आठ से भाग और एक महीने की मजदूरी की दर नियत करने के लिए छब्बीस से गुणा किया जायेगा और ऐसे भाग और गुणा में आधे या आधे से अधिक भागफल और गुणनफल को अगले अंक में पूर्णांकित किया जायेगा और आधे से कम भागफल और गुणनफल को नजर–अंदाज किया जायेगा।

(3) यदि कार्य सप्ताह छह दिनों से कम का हो तो इस प्रकार गणना की गई न्यूनतम मजदूरी की प्रति घंटा दर का उपयोग उस दिन की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

धारा 6 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दर नियत किये जाने हेतु मानदण्ड

4–धारा 6 की उपधारा (6) के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए, दैनिक आधार पर न्यूनतम मजदूरी दर नियत की जायेगी, अर्थातः–

(क) मानक श्रमिक वर्ग परिवार, जिसमें कमाने वाले कर्मकार के अलावा उसकी पत्नी या पति और दो बच्चे, सम्मिलित हैं, जो तीन वयस्क उपभोग इकाईयों के समान हैं;

(ख) प्रतिदिन प्रति उपभोग इकाई हेतु निवल 2700 कैलोरी की खपत;

(ग) प्रति मानक श्रमिक वर्ग परिवार के लिए प्रतिवर्ष 66 मीटर कपड़ा;

(घ) आवासीय किराया व्यय, जो भोजन और वस्त्र व्यय का 10 प्रतिशत होगा;

(ङ) ईंधन, बिजली और अन्य विविध मदों के व्यय, जो न्यूनतम मजदूरी की 20 प्रतिशत होगी;

(च) बच्चों की शिक्षा का व्यय, चिकित्सा आवश्यकतायें, मनोरंजन एवं अन्य आकस्मिक मदों पर व्यय, जो न्यूनतम मजदूरी का 25 प्रतिशत होगा।

धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण के मानक तथा दुष्कर कार्य पर विचार किया जाना

5–(1) धारा 6 के अधीन मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करते समय राज्य सरकार निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगीः–

(एक) भौगोलिक क्षेत्र;

(दो) रोजगार के क्षेत्र में अनुभव; और

(तीन) अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल की श्रेणियों के अधीन कार्य करने के लिए अपेक्षित कौशल का स्तरः

परन्तु यह कि राज्य सरकार इस संहिता के अधीन राज्य सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और भत्ते नियत नहीं करेगी।

(2) राज्य सरकार, व्यवसायों के कौशल वर्गीकरण, कार्य की कठिनता, परिसंकटमय व्यवसायों या प्रक्रियाओं और भूमिगत कार्य तथा इसी तरह के अन्य वर्गीकरण के सम्बंध में राज्य सरकार को परामर्श देने के प्रयोजनार्थ एक तकनीकी समिति गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः–

(क) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश – अध्यक्ष;

(ख) निदेशक, सेवायोजन – सदस्य;

(ग) मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन या उनका प्रतिनिधि– सदस्य;

(घ) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश या उनका प्रतिनिधि – सदस्य;

(ड़) कारखाना निदेशक – सदस्य;

(च) अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश (प्रवर्तन) – सदस्य;

(छ) अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश (औद्योगिक सम्बंध) – सदस्य-सचिव;

(ज) राज्य सरकार द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट मजदूरी निर्धारण के दो तकनीकी विशेषज्ञ– सदस्य;

(झ) नियोक्ताओं और कर्मचारियों के दो-दो प्रतिनिधि जो कौशल विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञ हों – सदस्य।

(3) राज्य सरकार, उपनियम (2) में निर्दिष्ट तकनीकी समिति की सलाह पर, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची-क में विनिर्दिष्ट व्यवसायों के सम्बंध में किसी प्रविष्टि को संशोधित, सम्मिलित या लोपित (हटाकर) करके, व्यवसायों के अकुशल, अर्द्ध–कुशल, कुशल और अति–कुशल श्रेणियों में वर्गीकरण के सम्बंध में अनुसूची–क में संशोधन कर सकती है।

(4) उपनियम (2) में निर्दिष्ट तकनीकी समिति, राज्य सरकार को सलाह देते समय, संभव सीमा तक, व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण या राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे या केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यवसायों की पहचान करने के लिये तत्समय बनाए जा रहे अन्य समान ढांचे को ध्यान में रखेगी।

धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन परिवर्ती मंहगाई भत्ते के पुनरीक्षण के लिये समय अन्तराल

6–न्यूनतम मजदूरी पर कर्मचारियों को सदेय परिवर्ती महंगाई भत्ते को पुनरीक्षित करने के लिये निर्वाह भत्ते की लागत और रियायती दर पर आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में रियायत के नकद मूल्य की संगणना, प्रत्येक वर्ष एक बार 1 अप्रैल के पूर्व और तत्पश्चात 1 अक्टूबर के पूर्व श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा औद्योगिक कर्मकारों के लिये प्रकाशित औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार करते हुए की जायेगी।

धारा 8 के प्रयोजनार्थ न्यूनतम वेतन के निर्धारण एवं पुनरीक्षण हेतु समितियों का गठन

7–(1) राज्य सरकार किसी वर्ग के अन्तर्गत प्रथम बार न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने अथवा न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण करने अथवा कौशल वर्गीकरण के सम्बन्ध में जाँच करने तथा राज्य सरकार को सलाह देने के प्रयोजनार्थ एक अथवा एक से अधिक समितियाँ गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः–

(एक)	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष
(दो)	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट अपर श्रमायुक्त	सदस्य
(तीन)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
(चार)	निदेशक, सेवायोजन, उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य

(पाँच)	श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट मजदूरी निर्धारण के क्षेत्र के दो तकनीकी विशेषज्ञ	सदस्य
(छः)	नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट तीन प्रतिनिधि	सदस्य
(सात)	कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट तीन प्रतिनिधि	सदस्य
(आठ)	श्रम आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक उप/सहायक श्रमायुक्त	सदस्य–सचिव

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट समिति, राज्य सरकार को सलाह देते समय यथा सम्भव सीमा तक राज्य व्यवसाय वर्गीकरण अथवा राज्य कौशल अर्हता ढाँचे अथवा व्यवसायों की पहचान करने के लिए तत्समय बनाये गये अन्य समान ढाँचे को ध्यान में रखेगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन गठित समिति की सलाह पर राज्य सरकार इस नियमावली की अनुसूची ''क'' में विनिर्दिष्ट ऐसे प्रचालन के वर्गीकरण में किसी प्रविष्टि में संशोधन, अपमार्जन और परिवर्धन करते हुये कर्मचारियों के व्यवसायों को चार श्रेणियों–अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल तथा अतिकुशल में वर्गीकृत कर सकेगी।

(4) राज्य सरकार धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए जितनी आवश्यक समझे, उतनी संख्या में समितियां गठित कर सकती है।

धारा 10 के परन्तुक के खण्ड (दो) के अधीन परिस्थितियाँ

8–कोई कर्मचारी धारा 10 के अधीन पूर्ण सामान्य कार्यदिवस के लिए मजदूरी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा यदि वहाँ नियोजन के निबंधनों के अनुसार अंशकालिक आधार पर कार्य करने के लिए सहमत हुआ हो या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य श्रम विधि के अधीन ऐसी मजदूरी प्राप्त करने का हकदार न हो।

कार्य के घण्टों की संख्या जो धारा 13 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ एक सामान्य कार्य दिवस का गठन करेंगे

9–(1) कार्य के घण्टों की संख्या जो सामान्य कार्य दिवस का गठन करे, ऐसे कर्मचारी के लिए जिसकी मजदूरी अवधि दैनिक आधार पर है, 8 घंटे होगी और विश्राम का अंतराल उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 37 सन् 2020) के अधीन इस सम्बंध में जारी अधिसूचना के अनुसार होगा।

(2) कार्य के घण्टों की संख्या जो सामान्य कार्य दिवस का गठन करे, ऐसे कर्मचारी के लिए जिसकी मजदूरी अवधि दैनिक आधार के अतिरिक्त है, इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि प्रति सप्ताह कार्य के कुल घंटे 48 घंटे से अधिक न हो।

धारा 13 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ साप्ताहिक विश्राम दिवस का अवधारण और विश्राम दिवस पर लिये गये कार्य के सापेक्ष किये जाने वाला भुगतान

10–(1) इस नियम के उपबंधों के अधीन, किसी कर्मचारी को प्रत्येक सप्ताह एक दिन या एक से अधिक के दिन का, जैसी भी स्थिति हो, विश्राम की अनुमति दी जायेगी (जिसे आगे ''विश्राम दिवस'' कहा गया है), जो छः दिवसीय सप्ताह की स्थिति में सामान्यतः रविवार होगा और छः दिन से कम के कार्य सप्ताह की स्थिति में शनिवार और रविवार सम्मिलित होंगे, तथापि नियोक्ता किसी भी कर्मचारी या कर्मचारियों के वर्ग के लिए सप्ताह के किसी भी अन्य दिन को विश्राम दिवस के रूप में नियत कर सकता है:

परन्तु यह कि, छः दिवसीय कार्य सप्ताह या छः दिन से कम के कार्य सप्ताह में, जैसी भी स्थिति हो, सप्ताह के शेष दिन ऐसे कर्मचारियों के लिए सवेतन विश्राम दिवस होंगे:

परन्तु यह और कि, इस उपनियम के अधीन कोई कर्मचारी विश्राम दिवस का हकदार तब होगा जब उसने उसी नियोक्ता के अधीन छः दिवसीय सप्ताह की स्थिति में अन्यून छः दिन की निरंतर अवधि के लिए कार्य किया हो, और छः दिन से कम के कार्य सप्ताह की स्थिति में, जैसी भी स्थिति हो, कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या की निरंतर अवधि के लिये कार्य किया हो:

परन्तु यह भी कि, कर्मचारी को विश्राम के रूप में नियत दिनों की और विश्राम दिवस में किसी भी आगामी परिवर्तन की सूचना, परिवर्तन प्रभावी होने से पूर्व, नियोजन के स्थान पर किसी सहज दृश्य स्थान पर उस आशय का नोटिस प्रदर्शित करके अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना दी जाएगी।

स्पष्टीकरण– इस उपनियम के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्यून छः दिनों की निरंतर अवधि या सप्ताह में कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या की गणना के प्रयोजन के लिए,–

(क) कोई भी दिन जिस पर किसी कर्मचारी को काम के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे केवल उपस्थिति के लिए भत्ता दिया जाता है और काम प्रदान नहीं किया जाता है;

(ख) कोई भी दिन जिस दिन औद्योगिक सम्बंध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) के अधीन मुआवजे के भुगतान पर किसी कर्मचारी का ले-ऑफ किया गया हो; और

(ग) नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को छः दिनों की अवधि में या सप्ताह के कार्य दिवसों की निर्धारित संख्या के दौरान जैसा भी मामला हो विश्राम दिनों से ठीक पहले को वेतन के साथ या बिना वेतन के दी गई कोई भी छुट्टी या अवकाश, उन दिनों के रूप में माना जाएगा जिन पर कर्मचारी ने काम किया है।

(2) ऐसे किसी भी कर्मचारी से उसके विश्राम के दिन कार्य करने की अपेक्षा नही की जायेगी या उसे कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय इसके कि उसे उस विश्राम दिवस से ठीक पहले या बाद वाले सप्ताह के कार्य दिवसों में से किसी एक दिन उसे उसके बदले में कोई अन्य विश्राम दिवस प्रदान किया गया होः

परन्तु यह कि ऐसा कोई प्रतिस्थापन नहीं किया जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारी को पूर्ण विश्राम दिवस के बिना लगातार दस दिनों से अधिक कार्य करना पड़े।

(3) उपनियम (1) और (2) के अनुसार जहाँ, कोई कर्मचारी विश्राम के दिन कार्य करता है और उसे विश्राम के दिन से पहले या बाद के कार्य दिवसों में से किसी एक दिन प्रतिस्थापित विश्राम दिया जाता है, तो कार्य के साप्ताहिक घंटों की गणना के प्रयोजनार्थ, उस विश्राम दिवस को उसी सप्ताह में सम्मिलित किया जाएगा जिसमें वह प्रतिस्थापित विश्राम का दिन आया है।

(4) किसी कर्मचारी को विश्राम दिवस के लिए अगले पूर्ववर्ती दिन के लिये लागू दर पर आगणित मजदूरी प्रदान की जाएगीः

और जहाँ वह विश्राम दिवस पर कार्य करता है और उसे एक वैकल्पिक विश्राम दिवस दिया गया है तो उसे उस विश्राम दिवस के लिए जिस पर उसने कार्य किया था अतिकाल दर से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा और वैकल्पिक विश्राम दिवस के लिए पूर्ववर्ती कार्यदिवस पर लागू दर से मजदूरी दी जाएगी;

परंतु यह कि छः दिवसीय कार्य सप्ताह के मामले में जहाँ,–

(क) संहिता के अधीन यथा अधिसूचित कर्मचारी की मजदूरी की न्यूनतम दर, मजदूरी की न्यूनतम मासिक दर को छब्बीस से विभाजित करके निकाली गई है; या

(ख) कर्मचारी की वास्तविक दैनिक मजदूरी की दर, मजदूरी की मासिक दर को छब्बीस से विभाजित करके निकाली गई है और ऐसी वास्तविक दैनिक मजदूरी की दर कर्मचारी की अधिसूचित न्यूनतम दैनिक मजदूरी की दर से कम नहीं है, तो विश्राम के दिन के लिए कोई मजदूरी देय नहीं होगी; और

(ग) कर्मचारी विश्राम के दिन कार्य करता है और उसे प्रतिस्थापित विश्राम दिवस दिया गया है, तो उसे केवल उस विश्राम दिवस के लिए जिस पर उसने कार्य किया था, अतिकाल दर पर देय मजदूरी के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा; जो सामान्य मजदूरी दर के दोगुने से कम नहीं होगी;

और, यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है कि क्या इस परन्तुक के उपबंधों के अनुसार दैनिक मजदूरी की दर निकाली गई है, तो श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश या क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले अपर/उप श्रम आयुक्त, इस निमित्त उन्हें दिए गए आवेदन पर, सम्बंधित पक्षकारों को लिखित अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात, उस पर विनिश्चय कर सकता है:

परन्तु यह और कि, मात्रानुपाती दर प्रणाली द्वारा शासित कर्मचारी के मामले में, उसे उस विश्राम दिवस के लिए जिस पर वह कार्य करता है, अतिकाल दर पर मजदूरी दी जाएगी और प्रतिस्थापित विश्राम दिवस के लिए पूर्ववर्ती कार्यदिवस पर लागू दर पर मजदूरी दी जाएगी।

स्पष्टीकरण– इस उपनियम के प्रयोजनार्थ शब्द ''पूर्ववर्ती कार्यदिवस'' का तात्पर्य उस अंतिम दिन से है जिस दिन कर्मचारी ने कार्य किया है, जो विश्राम दिवस या प्रतिस्थापित विश्राम दिवस के पहले, जैसा भी मामला हो, आता है; और जहाँ प्रतिस्थापित विश्राम दिवस, विश्राम दिवस के तुरन्त अगले दिन आता है तब पूर्ववर्ती कार्यदिवस का तात्पर्य वह अंतिम दिन होगा, जिस दिन कर्मचारी ने कार्य किया है, जो विश्राम दिवस के पहले था।

(5) इस नियम के उपबंधों के प्रवृत्त होने से अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल शर्तों, यदि कोई हों, पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जिसमें कोई कर्मचारी किसी अन्य विधि के अधीन अथवा किसी अधिनिर्णय, करार अथवा सेवा संविदा के निबंधनों के अधीन हकदार हो और ऐसी स्थिति में कर्मचारी केवल पूर्वोक्त अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल निबंधनों का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजनार्थ, ''सप्ताह'' का तात्पर्य शनिवार रात्रि की अर्द्धरात्रि से प्रारम्भ होने वाली सात दिनों की अवधि से है।

धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन रात्रि पाली का निर्धारण

11–जहाँ पर कर्मचारी, नियोजन में पाली में काम करता है जो अर्द्धरात्रि के पश्चात् भी चलती है तब:–

(क) नियम 10 के प्रयोजनार्थ पूरे दिवस के लिए विश्राम दिवस का तात्पर्य इस मामले में, उसकी पाली समाप्त होने के समय से प्रारम्भ होकर लगातार चौबीस घण्टे की अवधि से है; और

(ख) ऐसे मामले में अगला दिवस ऐसी पाली के समाप्त होने के समय से प्रारम्भ होकर चौबीस घण्टे की अवधि का होगा, और अर्द्धरात्रि के बाद के घण्टों को, जिसके दौरान ऐसे कर्मचारी ने काम किया है, पूर्व दिवस में गिना जाएगा।

धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन विस्तार और शर्तें

12–धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन कर्मचारियों की कतिपय श्रेणियों के लिए कार्य के घंटों की संख्या नियम 9 में विनिर्दिष्ट सामान्य कार्य घंटों से अधिक हो सकती है:

परन्तु यह कि कर्मचारियों की इन श्रेणियों का अतिकाल धारा 14 के अनुसार होगा।

धारा 14 के अधीन लम्बी मजदूरी अवधि

13–मजदूरी के प्रयोजनार्थ लम्बी मजदूरी की अवधि एक माह से अधिक नहीं होगी।

अध्याय–तीन

मजदूरी का भुगतान

धारा 18 की उपधारा (4) के अधीन कटौतियों की वसूली की रीति

14–धारा 18 की उपधारा (4) के अनुसार जहाँ धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत कुल कटौतियाँ किसी कर्मचारी की मजदूरी के पचास प्रतिशत से अधिक हों, वहाँ अधिक धनराशि को अग्रेनीत किया जाएगा और यथास्थिति उत्तरवर्ती मजदूरी अवधि, में ऐसी किस्तों में वसूल की जाएगी ताकि किसी भी माह में वसूली उस माह में कर्मचारी की मजदूरी की पचास प्रतिशत से अधिक न हो।

धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकारी

15–क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त जिसके पास संबंधित कर्मचारी के कार्य स्थल का अधिकारिता हो, धारा 19 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी होगा।

धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस प्रदर्शित करने की रीति

16—धारा 19 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट नोटिस, उस कार्यस्थल के परिसर में जहाँ नियोजन संचालित होता है, भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हिंदी और अंग्रेजी में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि प्रत्येक संबंधित कर्मचारी नोटिस की सामग्री को आसानी से पढ़ सके और नोटिस की एक प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक द्वारा अड़तालीस घंटे के भीतर निरीक्षक—सह—सुविधाप्रदाता और अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को भेजी जाएगी।

धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन जुर्माना अधिरोपित करने की प्रकिया तथा उपधारा (8) के अधीन अनुरक्षित किये जाने वाली पंजिका का प्रपत्र एवं जुर्माने की धनराशि को व्यय करने की रीति

17—(1) प्रत्येक नियोजक जिसके लिये किसी नियोजित व्यक्ति के कार्यों या लोपों के लिये जुर्माना लगाने हेतु अनुमोदन प्राप्त करना अभीष्ट हो, वह अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त को भेजेगा,—

(क) दो प्रतियों में, ऐसे कार्यों एवं लोपों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती हुयी एक सूची;

(ख) ऐसे मामलों में जहाँ नियोजक जुर्माना अधिरोपित करने हेतु एकमात्र व्यक्ति होने की इच्छा नहीं रखता है, अधिष्ठान में नियुक्त ऐसे व्यक्तियों की सूची जिनके ऊपर वह अधिष्ठान में जुर्माना अधिरोपित करने हेतु निर्भर रह सकता है और अधिष्ठान के वर्ग, जिनके ऊपर ऐसे प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति पर निर्भर रह सकता है, की दो प्रतियों में सूची प्रदर्शित करते हुये प्रेषित करेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, सूची प्राप्त होने के उपरान्त ऐसी जाँच जिसे किया जाना वह अभीष्ट समझे, आदेश पारित कर सकेगा,—

(क) सूची को अनुमोदित न किया जाना;

(ख) सूची को या तो उसके मूल स्वरूप में या उसके द्वारा संशोधित रूप में अनुमोदन किया जाना, इस मामले में, ऐसी सूची को अनुमोदित सूची माना जायेगाः

परन्तु यह कि किसी सूची को अनुमोदित या संशोधित करने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि नियोजक को लिखित में कारण बताने का अवसर न दिया गया हो कि उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी सूची को क्यों अनुमोदित किया जाना चाहिये।

(3) नियोजक ऐसी अनुमोदित सूची की एक प्रति को अधिष्ठान के प्रवेश द्वार तथा नोटिस बोर्ड पर अंग्रेजी तथा उसके हिन्दी अनुवाद सहित प्रदर्शित करेगा।

(4) उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत प्रस्तुत सूची में नामित नियोक्ता या नियुक्त व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

(5) धारा 19 की उपधारा (3) के अनुसार नियोक्ता सम्बंधित कर्मचारी को इलेक्ट्रानिक रूप से या लिखित रूप में सूचना देगा जिसमें कर्मचारी द्वारा किए गए कृत्यों और लोपों का विवरण विनिर्दिष्ट होगा जो सात दिनों के भीतर कारण बताने हेतु एवं जुर्माना अधिरोपित करने का समुचित आधार होगा।

(6) आरोप स्थापित होने पर दोषी कर्मचारी पर जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा।

(7) जहाँ अनुसूचित अवधि के भीतर कर्मचारी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है वहाँ जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा और ऐसे जुर्माना अधिरोपण के दिनांक से 15 दिनों के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जाएगी।

(8) जुर्माना अधिरोपित करने वाला व्यक्ति या नुकसान या हानि के लिये कटौती किये जाने का निर्देश देने वाला व्यक्ति बिना अनावश्यक विलम्ब के नियोजक को समस्त विवरण के साथ अवगत करायेगा और नियोजक ऐसे जुर्माने या कटौती को प्रपत्र-1 में विनिर्दिष्ट रजिस्टर में अनुरक्षित करेगा।

(9) सभी प्रकार की कटौतियों, जुर्मानों तथा वसूलियों के माध्यम से इस प्रकार एकत्रित धनराशि का प्रयोग अधिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों के लिए ऐसी कल्याणकारी योजनाओं या उपबंधों के माध्यम से, लाभकारी प्रयोजनों के लिए लागू की जायेगी जो नियोक्ता द्वारा तैयार की गयी हो श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश अथवा क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले अपर/उप श्रमायुक्त द्वारा अनुमोदित किया गया हो, किया जायेगाः

परन्तु यह कि इस नियमावली की कोई बात नियोक्ता को इन कल्याणकारी उपायों अथवा योजनाओं में उसे किसी धनराशि का अभिदान करने से निवारित नहीं करेगी।

धारा 20 की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन कटौती की रीति एवं कटौती सूचना

18–(1) जब कोई नियोक्ता धारा 20 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन कोई कटौती करने का इच्छुक है तब वह सम्बंधित कर्मचारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या लिखित रूप में सात दिनों की अवधि के भीतर उत्तर देने की अपेक्षा करते हुए ऐसी कटौती करने के अपने आशय के सम्बंध में सूचित करेगा और आरोप स्थापित होने पर धारा 18 की उपधारा (3) के अनुसार कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जाएगी।

यदि सम्बंधित कर्मचारी से सात दिनों के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो नियोक्ता मजदूरी से ऐसी कटौती करेगा और ऐसी कटौती के दिनांक से पन्द्रह दिनों के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जाएगी।

धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन नुकसान अथवा हानि के लिए कटौती की प्रक्रिया एवं उपधारा (3) के अधीन रजिस्टरों में प्रविष्टि

19–कोई नियोक्ता, जो धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन किसी कर्मचारी की मजदूरी से नुकसान या हानि के लिए कटौती करने का इच्छुक हो, तो,–

(एक) कर्मचारी को सात दिनों की अवधि के भीतर सौंपे गए माल की क्षति या हानि के मूल्य के सम्बंध में कारण दर्शाते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देगा;

(दो) आरोप स्थापित होने पर धारा 18 की उपधारा (3) के अनुसार कर्मचारियों की मजदूरी से कटौती की जाएगी;

(तीन) यदि सम्बंधित कर्मचारी से सात दिनों के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो नियोक्ता सम्बंधित कर्मचारी की मजदूरी से ऐसी कटौती करेगा और ऐसी कटौती के दिनांक से पन्द्रह दिनों के भीतर इसकी सूचना कर्मचारी को दी जाएगी।

(चार) नियोक्ता प्रपत्र-एक में यथाविनिर्दिष्ट रजिस्टर में ऐसी कटौती अभिलिखित करेगा।

धारा 23 के अधीन अग्रिम वसूली के सम्बन्ध में शर्तें

20–यथास्थिति हो–

(एक) धारा 23 के खण्ड (ख) के अधीन नियोजन शुरू होने के पश्चात् किसी कर्मचारी को दिए गए धन के अग्रिम; या

(दो) धारा 23 के खण्ड (ग) के अधीन किसी कर्मचारी को पहले से अर्जित न की गई मजदूरी के अग्रिम की वसूली;

यथास्थिति, नियोक्ता द्वारा सम्बंधित कर्मचारी की मजदूरी से नियोक्ता द्वारा अवधारित किश्तों में की जाएगी, ताकि किसी भी मजदूरी अवधि में कोई भी या सभी किश्तें उस मजदूरी अवधि में नियम 14 में विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा के अधीन कर्मचारी की मजदूरी के पचास प्रतिशत से अधिक न हों और ऐसी वसूली के विवरण प्रपत्र-1 में रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित किए जाएंगे।

ऋण की सीमा तथा धारा 24 के अधीन कटौती

21–धारा 18 की उपधारा (2) के खण्ड (छ) के अधीन स्वीकृत ऋण की सीमा तथा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण अथवा अन्य प्रयोजनों के लिए स्वीकृत ऋणों और उनके देय ब्याज की वसूली हेतु ऐसी कटौतियां, ऐसे ऋणों को स्वीकृत करने की सीमा तथा इन पर देय ब्याज दर को विनियमित करने वाले समय-समय पर केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देश अथवा जारी परिपत्र के अध्यधीन होगी।

अध्याय–चार

राज्य सलाहकार बोर्ड

धारा 42 की उपधारा (4) के अधीन राज्य सलाहकार बोर्ड, उसकी समितियों तथा उप–समितियों का गठन

22–(1) धारा 42 की उपधारा (4) के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन करेगी।

(2) बोर्ड, ऐसे व्यक्तियों, जो नियोजक एवं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हों, जैसा कि धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट हैं और ऐसे स्वतन्त्र व्यक्तियों, जैसा कि इस उपधारा के खण्ड (ग) में विहित किया गया है, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये, से मिलकर बनेगा।

(3) धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की संख्या बारह से कम नहीं होगी और इस उपधारा के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों की संख्या भी बारह से कम नही होगी।

(4) धारा 42 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट स्वतंत्र व्यक्तियों, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे, में निम्नलिखित व्यक्ति होंगेः–

(एक) मा0 मंत्री, श्रम एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश सरकार – पदेन अध्यक्ष;

(दो) राज्य विधान मण्डल के दो नाम निर्दिष्ट–सदस्य;

(तीन) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश सरकार;

(चार) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश सरकार;

(पांच) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार;

(छः) मजदूरी एवं श्रम सम्बंधी मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले दो सदस्य।

(5) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य–सचिव होगा।

(6) राज्य सलाहकार बोर्ड, धारा 42 की उपधारा (6) के अनुसार एक या उससे अधिक समितियों या उप–समितियों का गठन कर सकती है। बोर्ड द्वारा गठित की जाने वाली समितियों तथा उप–समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी तथा ऐसा अध्यक्ष, बोर्ड के स्वतन्त्र सदस्यों में से ही एक होगा।

(7) राज्य सरकार बोर्ड के सदस्यों का नामनिर्देशन करते समय इस तथ्य का ध्यान रखेगी कि स्वतन्त्र सदस्यों की संख्या बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या के एक–तिहाई से अधिक न हो तथा बोर्ड के सदस्यों में न्यूनतम एक–तिहाई महिलायें होंगी।

धारा 42 की उपधारा (10) के अधीन बोर्ड, समितियों तथा उप समितियों की बैठक

23–बोर्ड तथा उसके द्वारा गठित समितियों तथा उप-समितियों के अध्यक्ष, यथास्थिति, नियम 22 के उपबन्धों के अध्यधीन किसी भी समय जब वह उचित समझे, बोर्ड की बैठक बुला सकता हैः

परन्तु यह कि न्यूनतम आधे सदस्यों द्वारा लिखित मांग प्राप्त होने पर, अध्यक्ष, ऐसी मांग प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर एक बैठक बुलायेगा।

बोर्ड, समितियों और उप समितियों की बैठकों की नोटिस

24–अध्यक्ष, प्रत्येक बैठक का दिनांक, समय एवं स्थान का निर्धारण करेगा तथा पूर्वोक्त विवरण को सम्मिलित करते हुए बैठक में की जाने वाली कार्यवाही के साथ लिखित नोटिस ऐसी बैठक के नियत दिनाँक से कम से कम 15 दिन पहले, पंजीकृत डाक एवं इलेक्ट्रॉनिक रीति से, प्रत्येक सदस्य को भेजेगाः

परन्तु यह कि, आकस्मिक बैठक के मामले में प्रत्येक सदस्य को केवल 7 दिन का नोटिस भी दिया जा सकता है।

अध्यक्ष के कृत्य

25–अध्यक्ष–

(1) बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेंगेः

परन्तु यह कि किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, ऐसी बैठक की अध्यक्षता हेतु बोर्ड के सदस्यों में से किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेंगे;

(2) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यसूची का निर्धारण करेंगे;

(3) जब बोर्ड की बैठक में, कोई मुद्दा मतदान द्वारा निर्धारित किया जाना है, तो मतदान करायेगा तथा बैठक में गुप्त मतदान की गणना करेगा अथवा करायेगा।

गणपूर्ति

26–किसी बैठक में कोई कार्य नहीं किया जाएगा यदि, न्यूनतम एक तिहाई सदस्य तथा नियोजकों एवं कर्मचारियों का न्यूनतम एक-एक प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होः

परन्तु यह कि यदि किसी बैठक में एक तिहाई सदस्यों से कम सदस्य उपस्थित हों तो अध्यक्ष ऐसी बैठक को अधिकतम सात दिन के लिए स्थगित कर सकता है तथा स्थगन में कार्य का निस्तारण किया जाना विधिमान्य होगा, भले ही गणपूर्ति की कमी में सदस्य बैठक में भाग ले रहे होंः

परन्तु यह और कि ऐसी स्थगित बैठक का दिनांक, समय एवं स्थान सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रीति से या पंजीकृत डाक द्वारा सूचित की जायेगी।

राज्य सलाहकार बोर्ड और राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा गठित समितियों तथा उप समितियों के कार्य का निस्तारण

27–राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उप समितियों के समस्त कार्यों पर विचार, राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उप समितियों की बैठक में किया जायेगा और उस पर विनिश्चय, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के मतों के बहुमत से किया जायेगा और समान मत होने की स्थिति में अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगाः

परन्तु यह कि अध्यक्ष, यदि उचित समझे तो यह निदेश दे सकता है कि किसी मामले का विनिश्चय आवश्यक पत्रजातों के परिचालन द्वारा तथा सदस्यों का लिखित मत प्राप्त करके किया जाएगाः

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन किसी मामले में कोई विनिश्चय नहीं किया जाएगा जब तक कि अन्यून दो–तिहाई सदस्य इसका समर्थन न करें।

मतदान पद्धति

28—राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उप समितियों में मतदान, सामान्यतः हाथ उठाकर किया जाएगा किन्तु यदि कोई सदस्य मतपत्र द्वारा मतदान की मांग करता है अथवा यदि अध्यक्ष ऐसा विनिश्चय करता है तो मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा किया जायेगा और वह इस रीति से किया जायेगा जैसाकि अध्यक्ष विनिश्चित करे।

बैठक की कार्यवाहियाँ

29—(1) राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उप समितियों की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियाँ, जिनमें अन्य बातों के साथ—साथ बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम दर्शाते हुये, यथा सम्भव बैठक के तुरन्त बाद और किसी दशा में अगली बैठक से अन्यून सात दिन पहले, प्रत्येक सदस्य तथा राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेंगी।

(2) राज्य सलाहकार बोर्ड, राज्य सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त समितियों तथा उप समितियों की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों की पुष्टि ऐसे उपान्तरणों, यदि कोई हों, जैसाकि अगली बैठक में आवश्यक समझा जाय, की पुष्टि की जायेगी।

साक्षियों को समन किया जाना और दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना

30—(1) अध्यक्ष किसी व्यक्ति को साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिये समन कर सकता है यदि वह कर्तव्य निर्वहन के प्रक्रम में अपेक्षित समझे, और वह किसी व्यक्ति से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे समन किया जाय और जो बोर्ड के समक्ष साक्षी के रूप में प्रस्तुत हो, किसी सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने वाले साक्षियों के लिये भत्ता संदाय हेतु तत्समय प्रवृत्त मान के अनुसार अपने द्वारा कृत व्ययों हेतु भत्ता का हकदार होगा।

धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन बोर्ड और राज्य सलाहकार बोर्ड की समितियों तथा उपसमितियों के सदस्यों का कार्यकाल

31—(1) यथास्थिति, बोर्ड के किसी नाम निर्दिष्ट सदस्य अथवा किसी समिति या उप समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल, धारा 42 की उपधारा (6) के अधीन यथास्थिति उसकी नियुक्ति अथवा नामनिर्देशन के दिनांक से प्रारम्भ होने वाले सामान्यतः दो वर्ष का होगा।

(2) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए बोर्ड का नाम निर्दिष्ट स्वतंत्र सदस्य, उस सदस्य के शेष कार्यकाल की अवधि तक के लिए पद पर बना रहेगा जिसके स्थान पर वह नामनिर्दिष्ट किया गया हो;

(3) बोर्ड के आधिकारिक सदस्य, तब तक अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक कि उनका स्थान, अन्य आधिकारिक सदस्यों द्वारा न ले लिया जाये;

(4) उपनियम (1), (2) एवं (3) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड के सदस्य, राज्य सरकार के प्रसाद—पर्यन्त अपने पद पर बने रहेंगे।

(5) एक निवर्तमान सदस्य बोर्ड की सदस्यता के लिए पुनर्नामांकन हेतु पात्र होगा, परन्तु यह कि वे अधिकतम दो कार्यकाल के लिए पद धारण करेंगे।

यात्रा भत्ता

32—राज्य सलाहकार बोर्ड, समितियों और उप समितियों के अध्यक्ष और गैर—सरकारी सदस्य, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में की गयी किसी यात्रा के लिए राज्य सरकार के श्रेणी—क के अधिकारी के लिये लागू न्यूनतम दर पर तथा शर्तों के अध्यधीन यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा ठहराव भत्ता आहरित करने के हकदार होंगे।

अधिकारी और कर्मचारी वर्ग

33—राज्य सरकार, बोर्ड के लिये, बोर्ड के सदस्य—सचिव से भिन्न, एक सचिव और बोर्ड की समितियों और उप—समितियों के लिए एक या एक से अधिक सचिवों, जो उत्तर प्रदेश सरकार के उप श्रम आयुक्त से अनिम्न रैंक का हो तथा बोर्ड, समितियों, उप समितियों के लिये अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती है, जैसा कि वह बोर्ड, समितियों और उप—समितियों के संचालन के लिए आवश्यक समझे।

बोर्ड, समितियों और उपसमितियों के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का त्याग-पत्र

34—(1) अध्यक्ष से भिन्न बोर्ड, समितियों और उप समितियों का कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य, अध्यक्ष को लिखित रूप में नोटिस देकर अपनी सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकता है और अध्यक्ष, राज्य सरकार को सम्बोधित पत्र के द्वारा त्याग-पत्र दे सकता है।

(2) कोई त्याग-पत्र, उसकी स्वीकृति की सूचना के दिनांक या त्याग-पत्र के दिनांक, जो भी कम हो, से 30 दिन की समाप्ति पर प्रभावी होगा।

(3) जब बोर्ड की सदस्यता के लिए कोई रिक्ति होती है या होने की संभावना हो तो सदस्य—सचिव, उसकी सूचना तत्काल राज्य सरकार को देगा और तब राज्य सरकार संहिता के उपबंधों के अनुसार रिक्ति को भरने के लिये कदम उठायेगी।

सदस्यता का समापन

35–यदि बोर्ड, समितियों और उपसमितियों का कोई सदस्य, अध्यक्ष को पूर्व सूचना दिये बिना, तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो वह उसका सदस्य रहने से प्रविरत हो जायेगा।

निरर्हता

36–(1) कोई व्यक्ति राज्य सलाहकार बोर्ड का सदस्य होने तथा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिये निरर्ह हो जायेगा–

(एक) यदि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का घोषित कर दिया जाय; अथवा

(दो) यदि वह अनुन्मुक्त दिवालिया हो; अथवा

(तीन) यदि संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् वह नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध में सिद्ध–दोषी हो।

(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या उपनियम(1) के अधीन कोई निरर्हता हुई है, तो इस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

अध्याय–पाँच

असंवितरित बकायों, दावों इत्यादि का भुगतान

धारा 44 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन कर्मचारी की मृत्यु की दशा में नाम–निर्देशितियों को असंवितरित देयों का भुगतान

37–(1)(क) धारा 44 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक कर्मचारी प्रपत्र-12 में एक घोषणा करेगा, जिसमें वह किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु की स्थिति में उसके खाते में जमा धनराशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हुए नामनिर्देशित करेगा, यदि वह राशि संदेय होने से पहले या संदेय होने के पश्चात भुगतान किए जाने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है।

(ख) यदि नामनिर्देशन के समय कर्मचारी का परिवार है, तो नामनिर्देशन पति/पत्नी के पक्ष में या वरीयता के आधार पर पति/पत्नी और उसके बाद उसके परिवार के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में होगाः

परन्तु यह कि परिवार वाले कर्मचारी द्वारा अपने परिवार के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन अविधिमान्य होगाः

परन्तु यह और कि कर्मचारी द्वारा अपने विवाह पर अपने पति/पत्नी के पक्ष में नया नामनिर्देशन किया जाएगा और ऐसे विवाह से पहले किया गया कोई भी नामनिर्देशन अविधिमान्य माना जाएगा।

(ग) जहाँ नामनिर्देशन पूर्णतः या अंशतः किसी नाबालिग के पक्ष में है, वहाँ कर्मचारी अपने परिवार के किसी वयस्क व्यक्ति को नाबालिग नामनिर्देशिती का अभिभावक नियुक्त कर सकता है, या जहाँ परिवार में कोई वयस्क व्यक्ति नहीं है, वहाँ वह अपने विवेक से किसी अन्य व्यक्ति को नाबालिग नामनिर्देशिती का अभिभावक नियुक्त कर सकता है।

(घ) यदि कर्मचारी एक से अधिक सदस्यों को नामनिर्देशित करता है, तो वह नामनिर्देशन में अपने विवेक से प्रत्येक नामनिर्देशिती को संदेय धनराशि या हिस्सा विनिर्दिष्ट करेगा, ताकि उसकी सम्पूर्ण जमापूंजी की धनराशि का भुगतान किया जा सके।

2–जब संहिता के अधीन कर्मचारी को देय कोई राशि उसकी मृत्यु या कर्मचारी का ठिकाना नहीं पता होने के कारण उसको देनी बकाया है तथा इस राशि के कर्मचारी को देय होने के दिनांक से तीन माह की समाप्ति तक कर्मचारी के नामित को यह धनराशि भुगतान नहीं की जा सकी, को नियोक्ता द्वारा यह धनराशि क्षेत्राधिकार रखने वाले अपर/उप श्रमायुक्त के पास जमा की जाएगी जो उसके पास राशि जमा कराने की दिनांक के दो मास के अंदर कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति की पहचान का पता लगाकर उस राशि का वितरण करेगा।

धारा 44 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कर्मचारी की मृत्यु की दशा में असंवितरित देयों को जमा किया जाना

38–(1) जहाँ धारा 44 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी कर्मचारी को संदेय कोई राशि कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशन नहीं करने के कारण या अन्य किसी कारण से असंवितिरित रह जाती है, और कर्मचारी के नामनिर्देशिती को ऐसी राशि संदत्त नही की जा सकती है, तो राशि के संदेय होने के दिनांक से छह माह की समाप्ति के पश्चात् नियोक्ता द्वारा ऐसी संपूर्ण राशि छह माह की उक्त अवधि के अंतिम दिन से पन्द्रह दिन की समाप्ति से पूर्व अधिकारिता वाले अपर/उप श्रमायुक्त के पास जमा की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन जमा की जाने वाली धनराशि नियोक्ता द्वारा ऐसे अपर/उप श्रमायुक्त के पक्ष में बैंक अंतरण या भारत में किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक से प्राप्त डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जाएगी।

(3) जो धनराशि जमा होने के दिनांक से दो माह के भीतर कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात उसे धनराशि संवितरित करेंगे। नामनिर्दिष्ट व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपर/उप श्रमायुक्त राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की सहायता ले सकेंगे।

(4) जहाँ इस संहिता के अधीन किसी कर्मचारी को संदेय कोई धनराशि उसकी मृत्यु के पश्चात या उसके पते का पता न होने के कारण देय है, और वह इस कारण असंवितरित रह जाती है क्योंकि या तो ऐसे कर्मचारी द्वारा कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया है या किसी अन्य कारण से, ऐसी धनराशि संदेय होने के दिनांक से तीन महीने की समाप्ति तक कर्मचारी के नामनिर्देशिती को भुगतान नहीं की जा सकी है, तो ऐसी सभी धनराशियाँ नियोक्ता द्वारा उक्त तीन महीने की अवधि के अंतिम दिन के बाद पंद्रहवें दिन की समाप्ति से पहले, डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार के पास जमा की जाएगी।

धारा 44 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन असंवितरित देयों के निस्तारण की रीति

39–(1) नियम 37 और नियम 38 में निर्दिष्ट धनराशि (जिसे आगे इस नियम में धनराशि कहा गया है), जो अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार के पास जमा की गई है, उनके पास रहेगी और उक्त धनराशि केन्द्रीय या राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में विनिधानित की जाएगी या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में जमा की जाएगी।

(2) अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार, यथाशक्य–शीघ्र धनराशि से सम्बंधित विवरणों, जैसा कि क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त द्वारा पर्याप्त समझा जाय, से अन्तर्विष्ट नोटिस कम से कम पन्द्रह दिनों के लिए सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा और ऐसी सूचना की एक प्रति नियोक्ता को भी हस्तकृत रूप से और इलेक्ट्रॉनिक रीति, दोनों माध्यमों से प्रेषित की जाएगी तथा इसे अधिकतम प्रसार वाले दो स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। यह नोटिस श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक अलग लिंक के माध्यम से भी प्रदर्शित किया जाएगाः

परंतु यह कि स्थानीय समाचार-पत्रों में नोटिस के प्रकाशन का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(3) उपनियम (4) के उपबंधों के अध्यधीन अधिकारिता वाला क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार, यथास्थिति नामनिर्देशिती को या उस व्यक्ति को जिसने ऐसी धनराशि का दावा किया है, धनराशि अवमुक्त करेगा, जिसके पक्ष में ऐसे क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त ने सुनवाई का अवसर देने के पश्चात धनराशि भुगतान किए जाने का विनिश्चय किया है। नामनिर्दिष्ट व्यक्ति अथवा विधिक वारिस की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की सहायता ले सकेंगे।

(4) यदि असंवितरित धनराशि दो वर्ष की अवधि तक के लिए अदावाकृत रहती है, तो अधिकारिता रखने वाला क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार, ब्याज सहित, यदि कोई हो, ऐसी धनराशि को उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 14 सन् 1965) की धारा 3 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि में अंतरित करेगा।

(5) उपनियम (4) के अनुसार उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि में इस प्रकार अंतरित धनराशि, उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1965 (अधिनियम संख्या 14 सन् 1965) और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों द्वारा प्रशासित की जाएगी।

अध्याय– छः

प्रपत्र, रजिस्टर, मजदूरी पर्ची

नियोजन कों द्वारा अनुरक्षित किये जाने वाले रजिस्टर

40–प्रत्येक नियोजक, जिस पर मजदूरी संहिता, 2019 लागू होता है, एक रजिस्टर अनुरक्षित करेगाः–

(एक) उक्त संहिता के अनुसार प्रपत्र–एक में की गयी मजदूरी, अतिकाल, जुर्माना, विभिन्न कटौतियों का विवरण उल्लिखित होगा;

(दो) प्रपत्र–दो में उक्त संहिता की धारा 50 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार होगा;

(तीन) संहिता की धारा 44 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार नामनिर्देशन प्रपत्र, प्रपत्र–बारह में अनुरक्षित किये जायेंगें;

(चार) सभी रजिस्टर भौतिक रूप में अथवा इलेक्ट्रानिक रीति से डिजिटल स्वरूप में अनुरक्षित किये जायेंगे;

(पांच) इन नियमों के अधीन अनुरक्षित किये जाने वाले आवश्यक रजिस्टर को उनमें की गयी अन्तिम प्रविष्टि के दिनांक के बाद पाँच वर्ष की अवधि के लिये संरक्षित किया जायेगा।

इस नियमावली के प्रयोजनार्थ प्रयोग किये जाने वाले विभिन्न प्रपत्र

41–(1) इस नियमावली के साथ संलग्न और नीचे सारणी में उल्लिखित प्रपत्र, इस नियमावली के विभिन्न उपबंधों के लिये प्रयोग किये जायेंगे–

प्रपत्र संख्या	सम्बन्धित नियम	प्रपत्र की विशिष्टियाँ
तीन	नियम 43	धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन एकल आवेदन-पत्र
चार	नियम 44 (1)	प्राधिकार प्रमाण-पत्र
पाँच	नियम 44 (5)(एक)	आवेदन-पत्र के निस्तारण हेतु नोटिस
छः	नियम 44 (6)(एक)	निदेश के आदेश का अभिलेख
सात	नियम 45 (1)	मजदूरी संहिता की धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन अपील
आठ	नियम 45 (3)	मजदूरी संहिता की धारा 49 के अधीन अपील की सुनवाई हेतु प्रत्यर्थी को नियत दिनांक की नोटिस
नौ	नियम 42	मजदूरी पर्ची
दस	नियम 50 (1)	मजदूरी संहिता की धारा 56 की उपधारा (4) के अधीन अपराध के प्रशमन के लिये नियोजक का आवेदन-पत्र
ग्यारह	नियम 50 (2)	मजदूरी संहिता की धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों का प्रशमन करने हेतु प्रशमनकर्ता अधिकारी द्वारा अनिवर्तनकर्ता नियोजक को नोटिस
बारह	नियम 37 (क)	धारा 44 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशन प्रपत्र

(2) धारा 19 की उपधारा (8) के अधीन निर्दिष्ट प्राधिकारी, अधिकारिता रखने वाले क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त होंगें।

(3) इस नियमावली के अधीन अनुरक्षित रजिस्टरों को उनमें की गयी अन्तिम प्रविष्टि के दिनांक के पश्चात पांच वर्ष की अवधि के लिये संरक्षित किया जायेगा।

मजदूरी पर्ची

42–प्रत्येक नियोजक, मजदूरी का संदाय करने या उसके पूर्व, कर्मचारियों को प्रपत्र-नौ में मजदूरी पर्चियाँ, इलेक्ट्रानिक रूप में अथवा भौतिक रूप से जारी करेगा।

अध्याय–सात

दावा आवेदनों और अपीलों के निपटान हेतु प्रक्रिया

दावे के लिये प्राधिकारी के समक्ष आवेदन-पत्र

43–एक ही अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों की किसी भी संख्या या समूह की ओर से या उनके सम्बंध में एक एकल आवेदन जिसमें उनके दावे एक ही मजदूरी अवधि या भेदभाव की किसी घटना से संबंधित है, संहिता के उपबंधों के अधीन उत्पन्न होने वाले दावों को सुनने और अवधारित करने के लिए धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी के समक्ष उक्त प्रपत्र में यथाविनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ प्रपत्र-तीन में भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारा 45 की उपधारा (5) के अधीन दाखिल किया जा सकेगा।

प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये आवेदनों के लिये प्रक्रिया

44–(1) जहां नियम 43 के अधीन कोई आवेदन दाखिल किया जाता है तो प्राधिकारी नियोक्ता को प्रपत्र–पांच में नोटिस इलेक्ट्रॉनिक रूप से या डाक द्वारा नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक को सभी सम्बंधित दस्तावेजों और साक्षियों, यदि कोई हो, के साथ अपने समक्ष उपस्थित होने हेतु भेजेगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट दिनांक की सूचना आवेदक को देगा।

(2) यदि नियोक्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, जिसे सम्यक रूप से और प्रपत्र–चार में प्राधिकृत किया गया हो, विनिर्दिष्ट दिनांक को उपस्थित होने में विफल रहते हैं तो ऐसी दशा में प्राधिकारी आवेदन पर एकपक्षीय सुनवाई कर सकेगा और अवधारण कर सकेगा।

(3) यदि आवेदक अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि पहले से कोई उचित कारण बताए बिना विनिर्दिष्ट दिनांक पर उपस्थित होने में विफल रहता है तो प्राधिकारी ऐसे आवेदन को निरस्त कर सकता है।

(4) प्राधिकारी प्रपत्र छः में आदेश पारित करेगा।

अपील के निस्तारण हेतु प्रक्रिया

45–(1) धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन प्रपत्र–सात में अपीलार्थी द्वारा उल्लिखित दस्तावेजों सहित अधिकारिता वाले अपील प्राधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा अपील कर सकेगाः

परंतु यह कि किसी नियोक्ता द्वारा की गई कोई किसी अपील को तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक अपील करते समय अपीलार्थी अपील प्राधिकारी के पास दावा की गई धनराशि जमा नहीं करता है।

(2) जहाँ धारा 49 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपील पर विचार किया जाता है वहाँ अपील प्राधिकारी प्रतिवादी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या स्पीड पोस्ट द्वारा नोटिस प्रपत्र-आठ में अपने समक्ष नोटिस में विनिर्दिष्ट दिनांक को उपस्थित होने हेतु देगा और इस प्रकार विनिर्दिष्ट दिनांक के सम्बंध में अपीलार्थी को सूचित करेगा।

(3) जहाँ आवेदक या उसका प्रतिनिधि विनिर्दिष्ट दिनांक पर उपस्थित होने में विफल रहता है तो वहाँ प्राधिकारी एकपक्षीय सुनवाई और अवधारण कर सकेगा।

(4) जहाँ आवेदक या उसका प्रतिनिधि विनिर्दिष्ट दिनांक पर उपस्थित होने में विफल रहता है तो वहाँ प्राधिकारी अपील को निरस्त कर सकेगा।

अध्याय–आठ

निरीक्षण एवं निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता

धारा 51 की उपधारा (2) के अधीन निरीक्षण योजना

46–(1) संहिता तथा इस नियमावली के प्रयोजनार्थ, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से संहिता के अधीन आच्छादित अधिष्ठानों के निरीक्षण हेतु एक निरीक्षण योजना लागू की जायेगी।

(2) श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश निरीक्षण योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा तथा इस सन्दर्भ में कोई भी आदेश–निदेश जारी कर सकेगा।

धारा 51 की उपधारा (6) के खण्ड (ड़) के अधीन निरीक्षण–सह–सुविधाप्रदाता की शक्तियाँ

47–धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा–

(क) ऐसे सभी उचित समय पर, ऐसे सहायकों (यदि कोई हो), जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण की सेवा में हों, जैसा वह उचित समझे, के साथ किसी भी ऐसे परिसर अथवा स्थान जहां कर्मचारी नियोजित हैं अथवा कार्य को वाह्य श्रमिकों को दिया गया है, चाहे वह अति–कुशल, कुशल, अर्द्धकुशल अथवा अकुशल व्यवसाय के कार्य कर रहे हों, जिसके सन्दर्भ में संहिता के अधीन न्यूनतम मजदूरी दरें नियत किया गया हो, किसी रजिस्टर, मजदूरी के अभिलेखों, नोटिसों जिसे संहिता अथवा उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन रखा जाना अथवा प्रदर्शित की जाना अभीष्ट हो, के परीक्षण करने के उद्देश्य से प्रवेश कर सकेगा तथा ऐसे अभिलेखों एवं सूचनाओं को निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा कर सकेगा।

(ख) ऐसे किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकेगा, जिसे वह ऐसे किसी परिसर या स्थान पर पाता है और जिसके सम्बन्ध में निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को यह विश्वास करने का उचित कारण है कि वह व्यक्ति वहाँ नियोजित कर्मचारी है अथवा वह कोई ऐसा कर्मचारी है जिसे वहां काम दिया जाता है और किसी ऐसे व्यक्ति जो बाह्य कार्य और बाह्य श्रमिकों से देता है, से उन व्यक्तियों के नाम और पते के सम्बंध में किसी सूचना को, जिसे दिया जाना उसकी शक्ति में है, जिनके लिये और जिनके माध्यम से वाह्य कार्य दिया जाता है अथवा प्राप्त किया जाता है, तथा ऐसे कार्यों के लिए किये जाने वाले भुगतानों के सम्बन्ध में, उपलब्ध कराये जाने की मांग करना।

(ग) ऐसे रजिस्टर, मजदूरी के अभिलेखों, नोटिसों अथवा उनके किन्हीं भागों की प्रतियाँ प्राप्त अथवा जब्त करना, जैसा कि वह इस संहिता के अधीन अपराध के सम्बंध में सुसंगत समझे जिनके सन्दर्भ में उसके पास यह विश्वास करने के कारण करते हों कि नियोक्ता द्वारा अपराध को कारित किया गया है।

(घ) किसी कारखाने, उद्योग अथवा किसी अन्य अधिष्ठान में नियोजित कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले मजदूरी का पर्यवेक्षण करना।

(ङ) किसी न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इस संहिता के अधीन आवर्त किसी शिकायत या प्रक्रिया अथवा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के रूप में अपने कर्तव्यों के निवर्हन में, अभियोजन प्रस्तुत करना, संचालन करना, अथवा बचाव करना तथा ऐसे साक्ष्य सुरक्षित रखना, जैसा कि इस प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

(च) किसी कर्मचारी अथवा श्रमिक अथवा अधिष्ठान से सम्बंधित रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ से शिकायत प्राप्त होने पर, इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना कि क्या कोई निरीक्षण योजना धारा 51 की उपधारा (2) के अनुसार तैयार की गई है, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता से यह अपेक्षित होगा कि वह श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश की लिखित पूर्वानुमोदन से अधिष्ठान का पूर्ण निरीक्षण करेगा तथा यथावश्यक अधिष्ठान (अधिष्ठानों) का भ्रमण करेगाः

परंतु यह कि, निरीक्षण, क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त की पूर्व स्वीकृति से किया जायेगा और यदि शिकायत, विधि के अधीन स्थापित किसी आयोग (**उदाहरणार्थ**–राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग इत्यादि) से प्राप्त हो अथवा शिकायत बाल श्रमिकों और/अथवा बन्धुआ श्रमिकों के नियोजन से सम्बंधित हो अथवा यदि निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता को किसी स्रोत से यह सूचना प्राप्त होती है कि अधिष्ठान में कोई संघातक दुर्घटना घटित हुई है, तो ऐसे निरीक्षण के 72 घण्टों के भीतर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश से भूतलक्षी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

(छः) प्रत्येक निरीक्षक–सह–सुविधादाता भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) के प्रयोजनों के अर्थ में लोक सेवक समझा जायेगा।

(ज) कोई व्यक्ति, जिससे निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता द्वारा उपनियम (क) से उपनियम (ङ) के अधीन किसी ऐसे अभिलेख अथवा साक्ष्य अथवा किसी सूचना को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जाती है, वह ऐसा करने के लिये भारतीय न्याय संहिता, 2023 (अधिनियम संख्या 45 सन् 2023) की धारा 210 एवं धारा 211 के अर्थ में विधिक रूप से बाध्य होगा।

अध्याय– नौ

अपराध और शास्तियाँ

धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने हेतु अधिकारी की नियुक्ति

48–राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना के माध्यम से, न्यूनतम पे-मैट्रिक्स 11 तथा उत्तर प्रदेश सरकार के अनु सचिव अथवा उप श्रमायुक्त की रैंक से अन्यून राजपत्रित अधिकारी को उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर यथास्थिति धारा 54 की उपधारा (1) के खण्ड (क) तथा खण्ड (ग) तथा उपधारा (2) तथा धारा 56 की उपधारा (7) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनार्थ, इन नियमावली के अधीन नियम 49 तथा नियम 50 में यथाविहित मामलों में जांच करने हेतु नियुक्त करेगी।

धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन जांच करने की रीति

49–(1) नियम 48 के अधीन जब धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी (जिसे आगे प्रशमनकर्ता अधिकारी कहा गया है) के समक्ष, उक्त उपधारा में संदर्भित अपराधों के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अधिकारी अथवा पीड़ित कर्मचारी अथवा औद्योगिक सम्बन्ध संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 35 सन् 2020) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अथवा किसी निरीक्षक–सह– सुविधाप्रदाता द्वारा शिकायत दाखिल की जाती है एवं शिकायतकर्ता द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत ऐसे साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात अधिकारी की यह राय है कि अपराध किया गया है तो वह अपराधी को प्रस्तुत होने के लिए तिथि का निर्धारण करते हुए शिकायत में विनिर्दिष्ट पते पर समन जारी करेगा।

(2) यदि अपराधी, जिसे उपनियम (1) के अधीन समन जारी किया गया है, उपस्थित होता है अथवा अधिकारी के समक्ष उपस्थित किया जाता है, तो वह उसे उसके विरुद्ध शिकायत किए गए अपराध का उल्लेख करेगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार करता है तो अधिकारी संहिता के उपबन्धों के अनुसार उस पर शास्ति अधिरोपित करेगा और यदि अपराधी दोष स्वीकार नहीं करता है तो अधिकारी शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत गवाहों के शपथ पर साक्ष्य लेगा तथा प्रस्तुत गवाहों की प्रतिपरीक्षा का अवसर उपलब्ध कराएगा।

(3) अधिकारी अपराधी को गवाहों के लिखित में प्रतिपरीक्षा में और शपथ पर गवाहों के बयान अभिलिखित करेगा और दस्तावेजी साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लेगा।

(4) अधिकारी शिकायतकर्ता के साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात, दोषी व्यक्ति को बचाव का अवसर देगा और दोषी द्वारा प्रस्तुत गवाहों की प्रतिपरीक्षा की जायेगी तथा बचाव में दस्तावेजी साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लिया जाएगा।

(5) अधिकारी पक्षकारों को सुनने तथा मौखिक एवं दस्तावेजी दोनों साक्ष्यों पर विचार करके के पश्चात संहिता के उपबंधों के अनुसार शिकायत पर विनिश्चय करेगा।

धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन जुर्माना लगाने की रीति

50—(1) कोई दोषी व्यक्ति यदि धारा 56 की उपधारा (1) के अधीन अपराध का प्रशमन चाहता है तो वह नियम 49 के अधीन अधिसूचित प्रशमनकर्ता अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी को इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र 10 में इलेक्ट्रॉनिक रीति से अथवा भौतिक रूप से आवेदन कर सकता है।

(2) उपनियम (1) में संदर्भित प्रशमनकर्ता अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर स्वयं को संतुष्ट करेगा कि यह अपराध संहिता के अधीन प्रशमन योग्य है या नहीं और यदि अपराध प्रशमन योग्य है तो वह प्रपत्र—11 में एक नोटिस प्रेषित करेगा तथा यदि दोषी व्यक्ति प्रशमन के लिए सहमत हो जाता है, तो संहिता के अधीन ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत राशि पर अपराध का प्रशमन करेगा, जिसका भुगतान ऐसे अधिकारी द्वारा जारी प्रशमन आदेश के तीस दिन के भीतर दोषी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रशमन अधिकारी प्रपत्र—ग्यारह के भाग (ख) में प्रशमन राशि की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर ऐसे व्यक्ति को प्रमाण-पत्र जारी करेगा जिससे प्रशमन नोटिस के अनुपालन में ऐसी राशि प्राप्त की गई है।

(4) यदि इस प्रकार सूचित कोई व्यक्ति, प्रशमन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रशमन धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो अभियोजन सक्षम न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे अपराध के लिये संस्थित किया जाएगा जिनके सम्बंध में नोटिस जारी किया गया था।

(5) जहाँ अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् उपनियम (1) के अधीन अपराध का प्रशमन हो गया है, वहाँ अधिकारी ऐसे आदेश की प्रति धारा 56 की उपधारा (6) के अधीन कार्यवाही हेतु धारा 53 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी को भेजेगा।

(6) प्रशमनकर्ता अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी राज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन, इस नियम के अधीन अपराध प्रशमन करने की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अध्याय—दस

प्रकीर्ण

मजदूरी का समय पर संदाय किया जाना

51—जहाँ कर्मचारी किसी अधिष्ठान में ठेकेदार के माध्यम से नियोजित हों वहाँ उक्त कम्पनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा कोई अन्य व्यक्ति, जो उस अधिष्ठान का स्वत्वधारी हो, संहिता के उपबंधों के अनुसार कर्मचारियों की मजदूरी के सम्बन्ध में संदेय धनराशि का भुगतान, ठेकेदार को करेगा।

स्पष्टीकरण:— इस नियम के प्रयोजनार्थ पद ''फर्म'' का वही अर्थ होगा जो इसके लिये भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (अधिनियम संख्या 9 सन् 1932) में समनुदेशित है।

धारा 26 के अधीन न्यूनतम लाभांश के भुगतान हेतु उत्तरदायित्व

52—जहाँ किसी अधिष्ठान में कर्मचारी, ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किए जायें और ठेकेदार धारा 26 के अधीन उन्हें न्यूनतम लाभांश का भुगतान करने में विफल हो, वहाँ कम्पनी अथवा फर्म अथवा संघ अथवा धारा 43 के परन्तुक में यथा निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति, किसी रजिस्ट्रीकृत श्रमिक संघ अथवा संघों, जिनके कर्मचारी सदस्य हों, के कर्मचारियों द्वारा ऐसी विफलता के सम्बन्ध में लिखित सूचना दिये जाने पर तथा ऐसी विफलता की पुष्टि किये जाने पर कर्मचारियों को ऐसे न्यूनतम लाभांश का भुगतान करेगा तथा ऐसी धनराशि की वसूली ठेकेदार से कर सकेगा।

धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन नियोजकों द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली सूचनायें

53—(1) धारा 50 की उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ, सभी नियोजक तथा मुख्य नियोजक यह सुनिश्चित करेंगें कि अधिष्ठान की प्रत्येक इकाई के प्रत्येक प्रवेश एवं निकास द्वारों पर प्रदर्शित की जाने वाली सभी सूचनाओं की सामग्री प्रमुखता के साथ प्रदर्शित की जाये।

(2) प्रदर्शित की जाने वाली सूचनायें ऐसी भाषा में होंगी जो अधिष्ठान की उस इकाई में नियोजित श्रमिकों में से अधिकांश द्वारा समझ ली जाये।

(3) प्रदर्शित की जाने वाली सूचनायें ऐसे आकार में प्रदर्शित की जायेंगी जिससे सामान्य दृष्टि वाला कोई व्यक्ति सहज रूप से कम से कम दस मीटर की दूरी से प्रदर्शित सामग्री को पढ़ सके।

(4) प्रदर्शित की जाने वाली सूचनायें सभी दिवसों पर तथा सभी समय पर प्रदर्शित होंगी।

(5) प्रदर्शित की जाने वाली सूचनाओं की अनुसूची—

(क) सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी दर;

(ख) विश्राम का साप्ताहिक दिवस;

(ग) सवेतन विश्राम दिवस;

(घ) कार्य के घण्टे;

(ङ) अतिकाल का भुगतान;

(च) किसी सप्ताह में कराया जा सकने वाले कार्य के अधिकतम घण्टे;

(छ) अनुसूचित अन्तराल;

(ज) मजदूरी भुगतान का समय एवं तिथि;

(झ) अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक—सह—सुविधाप्रदाता का विवरण;

(ञ) धारा 45 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी का विवरण;

(ट) मजदूरी अवधि;

(ठ) इस नियमावली के अधीन यथाविहित ऐसी अन्य सूचनाएं।

वार्षिक विवरणी

54—इस नियमावली के अधीन विवरणी (रिटर्न), अधिष्ठान के प्रत्येक नियोजक द्वारा, जिस पर यह संहिता लागू होती है, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 (अधिनियम संख्या 37 सन् 2020) के अधीन बनाए गए नियमों में ऐसे प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट प्रपत्र के सुसंगत स्तम्भों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल की जाएगी।

आज्ञा से,
डॉ0 एम0 के0 शन्मुगा सुन्दरम्,
प्रमुख सचिव।

———

फॉर्म–I

[नियम 17 (8), नियम 19 (4) और नियम 20 देखें]

मजदूरी, ओवरटाइम, जुर्माना, क्षति और हानि के लिए कटौती का रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नाम (Name of Establishment) : _____

नियोक्ता का नाम (Name of Employer) : _____

मालिक का नाम (Name of Owner) : _____

नियोक्ता का PAN/TAN : _____

श्रम पहचान संख्या (LIN) : _____

कर्मचारी रजिस्टर में क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग	मजदूरी भुगतान की अवधि*	मजदूरी की अवधि (कब से कब तक)	कुल कार्य दिवस	कुल ओवरटाइम (कार्य के घंटे अथवा पीस रेट के मामले में उत्पादन)	मजदूरी की दर		
								मूल वेतन	महंगाई भत्ता	भत्ते
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

अर्जित मजदूरी की रकम					कटौतियाँ										शुद्ध भुगतान
मूल मजदूरी	महंगाई भत्ता	भत्ते	अति कालिक	कुल अर्जित मजदूरी	EPF	ESIC	सोसाइटी	आयकर	बीमा	अग्रिम रकम	जुर्माने की वसूली	क्षति/हानि की वसूली	कुल कटौतियाँ	अन्य	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

भुगतान की तारीख	कर्मचारी द्वारा रसीद/बैंक संव्यवहार आई0डी0	जिन कृत्यों और चूको के लिए जुर्माना लगाया गया है, उनकी प्रकृति और तारीख का उल्लेख करे	लगाए गए जुर्माने की रकम	कर्मचारियों की उपेक्षा या चूक के कारण नियोक्ताओं को हुई क्षति या हानि	नियोक्ता/ नियोक्ता प्रतिनिधि के हस्ताक्षर**
28	29	30	31	32	33

* मासिक/पाक्षिक/साप्ताहिक/दैनिक/कार्य अवधि के आधार पर

**टिप्पणी: यदि रजिस्टर का भौतिक रूप से रखरखाव किया जाना आवश्यक है

फार्म–II

[उपनियम (2) नियम 40 देखें]

कर्मचारी रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नाम : _____ नियोक्ता का नाम : _____

मालिक का नाम :_____ नियोक्ता का PAN/TAN : _____

श्रम पहचान संख्या (LIN) :_____

क्र0 सं0	कर्मचारी कोड	नाम	उपनाम	लिंग	पिता / पति का नाम	जन्म तिथि	राष्ट्रीयता	शिक्षा का स्तर	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	पदनाम	श्रेणी (HS/ S/ SS/ US)*	रोजगार का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

मोबाइल नंबर	UAN	PAN	ESIC IP नंबर	आधार	बैंक खाता संख्या	बैंक का नाम	शाखा (IFSC)	वर्तमान पता	स्थायी पता
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

सर्विस बुक नंबर	कार्य छोड़ने की तिथि	निकास का कारण	पहचान चिन्ह	फोटो	नमूना हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान	टिप्पणी
24	25	26	27	28	29	30

जन्म स्थान	तैनाती का विवरण	मजदूरी	पदोन्नति	नामित व्यक्ति	परिवार का विवरण	EPS/ NPS
31	32	33	34	35	36	37

* अति कुशल / कुशल / अर्ध कुशल / अकुशल

———

फॉर्म–III

(नियम 43 देखें)

मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 की उप-धारा (5) के तहत एकल आवेदन

मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 45 की उपधारा (1) के तहत नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष

क्षेत्र (AREA):_____ के लिए

आवेदन संख्या : _____ वर्ष 20_____

ABC और (संख्या बताएं) _____ अन्य के बीचः ..... आवेदक

(सम्बंधित कर्मचारियों या पंजीकृत ट्रेड यूनियन या निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के माध्यम से)

पता : _____

बनाम

XYZ : _____

पता : _____

आवेदन में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत हैः–

(1) आवेदक, जिनका नाम संलग्न अनुसूची (Schedule) में है, श्री/मेसर्स _____ (नियोक्ता का नाम) के _____ (प्रतिष्ठान) में दिनांक _____ से _____ तक _____ (श्रेणी) के रूप में कार्यरत थे/हैं और _____ (कार्य की प्रकृति) में लगे हुए थे, जो मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत आता है।

(2) विपक्षी, मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 2(1) के अर्थ के अंतर्गत नियोक्ता है/हैं।

(3) (क) आवेदक(कों) को संहिता के तहत उनके रोजगार की श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से ₹_____ प्रति दिन की कम दर से दिनांक _____ से _____ तक की अवधि के लिए मजदूरी दी गई है।

(ख) आवेदक(कों) को _____ से _____ तक के साप्ताहिक विश्राम के दिनों के लिए ₹_____ प्रति दिन की दर से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(ग) आवेदक(कों) को _____ से _____ तक की अवधि के लिए ओवरटाइम दर(रों) पर मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) आवेदक(कों) को _____ से _____ तक की अवधि की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है।

(ङ) मजदूरी से ऐसी कटौतियां की गई हैं जो संहिता के उल्लंघन में हैं, जिसका विवरण इस आवेदन के साथ संलग्न अनुबंध (Annexure) में दिया गया है।

(च) आवेदक(कों) को लेखा वर्ष _____ के लिए न्यूनतम बोनस का भुगतान नहीं किया गया है।

(4) आवेदक(कों) द्वारा मांगी गई राहत का अनुमानित मूल्य प्रत्येक मद में निम्नानुसार हैः–

(क) ₹_____

(ख) ₹_____

(ग) ₹_____

कुल योगः ₹_____

(5) अतः, आवेदक प्रार्थना करता/करते हैं कि मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 45(2) के तहत निम्नलिखित के लिए निर्देश जारी किया जाएः

(क) संहिता के तहत देय मजदूरी और वास्तव में भुगतान की गई मजदूरी के अंतर का भुगतान;

(ख) विश्राम के दिनों के लिए पारिश्रमिक का भुगतान;

(ग) ओवरटाइम दरों पर मजदूरी का भुगतान;

(घ) विलंबित मजदूरी का भुगतान;

(ङ) संहिता के उल्लंघन में की गई कटौतियों का भुगतान;

(च) अदत्त (Unpaid) बोनस का भुगतान;

(छ) ₹_____ की राशि का मुआवजा।

(6) आवेदक एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषित करता/करते हैं कि इस आवेदन में बताए गए तथ्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी, विश्वास और सूचना के अनुसार सत्य हैं।

दिनांकः _____

नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान,
या विधिवत अधिकृत पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी
या निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता।

मोबाइल नंबर और ईमेल आईडीः _____

नोटः यदि आवश्यक हो, तो आवेदक इस आवेदन के साथ विवरण वाले अनुबंध (Annexures) संलग्न कर सकता/सकते हैं।

फॉर्म–IV

[नियम 44 का उपनियम (2) देखें]

प्राधिकर प्रमाण-पत्र

मैं/हम नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी _____, जो कि एक कानूनी व्यवसायी (वकील) हैं/श्री/श्रीमती/कुमारी _____, जो _____ (पंजीकृत ट्रेड यूनियन का नाम) के पदाधिकारी हैं, को मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) की धारा 45 अथवा धारा 49 के तहत मेरी/हमारी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करता हूँ/करते हैं।

यह अधिकार _____ (विपक्षी/नियोक्ता का नाम) के विरुद्ध दावे/अपील के सम्बंध में है, जो संहिता के तहत देय मजदूरी और वास्तव में भुगतान की गई मजदूरी के अंतर/विश्राम के दिनों के पारिश्रमिक के भुगतान/ओवरटाइम दरों पर मजदूरी के भुगतान/भुगतान में देरी/मेरी–हमारी मजदूरी से अवैध कटौती/ _____ (अवधि) के बोनस का भुगतान न करने के कारण है।

साक्षी (Witnesses) : हस्ताक्षर (Signatures):

1–

2–

3–

4–

दिनांकः _____

स्थानः _____

मैं इस प्राधिकार को स्वीकार करता हूँ।

अधिकृत व्यक्ति/कानूनी व्यवसायी/
पंजीकृत ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी के हस्ताक्षर
(सील सहित)।

———

फॉर्म–V

[नियम 44 के उपनियम (1) देखें]

आवेदन के निस्तारण हेतु नोटिस

चूँकि, मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का 29) के तहत आपके विरुद्ध एक दावा मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसकी एक प्रति इसके साथ संलग्न है; आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आप स्वयं या किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से, जिसे विधिवत निर्देश दिए गए हों और जो आवेदन से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, या जिसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके, दिनांक ..... माह ..... 20.... को ..... बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह (सुबह/शाम) दावे का उत्तर देने के लिए मेरे समक्ष उपस्थित हों;

और, चूँकि आपकी उपस्थिति के लिए नियत किया गया दिन दावा आवेदन के अंतिम निपटान के लिए निर्धारित है, इसलिए आपको उस दिन उन सभी गवाहों को पेश करने के लिए तैयार रहना चाहिए जिनके साक्ष्य पर, और उन दस्तावेजों को जिनके आधार पर आप अपने बचाव में भरोसा करना चाहते हैं।

यह ध्यान रखें कि, यदि आप ऊपर बताए गए दिन उपस्थित होने में विफल रहते हैं, तो दावा आवेदन पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

आज दिनांक ..... 20..... को मेरे हस्ताक्षर और मुहर के तहत जारी किया गया।

प्राधिकारी
मुहर

फॉर्म–VI

[नियम 44 का उपनियम (4) देखें]

आदेश या निर्देश का रिकॉर्ड

क्रम संख्याः .....

आवेदन की तिथिः .....

आवेदक का नाम (या नाम), पिता का नाम, पता या एक ही अदत्त समूह से संबंधित कुछ या सभी आवेदकों के पतेः _____

नियोक्ता का नाम और पताः _____

दावा की गई राशि (Amount Claimed):

(क) इस संहिता के तहत देय मजदूरी और वास्तव में भुगतान की गई मजदूरी के अंतर के रूप मेंः ₹.....

(ख) विश्राम के दिनों के पारिश्रमिक के भुगतान के रूप मेंः ₹ .....

(ग) ओवरटाइम दरों की मजदूरी के भुगतान के रूप मेंः ₹ .....

(घ) विलंबित मजदूरी के भुगतान के रूप मेंः ₹ .....

(ङ) संहिता के उल्लंघन में की गई कटौतियों के भुगतान के रूप मेंः ₹ .....

(च) भुगतान न किए गए बोनस के रूप मेंः ₹ .....

(छ) मुआवजे की कुल राशिः ₹ .....

नियोक्ता का तर्क और उसका परीक्षण (यदि कोई हो): _____

निष्कर्ष, और उसके कारणों का संक्षिप्त विवरणः _____

निर्धारित (पुरस्कृत) राशिः

(क) संहिता के तहत देय मजदूरी और वास्तव में भुगतान की गई मजदूरी के अंतर के रूप मेंः ₹ .....

(ख) विश्राम के दिनों के पारिश्रमिक के भुगतान के रूप मेंः ₹ .....

(ग) ओवरटाइम दरों की मजदूरी के भुगतान के रूप मेंः ₹ .....

(घ) विलंबित मजदूरी के भुगतान के रूप मेंः ₹ .....

(ङ) संहिता के उल्लंघन में की गई कटौतियों के भुगतान के रूप मेंः ₹ .....

(च) भुगतान न किए गए बोनस के रूप मेंः ₹ .....

स्वीकृत मुआवजाः .....

निर्धारित लागतः

(क) न्यायालय शुल्कः .....

(ख) वकील की फीसः .....

(ग) गवाहों का खर्चः .....

वह तिथि जिस तक निर्धारित राशि का भुगतान किया जाएगाः .....

दिनांकः _____

प्राधिकारी

नोटः जिस मामले में अपील की गुंजाइश हो, वहां साक्ष्य (Evidence) का सार एक अलग शीट पर संलग्न करें।

फॉर्म–VII

[नियम 45 के उपनियम (1) देखें]

मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 49(1) के तहत अपील

मजदूरी संहिता, 2019 के तहत अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष

A.B.C

पताः _____ अपीलकर्ता

बनाम

X.Y.Z

पता : _____ प्रत्यर्थी विपक्षी /

_____

अपील का विवरणः

1- उस आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध अपील की गई हैः

संख्या और दिनांक : _____

प्राधिकारी जिसने विवादित आदेश पारित किया है : _____

निर्धारित (पुरस्कृत) राशि : _____

निर्धारित मुआवजा (यदि कोई हो) : _____

2- मामले के तथ्यः

(यहाँ कालानुक्रमिक क्रम में तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दें, प्रत्येक पैराग्राफ में यथासंभव एक अलग मुद्दा या तथ्य होना चाहिए)

3- अपील के आधारः

4- मामले जो पहले किसी अन्य न्यायालय या अपीलीय प्राधिकारी के पास दायर नहीं किए गए या लम्बित नहीं हैंः

अपीलकर्ता आगे घोषित करता है कि उसने उस मामले के सम्बंध में, जिसके लिए यह अपील की गई है, पहले किसी भी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष न तो कोई अपील, रिट याचिका या मुकदमा दायर किया है, और न ही ऐसी कोई अपील, रिट याचिका या मुकदमा उनमें से किसी के पास लम्बित है।

5- मांगी गई राहतः

ऊपर वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता निम्नलिखित राहत की प्रार्थना करता हैः–

[नीचे मांगी गई राहत (राहतों) को निर्दिष्ट करें]

6- संलग्नकों की सूचीः

दिनांक : _____

स्थान : _____

आवेदक का नाम और हस्ताक्षर

मोबाइल नंबर और

ई–मेल आईडी : _____

कार्यालय उपयोग के लिए

दायर करने की तिथि : _____

या डाक द्वारा प्राप्ति की तिथि : _____

पंजीकरण संख्या : _____

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

फॉर्म – VIII

[नियम 45 के उपनियम (2) देखें]

मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 49 के तहत अपील की सुनवाई के लिए निर्धारित दिन का प्रत्यर्थी (विपक्षी) नोटिस को

..... क्षेत्र के प्राधिकारी के दिनांक ..... माह ..... 20.... के निर्णय के विरुद्ध अपील

सेवा में,

.....

..... (प्रत्यर्थी / विपक्षी)

आपको सूचित किया जाता है कि ..... क्षेत्र के प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध एक अपील, जिसकी प्रति संलग्न है, ... X.Y.Z. (और अन्य) द्वारा प्रस्तुत की गई है और इस कार्यालय में पंजीकृत की गई है। इस अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील की सुनवाई के लिए ..... तारीख ..... माह 20..... का दिन निर्धारित किया गया है।

यदि आपकी ओर से आप स्वयं, या कानून द्वारा आपके लिए कार्य करने हेतु अधिकृत कोई व्यक्ति इस अपील में उपस्थित नहीं होता है, तो इस पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा।

आज दिनांक ..... माह ..... 20.. को मेरे हस्ताक्षर और मुहर के तहत जारी किया गया।

मुहर

अपीलीय प्राधिकारी

———

फॉर्म – IX

(नियम 42 देखें)

वेतन पर्ची

जारी करने की तिथि : _____

प्रतिष्ठान का नाम : _____

पता : _____

अवधि : _____

कर्मचारी का नाम : _____

पिता / पति का नाम : _____

पदनाम (Designation) : _____

UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) : _____

बैंक खाता संख्या : _____

वेतन अवधि : _____

देय मजदूरी की दर :

(क) मूल वेतन : _____

(ख) महंगाई भत्ता : _____

(ग) अन्य भत्ते : _____

कुल उपस्थिति / कार्य की इकाई : _____

ओवरटाइम मजदूरी : _____

देय सकल मजदूरी : _____

कुल कटौतियां:

(क) PF: _____

(ख) ESI: _____

(ग) अन्य : _____

भुगतान की गई शुद्ध मजदूरी : _____

नियोक्ता/
भुगतान प्रभारी के हस्ताक्षर

_____

फॉर्म– X

[नियम 50 के उपनियम (1) देखें]

भाग– क

मजदूरी संहिता की धारा 56 की उपधारा (1) के तहत अपराधों के समझौते के लिए नियोक्ता का आवेदन

सेवा में,

उपशमन अधिकारी,

अपर/उप श्रम आयुक्त का कार्यालय,

क्षेत्र: .....

दिनांक: .....

आदरणीय महोदय/महोदया,

मैं/हम ..... , पिता/पति/पत्नी _____मेसर्स ..... (पता: .....) का नियोक्ता, मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 56 की उपधारा (1) के तहत अपराध का समझौता करने का इच्छुक हूँ/हैं। मैंने/हमने संहिता के तहत निम्नलिखित अपराध किए हैं/किए थे:

.....

.....

.....

उपरोक्त उल्लंघनों के लिए अभियोजन–

* अधोहस्ताक्षरी के विरुद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय में दायर नहीं किया गया है ।

* अधोहस्ताक्षरी के विरुद्ध ..... के न्यायालय में दायर किया गया है ।

दायर किए गए अभियोजन का विवरण नीचे दिया गया है:

निरीक्षण/शिकायत की तिथि: .....

मामला संख्या और अभियोजन दायर करने की तिथि: .....

धारा(एँ) और नियम जिनका उल्लंघन पाया गया: .....

अभियोजन दायर करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम: .....

क्या आवेदक के विरुद्ध अभियोजन लम्बित है या नहीं: .....

क्या यह पहला अपराध है, या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया है? यदि हाँ, तो पिछले अपराध का पूरा विवरण: .....

कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रदान करना चाहता है:.....

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया मुझे निर्देश दें या मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 56 की उपधारा (1) के अनुसार उपशमन राशि जमा करने की अनुमति दें। समझौता अधिकारी से यह भी अनुरोध है कि वह धारा 52 के तहत सक्षम न्यायालय और/या धारा 53 के तहत जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत अधिकारी को सूचित करें।

दिनांक : _____ आवेदक का नाम और हस्ताक्षर : _____

स्थान : _____ प्रतिष्ठान का नाम : _____

प्रतिष्ठान का पता : _____

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

———

भाग–ख

प्रशमन–प्रमाण-पत्र

संदर्भ सूचना संख्या:_____ तारीख : _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि धारा 54 की उपधारा _____के अधीन वह अपराध जिसके सम्बंध में श्री _____ (आवेदक) _____(संस्थान का नाम और पंजीयन संख्या) के नियोक्ता को तारीख _____ को नोटिस संख्या _____जारी की गई थी, उक्त नोटिस के संतोषजनक अनुपालन में अपराधों के निपटारे के लिए रुपया _____(रुपया _____) की पूरी रकम जमा करने के कारण प्रशमित कर दिया गया है।

(हस्ताक्षर)

प्रशमनकर्ता अधिकारी का नाम और पदनाम

तारीख:_____

स्थान:_____

सेवा में,

_____ (नियाक्ता)

_____ स्थापन का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या

_____ पता

———

फॉर्म–XI

[नियम 50 के उपनियम (2) देखें]

मजदूरी संहिता की धारा 56 की उपधारा (1) के तहत अपराधों के समझौते हेतु समझौता अधिकारी द्वारा उल्लंघनकर्ता नियोक्ता को नोटिस

नोटिस

सेवा में,

..... (नियोक्ता का नाम)

मेसर्स .....

..... (पता)

कृपया आपके/आपकी कम्पनी/प्रतिष्ठान द्वारा मजदूरी संहिता, 2019 (2019 का अधिनियम संख्या 29) के प्रावधानों के उल्लंघन में किए गए अपराध (अपराधों) के समझौते के सम्बंध में आपके दिनांक ..... के आवेदन का संदर्भ लें;

चूँकि आपने उक्त अपराध (अपराधों) के उपशमन के लिए अनुरोध किया है, इसलिए आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध मजदूरी संहिता, 2019 की धारा (धाराओं) ..... के उल्लंघन के लिए अपराध करने का आरोप लगाया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपके आवेदन की जाँच की गई और यह पाया गया कि धारा (धाराओं) ..... के तहत उल्लंघन समझौते योग्य हैं, जबकि धारा (धाराओं) ..... के तहत अपराधों का समझौता मजदूरी संहिता, 2019 के अंतर्गत नीचे दिए गए कारणों से नहीं किया जा सकता है–

.....

.....

अपराधों के समझौते के लिए आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली समझौता राशि ..... रुपये है।

इस नोटिस के माध्यम से, आपको अपराध (अपराधों) के उपशमन के लिए इस नोटिस के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपरोक्त उपशमन राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है। यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो आपको आगे कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा और आपके विरुद्ध संहिता के प्रावधानों के अनुसार धारा (धाराओं) ..... के तहत अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे;

आपको एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उपरोक्त उपशमन राशि जमा करने में विफल रहते हैं, तो आप संहिता की धारा 56 की उपधारा (7) के प्रावधान के अनुसार इसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

यह नोटिस आज दिनांक ..... माह ....., 20..... को मेरे हस्ताक्षर और मुहर के तहत जारी किया गया है।

उपशमन अधिकारी

मुहर

———

फॉर्म– XII

[नियम 40 का उपनियम (3) देखें]

नामांकन-प्रपत्र

सेवा में,

.....

.....

.....

(यहाँ प्रतिष्ठान का नाम अथवा विवरण पूर्ण पते सहित लिखें)

1- मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी ....., जिनका विवरण नीचे दिए गए विवरण–पत्र में अंकित है,

.....

.....

.....

.....

(यहाँ पूरा नाम लिखें)

एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को, वेतन संहिता, 2019 के अंतर्गत मेरी मृत्यु के पश्चात देय समस्त अवैतनिक बकाया राशि, जो मेरी मृत्यु से पूर्व देय नहीं हुई हो अथवा देय होने के बावजूद भुगतान न की गई हो, प्राप्त करने हेतु नामित करता/करती हूँ तथा निर्देश देता/देती हूँ कि उक्त अवैतनिक वेतन एवं अन्य राशियाँ नामित व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम के समक्ष उल्लिखित अनुपात में अदा की जाएँ।

2- मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तिगण,उत्तर प्रदेश वेतन संहिता नियमावली, 2026 के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (f) के अर्थों में मेरे परिवार के सदस्य हैं।

3- मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा कोई परिवार नहीं है।

4- (क) मेरे पिता/माता/अभिभावक मुझ पर आश्रित नहीं हैं।

(ख) मेरे पति के पिता/माता/अभिभावक मेरे पति पर आश्रित नहीं हैं।

(ग) मेरे आश्रित माता–पिता, जिनमें महिला कर्मचारी के मामले में मेरे ससुर/सास भी सम्मिलित हैं, की सभी स्रोतों से प्राप्त आय राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु निर्धारित आय सीमा से अधिक नहीं है।

(घ) मेरे पति के पिता/माता/अभिभावक मेरे पति पर आश्रित नहीं हैं।

5- इस प्रपत्र में किया गया नामांकन मेरे पूर्ववर्ती नामांकन को निरस्त करता है।

नामित व्यक्ति/व्यक्तिगण

(1) नामित व्यक्ति/व्यक्तियों का पूरा नाम एवं पूर्ण पता .....

कर्मचारी से सम्बंध .....

नामित व्यक्ति की आयु .....

अवैतनिक राशि में प्राप्त होने वाला अनुपात .....

(2) .....

(3) .....

(4) .....

विवरण–पत्र

1-कर्मचारी का पूरा नाम .....

2-लिंग .....

3-धर्म .....

4-अविवाहित/विवाहित/विधवा/विधुर .....

5-नियोजन का विभाग/शाखा/अनुभाग .....

6-धारित पद, टिकट अथवा क्रम-संख्या सहित (यदि कोई हो) .....

7-नियुक्ति की तिथि .....

8-स्थायी पताः

ग्राम ..... थाना ..... उप–मंडल ..... डाकघर .....

जनपद .....

राज्य .....

स्थानः_____

दिनांकः_____

कर्मचारी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

साक्षियों द्वारा घोषणा

नामांकन मेरे समक्ष हस्ताक्षरित/अंगूठा–निशानित किया गया।

साक्षियों का पूरा नाम एवं पूर्ण पताः साक्षियों के हस्ताक्षर

1-

2-

स्थानः_____

दिनांकः_____

नियोजक द्वारा प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त नामांकन का विवरण सत्यापित कर इस प्रतिष्ठान में अभिलिखित कर लिया गया है।

यदि कोई हो, तो नियोजक संदर्भ संख्याः .....

नियोजक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं दिनांक

पदनाम

प्रतिष्ठान का नाम एवं पता अथवा उसकी मोहर

कर्मचारी द्वारा अभिस्वीकृति

मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र–XII में नामांकन की द्वितीय प्रति, जो नियोजक द्वारा विधिवत प्रमाणित की गई है, प्राप्त हुई।

दिनांक एवं कर्मचारी के हस्ताक्षर

फॉर्म– XIII

[मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 50 की उपधारा (1) देखें]

उपस्थिति रजिस्टर–सह–हाजिरी सूची

1- स्थापन का नामः

2- नियोक्ता का नामः

3- स्वामी का नामः

4- स्थापना की रजिस्ट्रीकरण संख्या [श्रमिक पहचान संख्या (LIN) स्थापना की रजिस्ट्रीकरण संख्या]

क्रम-संख्या	कर्मचारी कोड	नाम	पद	पाली	कार्य स्थल / अनुभाग / विभाग का स्थान
1	2	3	4	5	6

उपस्थिति की तारीख और समय (7)																						
तारीख	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
समय	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना
हस्ताक्षर																						

तारीख	12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
समय	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना
हस्ताक्षर																						

तारीख	23		24		25		26		27		28		29		30		31	
समय	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना	आना	जाना
हस्ताक्षर																		

कुल कार्य दिन की संख्या	कुल ओवर टाइम घंटों की संख्या	यदि कार्य स्थल से बाहर कोई दौरा या कार्य सौंपा गया हो तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा	रजिस्टर धारक के हस्ताक्षर टिप्पणी*
8	9	10	11

* यदि रजिस्टर को भौतिक रूप से रखा जाता है तो यह अपेक्षित है ।

अनुसूची–क

[नियम 7 का उपनियम (3)]

श्रमिकों का कौशल के आधार पर श्रेणी में वर्गीकरण

क्रमांक	अकुशल
1	परिचारक
2	परिचारक
3	बजरी फैलाने वाला
4	कूटने वाली महिला
5	बेलदार/बेलदार (कैंटीन)
6	बेल महिला
7	बोट मैन
8	बोरी मैन
9	तोड़ना (दस्ती औजारों के इस्तमाल से)
10	पुल
11	बकेट मैन
12	कसाई
13	ग्वाला
14	रखवाल (पुल)
15	रखवाला (कॉपर, क्रोमाइट और ग्रेफाइट खानों के अलावा जहाँ यह अर्धकुशल है)
16	संवाहक
17	वाहक (पत्थर)
18	वाहक (जल)
19	कार्टमैन
20	चरवाहा
21	चेनकर्मी
22	चौकीदार
23	क्लीनर
24	क्लीनर (क्रेन, ट्रक, राख के गड्ढों के लिए सुलगता कोयला)
25	क्लीनर (मोटर हेड, ट्रैक्टर, पशु-अहाता, एम0टी0)
26	कोयला कर्मी
27	चारा इकट्ठा करना
28	कंक्रीट (हाथ से मिलाने वाला)
29	कंडेनसर
30	कंडेनसर परिचारक
31	रसोइया सहायक
32	कुली
33	दफादार
34	डेयरी कुली
35	डेयरी कामगार
36	खोदने वाला
37	विखण्डन भंडार
38	ड्रेसर/ड्रेसिंग मजदूर
39	चालक (खच्चर, बैल, ऊँट, गधा)
40	मृदा कटर
41	इलेक्ट्रिकल

क्रमांक	अकुशल
42	उत्खनन श्रमिक
43	फ्लैग मैन
44	फ्लैगमैन (ब्लास्ट ट्रेन)
45	गैंगमैन
46	गेट मैन
47	गेटिंग मैन (स्थायी मार्ग)
48	घास काटने वाला
49	गड़ेरिया
50	हैंडर मैन, जम्पर मैन
51	हेल्पर
52	छिद्र काटने वाला
53	जैली बनाने वाला
54	कमीन (महिला कामगार)
55	खलास
56	मशीनों पर काम न करने वाला खलासी
57	श्रमिक (बॉयलर, पशु–अहाता, खेती, सामान्य भार चढ़ाना–उतारना, बन्डिंग, कार्टिग–फर्टिलाइजर, हार्वेस्टिंग, विविध बीज–अंकुरण, बीज बोना, छाजन, प्रत्योरोपण, बागानो के खरपतवार की छँटाई)
58	लैम्पमैन
59	लोडर
60	लॉरी सहायक
61	लॉरी प्रशिक्षु
62	माली
63	मैरिन
64	मजदूर (बागबान, डेयरी में फूस के ढेर लगाना, सिंचाई, गोबर ढेर लगाना, दूध दोहने का कक्ष, राशन कक्ष स्टोर, मलेरिया-रोधी, एम0आर0)
65	संदेशवाहक (पुरुष/महिला)
66	संदेशवाहक (कार्यालय)
67	मोपलाह
68	मुच्छड़ जमादार
69	नंबर टेकर
70	परिचर अर्दली
71	ऑफिस बॉय
72	कार्यालय चपरासी/चपरासी (बॉक्साइट खानों के अलावा)
73	अधिभारित अपसारक
74	लादने और उतारने में नियोजित व्यक्ति
75	किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले अकुशल प्रकृति के स्वीपिंग और क्लीनिंग तथा अन्य वर्गो में नियोजित व्यक्ति।
76	पेट्रोलमैन
77	खदान कामदार
78	रॉलर सर्वेक्षण
79	सर्चर
80	शेयर
81	शन्टर्स

क्रमांक	अकुशल
82	सिग्नल मैन
83	सईस
84	स्टीम रोड
85	स्टोर मजदूर
86	स्टोर
87	स्ट्रेचर वाहक
88	स्ट्राइकर (मोपलाह गैंग)
89	स्ट्राइकर
90	सतही लोडर
91	सतही मुकर
92	सर्वेक्षण खलासी
93	स्वीपर
94	सईस
95	टॉल बॉय
96	टाइल
97	ट्रेमर
98	ट्रॉली रिट्रीवर्स (विमानपत्तन)
99	ट्रॉली मैन
100	ट्रॉली ट्राइपर
101	टर्नर
102	फूस बांधना और ले जाना
103	भूमिगत मुकर
104	उतारने वाला
105	वैक्स नियंत्रक
106	वाल्व कर्मी
107	अपशिष्ट उपसारक मजदूर
108	पहरेदार
109	वाटर कैरियर
110	पानी वाला
111	गट्ठर तौलना और ले जाना
112	तुलाईकार (गट्ठर, पल्ली)
113	लकड़हारा
114	लकड़हारा (स्त्री)
115	लकड़हारा

क्रमांक	अर्धकुशल
1	पशु परिचर
2	सहायक
3	सहायक (चौकीदार)
4	सहायक ड्रिलर
5	सहायक वायरमैन
6	सहायक–नलसाज
7	उपस्थिति रक्षक

क्रमांक	अर्धकुशल
8	परिचारक (बुल–काल्विंग लाइन्स, चौकीदार, चाफ कटर, होस्टल, शुष्क स्टॉक, अनाज भंजक, पम्प, सीकलाइन)
9	बेयरर
10	बेलचा वाला
11	भिस्ती
12	भिस्ती (मुश्क के साथ)
13	बोटमैन (मुखिया)
14	ब्रांडर
15	ब्रेकर (पत्थर, चट्टान, पहाड़ी पत्थर, पत्थर धातु)
16	ब्रेकर (मशीनी उपकरणों के इस्तमाल से)
17	ब्रेकर
18	ब्रेकमैन
19	बुलमैन
20	बटलर/रसोइया
21	बटरमैन
22	कैनवीवर
23	चेनमैन (मुखिया)
24	चार्जमैन
25	चारपाई बुनकर
26	चेकर
27	चौकीदार/वॉचमैन/नाईट गार्ड
28	क्लासमैन
29	कोचमैन
30	मोची
31	रसोइया
32	क्रैकर
33	शिशु–सदन आया/अप्रशिक्षित शिशु–सदन परिचारक
34	क्राउल्डरमैन
35	खेतिहर
36	सिलेंडर हैंडलर
37	दफ्तरी
38	डेंडी
39	डार्क रूम अटेंडेंट
40	डिलीवरी बॉय
41	डिलीवरी मैन
42	धोबी
43	डॉलीमैन
44	ड्रेसर
45	ड्रिलर
46	सुचालक (त्वचा)
47	इंजन ड्राइवर और/या फीडर
48	उत्खनक
49	फेरोमैन
50	फायरमैन

क्रमांक	अर्धकुशल
51	फायरमैन (ईट भट्टा, वाष्प, रोड रोलर)
52	फिटर
53	फिटर (सहायक अर्द्ध कुशल)
54	मशीन के साथ फर्श क्लीनर
55	फ्राश
56	गैंग
57	गेट कीपर
58	घरामी
59	ग्वाला
60	ग्रेटर
61	ग्रीजर–सह–फायरमैन
62	ग्राइंडर
63	आरी कामगार
64	हैमरमैन
65	परिचारक
66	हेल्पर (कारीगर)
67	हेल्पर (लोहार)
68	हेल्पर (लॉको–क्रेन/ट्रक)
69	हेल्पर (राजमिस्त्री/बढ़ई/लुहार)
70	हेल्पर (आराकस)
71	हाउसकीपिंग जैनिटर
72	जमादार
73	जमादार (स्टैंड)
74	कसाब
75	कीमैन
76	खलासी
77	खलासी (मुख्य पर्यवेक्षण कार्य, रिवटर्स–मोपलाह, गैंग, पर्यवक्षी)
78	खलासी (संरचनात्मक)
79	लैब अटेंडेंट
80	प्रयोगशाला सहायक
81	श्रमिक (पत्थर काटना)
82	लास्कर
83	लिफ्ट/एस्केलेटर ऑपरेटर
84	माली (मुखिया)
85	माली (वरिष्ठ)
86	मांझी (बोटमैन)
87	मसालची पी0एम0 मेट्स
88	मेट
89	मेट (लुहार/बढ़ई/सड़क)
90	मेट (पत्थर)
91	मैट/मिस्त्री
92	मजदूर (हेवी वेट)
93	मजदूर (शिक्षित)
94	मजदूर राजमिस्त्री

क्रमांक	अर्धकुशल
95	खनिक
96	मिस्त्री (मुखिया)
97	मुकाडम
98	मुक्काडेम (धात्विक बुलडोजर चालक खान विनियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाण-पत्र के बिना)
99	नलबंद
101	ऑयलमैन
102	ऑयलमैन/ऑयलर
103	स्थायी मार्ग कार्यकर्ता
104	हलवाला
105	पॉइंट्समैन सेनकम्मी
106	पम्प परिचारक
107	पम्प चालक/टर्नर
108	खदान कर्मी
109	खदान परिचारक
110	रनर (पोस्ट डाक)
111	वरिष्ठ वार्ड अर्दली
112	अस्तबल, अहाता स्टॉक
113	स्टोकर
114	स्टोकर्स और बॉयलरमैन
115	पत्थर खान तथा अर्द्धकुशल प्रकृति की किसी भी नाम से पुकारे जाने वाली श्रेणियाँ श्रमिक
116	स्टोनमैन
117	पर्यवेक्षक
118	छप्पर
119	थूमबामैन (फावड़ा कामगार)
120	टिंडेल
121	टोपाज
122	टोपकार (बड़ा पत्थर भंजक)
123	ट्रॉली जमादार
124	ट्रॉलीमैन (हैड मोटर)
125	अप्रशिक्षित मेंट/खनन मेंट/धात्विक बुलडोजर चालक खान विनियम, 1961 के अधीन सक्षमता प्रमाण-पत्र के बिना मेंट
126	वाल्वमैन
127	वाल्वमैन (वरिष्ठ)
128	वीटेकर्स
129	वेटर
130	विंचमैन
131	टिन केबले लगाने वाला वायरमैन

क्रमांक	कुशल
1	ए0सी0 ऑपरेटर
2	लेखालिपिक
3	एयर कंप्रेसर परिचर
4	एयर कंडीशनर मैकेनिक
5	एयर विनेह होलेज परिचालक
6	आर्मेचर वाइंडर (श्रेणी–दो और तीन)
7	शिल्पकार (श्रेणी–2, 3, 4)
8	सहायक (कैशियर)
9	सहायक (फार्म)
10	सहायक मिस्त्री
11	सहायक (रेडियो)
12	ऑटो इलेक्ट्रीशियन
13	बी0आई0एम0 मुकद्दम (प्रमुख)
14	बी0आई0एम0 मार्ग
15	बैटरी कार ऑपरेटर (विमानपत्तन)
16	भंडारी
17	लोहार
18	लोहार (श्रेणी–दो)
19	लोहार (चयनग्रेड, ग्रेड–दो, ग्रेड–तीन, श्रेणी–दो और तीन)
20	ब्लास्टर
21	ब्लास्टर–शॉट / फायरर
22	बॉयलर फोरमैन (ग्रेड–दो)
23	बॉयलरमैन (प्रमाण-पत्र सहित)
24	बॉयलरमैन
25	बॉयलरमैन (ग्रेड–दो और तीन)
26	बुक कीपर
27	बोरमैन
28	बोरर
29	ब्रिक लेयर
30	ब्रिक लेयर (चयन ग्रेड, श्रेणी–दो)
31	कैबिनेट बनाने वाला
32	केन मैन
33	बढ़ई
34	बढ़ई (श्रेणी–दो) बढ़ई–सह–लोहार
35	बढ़ई (चयन ग्रेड, ग्रेड–दो और तीन, श्रेणी–एक और तीन सहायक)
36	सेलोटेक्स
37	चार्जमैन
38	चेकदर (कनिष्ठ)
39	केमिस्ट और सहायक केमिस्ट
40	चिक निर्माता
41	चिकमैन (कनिष्ठ) क्रांकिट मिक्स जयोर मिक्सचर
42	चिपर
43	चिपर–सह–ग्राइंडर
47	चौकीदार

क्रमांक	कुशल
48	चौकीदार (मुख्य)
49	लिपिक/फाइल लिपिक
50	लिपिक
51	मोची
52	कम्प्रेसर परिचर
53	कम्प्रेसर ड्रिलर
54	कम्प्रेसर चालक
55	कम्प्रेसर प्रचालक
56	कम्प्यूटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर
57	क्रॉकीट मिक्सचर प्रचालक
58	रसोइया (मुखिया)
59	कोरमेकर
60	क्रेच परिचर (केवल मैग्नोसाइट, मैग्नीज और मीका माइंस में)
62	क्रशर प्रचालक
63	कटर
64	कटरमेकर चार्गमैन (द्वितीय श्रेणी और श्रेणी तीन, बढ़ई साधारण)
65	डेटा प्रविष्टि पर्यवेक्षक
66	डी0जी0 ऑपरेटर
67	डीजल इंजन
68	डीजल इंजन (ग्रेड–दो)
69	डीजल (ग्रेड–दो)
70	टर्नर
71	आहारविद
72	औषधालय परिचारक
73	डिस्टेम्परर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन (ग्रेड–दो श्रेणी–दो और श्रेणी–तीन)
74	डोजर संचालक
75	ड्राफ्टमैन
76	ड्रेसर (ग्रेड–वन) अभ्रक
77	ड्रिल मैकेनिक
78	ड्रिलर
79	ड्रिलर (कुआं खोदना)
80	चालक इंजन स्टैटिक स्टोन क्रशर, ट्रैक्टर बुलडोजर/स्टीम रोड रोलर, वाटर पंप, मैकेनिकल सहायक, रोड रोलर, मैकेनिकल, स्टीम क्रेन, बुलडोजर मैकेनिकल, सहित ट्रैक्टर, परिवहन, इंजन स्टैटिक और रोड रोलर बॉयलर परिचर
81	चालक (इंजन ट्रैक्टर, एम0टी0 मोटर)
82	चालक/ रोकड़ वाहन चालक
83	ड्राइवर ऑटो
84	चालक मोटर वाहन
85	चालक (लोको/ट्रक)
86	ब्वायलर सहित ड्राइविंग पेंटुम्स
87	डंपर ट्रैक्टर ऑपरेटर सहित
88	ई0सी0जी0 तकनीशियन
89	इलेक्ट्रीशियन
90	इलेक्ट्रीशियन (सहायक)

क्रमांक	कुशल
91	इंजन चालक
92	इंजन परिचालक (स्टोन क्रशर मैकेनिकल)
93	इंजनमैन
94	कार्यकारी हाउसकीपर (रेलवे कोच)
95	फेरो प्रिंटर सह–अध्यक्ष
96	फेरी चालक
97	खानों में केवल फायरमैन
98	फिटर
99	फिटर (चयन ग्रेड, ग्रेड–दो और तीन, श्रेणी–दो और तीन) सहायक, पाइप (श्रेणी–दो), पाइपलाइन बंद करने वाले लड्डे
100	फोरमैन
101	भूविज्ञानी
102	घरामी (प्रमुख)
103	ग्लेज़ियर (शीशा जड़ने वाला)
104	हैंडहोल्ड ड्रिलर
105	हालेज प्रचालक
106	मुख्य रसोइया
107	हेडवेटर
108	लहरा संचालक
109	ब्लास्टिंग के लिए होल्ड ड्रिलर
110	हाउसकीपिंग मशीन ऑपरेटर
111	आई0एम0सी0ई0 चालक
112	जारीकर्ता लोको
113	ज्वॉइनर
114	ज्वॉइनर (केबल, केबल ग्रेड–दो)
115	प्रयोगशाला टेक्नीशियन
116	पुस्तकालय अध्यक्ष
117	लिम्को लोडर प्रचालक
118	लाइनमैन
119	लाइनमैन (ग्रेड–दो, तीन, उच्च तनाव/ निम्न तनाव)
120	लोडर प्रचालक
121	लोको ड्राइवर
122	लॉरी (ग्रेड–दो)
123	एम0सी0 लिपिक
124	मशीन हैंड (श्रेणी– 2, 3, 4)
125	मशीनरमैन
126	मशीनरी परिचर
127	पत्रिका लिपिक
128	राजमिस्त्री (घरामी)
129	राजमिस्त्री
130	राजमिस्त्री (चयन ग्रेड, ग्रेड–दो और तीन और कक्षा–बी मिस्त्री)
131	राजमिस्त्री (श्रेणी–क)
132	राजमिस्त्री (श्रेणी–दो)
133	मेट (ग्रेड–वन) (वरिष्ठ)

क्रमांक	कुशल
134	मैकेनिक
135	मैकेनिक ग्रेड दो एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग ग्रेड दो
136	मैकेनिक (ट्यूबवेल)
137	मैकेनिक/मशीनिस्ट
138	मैकेनिकल रोड रोलर आई0सी0 और सीमेंट मिक्सर आदि
139	चिकित्सा सामाजिक कामगार
140	मीटर रीडर
141	मौसम अवलोकनकर्ता नवघानी
142	अभ्रक कटर (ग्रेड–वन)
143	प्रसाविका
144	मिल्क राइटर
145	खान ग्रेड–वन
146	खनन इंजन चालक ग्रेड–दो
147	धात्विक खान विनियम, 1961 के तहत योग्यता प्रमाण-पत्र के साथ खनन मेट
148	मिस्त्री
149	मिस्त्री (मुखिया)
150	मिस्त्री (ग्रेड–दो), एयर कंडीशनिंग (ग्रेड–दो) (पी०वे०,सर्वे , संतरा कार्य)
151	मिस्त्री (स्टील, ट्यूबवेल, टेलीफोन)
152	मोटर लॉरी
153	मोटर वाहन (चयन ग्रेड)
154	मोटर लॉरी (ग्रेड–दो)
155	माउल्डर
156	माउल्डर (ईंट, टाइल)
157	मुकद्दम (धात्विक खान विनियमन, 1961 के तहत क्षमता प्रमाण-पत्र)
158	मुंशी
159	मुंशी (मैट्रिकुलेट, गैर मैट्रिकुलेट)
160	मस्टर राइटर
161	नर्सिंग सिस्टर
162	प्रचालक (बैचिंग संयंत्र, सिनेमा परियोजना, क्लैम सेल्फ, कंप्रेसर, ग्रेन, डोरिक, डीजल इंजन, डोजर, ड्रगलिंग ड्रिल डंबर, उत्खनक, फार्कलिफ्ट जेनरेटर, ग्रेडर, जैक हैमर और पाइमेंट ब्रेकर लोडर, पंप, पाइल ड्राइविंग, स्क्रेपर, स्क्रीनिंग संयंत्र, शोवल, ट्रैक्टर, वाइब्रेटर, वेट बेचर, रेलवे गार्ड, मरम्मत (बैटरी)
163	ऑपरेटर
164	प्रचालक (ट्यूबवेल)
165	ऑपरेटर न्यूनेट्रिक उपकरण, ऑपरेटर (फिटर)
166	साधारण मैकेनिक
167	पेंटर
168	पेंटर (चयन ग्रेड, ग्रेड–दो और तीन, श्रेणी–दो, सहायक लोटर और पालिशगर, पालिशगर, रफ)
169	पेंटर स्प्रे (श्रेणी–दो)
170	एयरलाइन्स काउंटर पर काम करने वाले व्यक्ति (विमानपत्तन)
171	किट नियंत्रण
172	फार्मासिस्ट
173	फिजियोथेरेपिस्ट/ थेरेपिस्ट
174	पाइप फिटर
175	लेपक

क्रमांक	कुशल
176	लपक राज मिस्त्री (ग्रेड–दो)
177	नलसाज
178	प्लंबर (चयन ग्रेड, श्रेणी–दो, सहायक लोटर और पॉलिशर, रफ)
179	प्लंबर (चयन ग्रेड, श्रेणी–दो, सहायक वरिष्ठ, जूनियर, मिस्त्री ग्रेड–दो)
180	प्लंबर–सह–फिटर
181	पाइप लाइन मिस्त्री
182	पॉलिशर
183	पॉलिशर (तल)
184	पॉलिशर (स्प्रे के साथ) (ग्रेड–दो)
185	पावर और पंप हाउस प्रचालक
186	फावड़ा ऑपरेटर
187	केवल जिप्सम, बेराइट्स और रॉक फॉस्फेट में पंप परिचर
188	पंप चालक
189	पंप चालक (चयन ग्रेड) (ग्रेड दो और तीन) (श्रेणी–दो)
190	पंपमैन चालक, अभ्रक खानों में ग्राइंडर
191	पंप ऑपरेटर/चालक
192	पंपमैन (सहायक)
193	पंप चालक (चयन ग्रेड, पी0ई0, चालक)
194	रेडियोग्राफर
195	रतन मैन
196	रिकॉर्ड धारक
197	रजिस्टर कीपर
198	सुदृढ़ीकरण–सह–मकैनिक, मकैनिक और प्लंबर
199	रिबेट कटर (सहायक)
200	रिबिटर
201	रिविटर (कटर)
202	सड़क निरीक्षक (ग्रेड–दो), रेलवे प्लेटलेयर
203	रोड रोलर ड्राइवर
204	रोड रोलर (ग्रेड–दो)
205	रोड बेंडर
206	आराकस
207	आराकस (चयन ग्रेड श्रेणी–दो) सेरंग
208	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र)
209	सुरक्षा गार्ड (अशस्त्र) और अन्य वर्ग जो भी नाम से कुशल प्रकृति के हैं
210	वरिष्ठ मकेनिक
211	सेरंग पाइल
212	शेप्समैन
213	शार्पर/स्लोटर
214	पाली प्रभारी
215	फावरा प्रचालक
216	सिरधर लेथ मैन
217	कुशल मजदूर
218	स्प्रेअर (असॉल्ट) स्टेशन मास्टर
219	स्पेयरमैन

क्रमांक	कुशल
220	स्प्रेयरमैन (सड़क)
221	स्टाफ नर्स (श्रेणी–ख)
222	स्टेशनरी इंजन परिचर जेनरेटर ऑपरेटर, लोडिंग फोरमैन
223	स्टोन (स्टोन क्लास–दो, ईंट वर्क, स्टोन वर्क)
224	स्टोन ब्लास्टरर
225	स्टोन चिसलर
226	स्टोन चिसलर (श्रेणी–दो)
227	स्टोन क्रेशर प्रचालक
228	पत्थर काटने वाला
229	पत्थर काटने वाला (चयन ग्रेड) (ग्रेड–दो श्रेणी–दो)
230	स्टोर परिचर
231	स्टोर लिपिक
232	स्टोर लिपिक (मैट्रिकुलेट, गैर मैट्रिकुलेट)
233	स्टोर जारीकर्ता
234	स्टोर कीपर
235	स्टोर कीपर ग्रेड–एक, ग्रेड–दो मैट्रिकुलेट
236	उप–पर्यवेक्षक (निर्रहक)
237	सुपरफोरमैन
238	पर्यवेक्षक
239	पर्यवेक्षी फायरमैन
240	सुपरवाइजरी मकेनिक
241	भूतल पर्यवेक्षक
242	पर्यवेक्षक सिल्ट
243	पर्यवेक्षक
244	पर्यवेक्षक (सहायक)
245	दर्जी
246	दर्जी (तोशक)
247	टेली लिपिक
248	टारमैन
249	तकनीकी सहायक / वैज्ञानिक सहायक
250	टेलीफोन ऑपरेटर, टाइपिस्ट
251	टेलेक्स या टेलीफोन ऑपरेटर
252	टेलर लिपिक
253	टिकट वेंडर (मेट्रो)
254	टाइल बिछाना
255	टाइलर (चयन ग्रेड)
256	टाइलर (श्रेणी–दो)
257	टिंबरमैन / टिंबर मिस्त्री विद्युत
258	टाइमकीपर
259	टाइमकीपर (मैट्रिकुलेट, नॉन मैट्रिकुलेट)
260	टिन स्मिथ (चयन ग्रेड, ग्रेड–दो और तीन, श्रेणी–दो)
261	टिन स्मिथ
262	औजारधारक
264	ट्रैक्टर चालक

क्रमांक	कुशल
265	ट्रैक्टर ऑपरेटर, टब रिपेयरर, खराद मिस्त्री
266	ट्रेड्स मैन
267	ट्रेलर्स
268	ट्रेन जांचकर्ता
269	ट्रांस प्रेयर
271	टर्नर/मिलर
272	टाइपिस्ट और अन्य श्रेणी जो भी नाम से पुकारना हैं जो लिपिक प्रकृति के हैं
273	टायर वल्केनाइजर
274	पोशिश साज
275	अपोलोस्टर (ग्रेड–दो और तीन)
276	वॉल्वमैन
277	वाहन चालक
278	दीवार (फर्श, छत)
279	वेल्डर
280	वेल्डर (श्रेणी–दो, ब्रिजकार्य)
281	वेल्डर गैस
282	वेल सिंकर
283	व्हाइट वॉशर
284	व्हाइट वॉशर (चयन ग्रेड, द्वितीय श्रेणी)
285	व्हाइट वॉशिंग और कलर वाशिंग मैन
286	विंडिंग इंजन चालक ग्रेड–दो
287	वायरलेस संचालक सहायक फोरमैन
289	वायरमैन
290	लकड़हारा
291	लकड़हारा श्रेणी–दो
292	लकड़हारा (चयनग्रेड)
293	कार्य (सहायक)
294	कार्यमिस्त्री
295	कार्य मुंशी
296	कार्य मुंशी (अधीनस्थ)
297	वर्कशकर

क्रमांक	अति-कुशल
1	लेखाकार
2	एयर कंडीशनिंग ग्रेड–एक/श्रेणी एक, मिस्त्री ग्रेड–एक
3	आर्मेचर विंडर ग्रेड–एक
4	आर्टिफिशियल श्रेणी–एक
5	लोहार श्रेणी–एक
6	लोहार ग्रेड–एक और श्रेणी–एक
7	बॉयलरमैन फोरमैन ग्रेड–एक
8	बॉयलरमैन ग्रेड– एक
9	ईंट परत श्रेणी–एक
10	केबल जॉइनर ग्रेड–एक
11	बढ़ई ग्रेड–एक और श्रेणी–एक

क्रमांक	अति-कुशल
12	सेलो कटर और डेकोरेटर
13	चार्जमैन श्रेणी–एक
14	चापर सीटर ग्रेड–एक
15	चेकर (सीनियर) ड्राइवर लॉरी ग्रेड–एक
16	क्लैम्प शैल ग्रेड–वन
17	कम्पाउंडर
18	कंप्रेसर ग्रेड–वन
19	क्रेन ग्रेड–वन
20	डीजल इंजन ग्रेड–वन
21	डोजर ग्रेड–वन
22	ड्रैग लाइन (ग्रेड–एक)
23	ड्रिल ग्रेड–एक
24	जैक हैमर के अतिरिक्त ड्रिल ऑपरेटर
25	डंपर ग्रेड–एक
26	योग्यता प्रमाण-पत्र सहित विद्युत पर्यवेक्षक
27	खुदाई ग्रेड–एक
28	फिटर (ग्रेड–एक, श्रेणी–एक)
29	फोरमैन (सहायक) लाइनमैन ग्रेड–एक राजमिस्त्री (कुशल ग्रेड–एक श्रेणी–एक)
30	कांटा लिफ्ट ग्रेड–एक
31	जेनरेटर ग्रेड–एक
32	ग्रेडर ग्रेड–वन
33	चक्की (उपकरण) ग्रेड–एक
34	हस्त श्रेणी– एक
35	मुख्य इलेक्ट्रीशियन
36	मुख्य मकैनिक
37	वॉच और वार्ड के प्रभारी
38	लीडर ग्रेड–एक
39	मशीन
40	मशीन टूल मकेनिक
41	राजमिस्त्री श्रेणी–एक
42	मकेनिक (डीजल ग्रेड–एक और रोड रोलर ग्रेड–एक)
43	मकैनिक (वरिष्ठ)
44	मकेनिक श्रेणी–एक और श्रेणी–दो
45	मकेनिकल/ प्लांट फोरमैन
46	खनन पर्यवेक्षक
47	मिस्त्री एयर कंडीशनिंग ग्रेड–एक
48	मिस्त्री ग्रेड–एक
49	मोटर लॉरी ग्रेड–एक
50	मोटर व्हीकल श्रेणी–एक और डीजल इंजन ग्रेड–एक
51	प्रचालक (बैचिंग प्लांट) ग्रेड–एक
52	ऑपरेटर (भारी मिट्टी उठाने वाली बेलचा और बुलडोजर)
53	ओवरसीयर (सीनियर और जूनियर)
54	पेंटर (ग्रेड–एक श्रेणी–एक स्प्रे) प्लास्टर (राजमिस्त्री) श्रेणी–एक
55	पाइल ड्राइविंग ग्रेड–एक

क्रमांक	अति-कुशल
56	पाइप श्रेणी (श्रेणी–एक) (मुख्य)
57	प्लम्बर (मुख्य) (श्रेणी–एक)
58	पालिशगर (स्प्रे ग्रेड–एक)
59	पम्प क्लास इलेक्ट्रीशियन ग्रेड–एक और श्रेणी–एक/ग्रेड एक
60	पम्प ग्रेड
61	पम्प ग्रेड–एक
62	योग्य और अनुभवी वेल्डर
63	रिगर ग्रेड–एक
64	रिगर ग्रेड–दो
65	रोड इंस्पेक्टर (ग्रेड–एक)
66	रोड रोलर ग्रेड–एक
67	लकड़हारा श्रेणी–एक
68	स्क्रेपर ग्रेड–एक
69	स्क्रीनिंग प्लांट ग्रेड–एक
70	सुरक्षा गार्ड (सशस्त्र)
71	सिक्योरिटी गार्ड (सशस्त्र) और अन्य श्रेणियों को जो भी नाम से बुलाया जाता है जो अत्यधिक कुशल प्रकृति के हैं
72	शिफ्ट प्रभारी
73	फावड़ा और ड्रैगलाइन
74	फावड़ा और ड्रैग लाइन ट्रैक्टर ग्रेड–एक
75	बेलचा ग्रेड–वन
76	स्टाफ नर्स श्रेणी–क
77	सात वर्ष की सेवा वाले स्टेनो
78	स्टोन चिस्लर श्रेणी–एक
79	स्टोनकटर ग्रेड–एक
80	स्टोन मेशन श्रेणी–एक
81	स्टोर प्रभारी
82	उप ओवरसीयर (कुशल)
83	पर्यवेक्षक
84	सर्वेयर
85	टीलर श्रेणी–एक
86	टीन स्मिथ ग्रेड–एक और श्रेणी–एक
87	ट्रैक्टर ग्रेड–वन
88	ट्रेडसमैन क्लास–एक
89	टर्नर मिलर ग्रेड–एक
90	टायर वेलकुलर ग्रेड–वन
91	अंडरग्राउंड शिफ्ट बॉस
92	गद्दी लगाने वाला ग्रेड–एक
93	वार्निश करने वाला श्रेणी–एक
94	वाइब्रेटर ग्रेड–वन
95	व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रशिक्षक/शिक्षक
96	वेल्डर (गैस) श्रेणी–एक
97	वेल्डर–कम–फिटर और एयर कंडीशनिंग मकैनिक
98	व्हाइट वॉशर श्रेणी–एक
99	विंडिंग इंजन चालक
100	वायरमैन ग्रेड–एक श्रेणी–एक
101	लकड़हारा श्रेणी–एक
102	कार्य (सहायक) ग्रेड–एक
103	मस्त रिग
104	हाउसकीपिंग पर्यवेक्षक
105	कैश/ए0टी0एम0 कस्टोडियन
106	कैश वैन सशक्त सुरक्षा गार्ड

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1377/XXXVI-03-2026-1901341, dated August 12, 2026:

No. 1377/XXXVI-03-2026-1901341

Dated Lucknow, August 12, 2026

WHEREAS the draft of the Uttar Pradesh Code on Wages Rules, 2026 was published as required under sub-section (1) of Section 67 of the Code on Wages, 2019 (Act no. 29 of 2019) in the Official *Gazette vide* notification no. 426/36-03-2026-1901341, dated 10th of March, 2026 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days from the date on which the *Gazette* containing the said notification was made available to the public;

AND WHEREAS, the aforesaid notification was made available to the public on the 10th of March, 2026;

AND WHEREAS, suggestions and objections received from persons and stakeholders have been duly considered by the State Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of Section 67 of the Code on Wages, 2019 (Act no. 29 of 2019) *read* with Section 24 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of the,-

(a) Uttar Pradesh Payment of Wages Rules, 1936;

(b) Uttar Pradesh Minimum Wages Rules, 1952;

(c) Uttar Pradesh Code on Wages Rules, 2021

except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor is pleased to make the following rules, namely:-

THE UTTAR PRADESH CODE ON WAGES RULES, 2026

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Code on Wages Rules, 2026.

(2) They shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Official *Gazette*.

Definitions

2.(1) In these rules, unless the subject or context otherwise requires, —

(a) "Authority" means the authority appointed by the State Government under sub-section (1) of Section 19 and sub-section (1) of Section 45;

(b) "Appellate authority" means the appellate authority appointed by the State Government under sub-section (1) of Section 49;

(c) "Appeal" means an appeal preferred under sub-section (1) of Section 49;

(d) "Board" means the State Advisory Board constituted by the State Government under sub-section (4) of Section 42;

(e) "Chairperson" means the Chairperson of the Board;

(f) "Code" means the Code on Wages, 2019 (Act no. 29 of 2019);

(g) "Committee" means a committee appointed by the State Government under clause (a) of sub-section (1) of Section 8;

(h) "Day" means a period of 24 hours beginning at mid-night;

(i) "Electronically" means any information submitted by e-mail or maintained or displayed on the designated portal or mobile application or website or digital payment in any mode for the purposes of the Code;

(j) "Form" means a form appended to these rules;

(k) "Geographical area" means the areas notified as such by the State Government from time to time;

(l) "Highly skilled occupation" means an occupation which calls in its performance a specific level of perfection and required competence acquired through intensive technical or professional training or practical occupational experience for a considerable period and also requires of an employee to assume full responsibility for his judgment or decision involved in the execution of such occupation;

(m) "Inspector-*cum*-Facilitator" means a person appointed by the State Government, by notification under sub-section (1) of Section 51;

(n) "Member" means a member of the Board and includes its Chairperson;

(o) "Normal rate of wage" means wage as defined under Clause (y) of Section 2;

(p) "Officer" means an officer appointed by the State Government under sub-section (1) of Section 53;

(q) "Registered trade union" means a trade union registered under Industrial Relations Code, 2020 (Act no. 35 of 2020);

(r) "Section" means a Section of the Code;

(s) "Semi-skilled occupation" means an occupation which in its performance requires the application of skill gained by the experience on job which is capable of being applied under the supervision or guidance of a skilled employee and includes supervision over the unskilled occupation;

(t) "Skilled occupation" means an occupation which involves skill and competence in its performance through experience on the job or through training as an apprentice in a technical or vocational institute and the performance of which calls for initiating and judgment;

(u) "Unskilled occupation" means an occupation which in its performance requires the application of simply the operating experience and involves no further skills.

(2) Words and expressions used herein in these rules and not defined but defined in the Code shall have the meanings respectively assigned to them under the Code.

CHAPTER-II

MINIMUM WAGES

Manner of calculating the rate of wages per hour and per month under sub-section (5) of Section 6

3.(1) For the purposes of sub-section (5) of Section 6, the minimum rate of wages shall be fixed by the day basis keeping in the view the criteria which shall be separately specified by the State Government by the special or general order:

Provided that the State Government shall not fix the minimum wages of the State Government employees under this Code.

(2) When the rate of wages for a day is fixed, then, such amount shall be divided by eight for fixing the rate of wages for an hour and multiplied by twenty six for fixing the rate of wages for a month and in such division and multiplication the factors of one-half and more than one-half shall be rounded as next figure and the factors less than one-half shall be ignored.

(3) In case there is less than six days working week, the hourly rate of minimum wages so calculated shall be used to derive the minimum wages for the day.

Criteria for fixing the minimum rate of wages under clause (c) sub-section (6) of Section 6

4. For the purposes of sub-section (6) of Section 6, the minimum rate of wages shall be fixed on the day basis keeping in view the following criteria, namely:-

(a) the standard working-class family which includes a spouse and two children apart from the earning employee; an equivalent of three adult consumption units;

(b) a net intake of 2700 calories per day per consumption unit;

(c) 66 meters cloth per year per standard working class family;

(d) housing rent expenditure to constitute 10 percent of food and clothing expenditure;

(e) fuel, electricity and other miscellaneous items of expenditure to constitute 20 percent of minimum wage;

(f) expenditure for children education, medical requirement, recreation and expenditure on contingencies to constitute 25 percent of minimum wage.

Norms of fixation of minimum rate of wages and the arduousness of work to be considered under sub-section (6) of Section 6

5.(1) While fixing the minimum rates of wages under section 6, the State Government shall take into account the followings:–

(i) geographical area;

(ii) experience in the area of employment; and

(iii) level of skill required for working under the categories of unskilled, semi skilled, skilled and highly skilled:

Provided that the State Government shall not fix minimum wages and allowances of State Government employees under this Code.

(2) The State Government shall constitute a technical committee for the purpose of advising the State Government in respect of skill categorization of occupation, arduousness of work, hazardous occupations or processes and underground work and like other categorization, which shall consist of the following members, namely:-

(a) Labour Commissioner, Uttar Pradesh - Chairperson;

(b) Director, Employment – Member;

(c) Mission Director, Uttar Pradesh Skill Development Mission or his representative - Member;

(d) Commissioner and Director, Industries, Uttar Pradesh or his representative- Member;

(e) Director of Factories – Member;

(f) Additional/Deputy Labour Commissioner, UP (Enforcement)- Member;

(g) Additional/Deputy Labour Commissioner, UP (Industrial Relations)– Member - Secretary;

(h) Two technical experts in wage determination as nominated by the State Government - Members;

(i) Two representatives each of employers and employees who are experts in the area of skill development - Members;

(3) The State Government may, on the advice of the technical committee referred to in sub-rule (2), by notification amend the Schedule-A in respect of categorization of occupations into unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled by modifying, inserting or omitting, any entry in respect of occupations specified in the said Schedule.

(4) The technical committee referred in sub-rule (2) while advising the State Government, shall take into account, to the possible extent, the national classification of occupation or national skills qualification framework or other similar frame work for the time being formulated by Central Government to identify occupations.

Interval for revision of variable dearness allowance under clause (a) of sub-section (1) of Section 7

6. The cost of living allowance and the cash value of the concession in respect of essential commodities at concession rate shall be computed once before 1st April and then before 1st October in every year to revise the variable dearness allowance payable to the employees on the minimum wages considering the Average Consumer Price Index Number for Industrial Workers published by the Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, Government of India.

Constitution of Committees to fix and revise minimum wages for the purpose of Section 8

7. (1) The State Government shall constitute one or more committees for the purpose to fix minimum wages for the first time in any category or to revise minimum wages or to enquire about skill categorization to advise the State Government, which shall consist of the following members, namely:-

(i)	Labour Commissioner, Uttar Pradesh	Chairperson
(ii)	Additional Labour Commissioner as nominated by Labour Commissioner, Uttar Pradesh	Member
(iii)	A representative from the Department of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of Uttar Pradesh	Member
(iv)	Director of Employment, Government of Uttar Pradesh	Member
(v)	Two technical experts in wage determination as nominated by the Labour Commissioner, Uttar Pradesh	Member
(vi)	Three persons representing employers as nominated by Labour Commissioner, Uttar Pradesh	Member
(vii)	Three persons representing employees as nominated by Labour Commissioner, Uttar Pradesh	Member
(viii)	One Deputy/Assistant Labour Commissioner nominated by Labour Commissioner	Member-Secretary

(2) The committee referred in sub-rule (1) shall, while advising the State Government, take into account, to the possible extent, the State classification of occupation or State skills qualification framework or other similar framework for the time being formulated to identify occupations.

(3) The State Government on the advice of the Committee constituted under sub-rule (1) shall categorize the occupations of the employees in four categories *i.e.* unskilled, semi-skilled, skilled and highly skilled by modifying, deleting or adding an entry in the categorization of such of operation specified in Schedule-A of these rules.

(4) The State Government may for the purposes specified under clause (a) of sub-section (1) of Section 8, constitute such number of Committees, as it considers necessary.

Circumstances under clause (ii) of the proviso to Section 10

8. An employee shall not be entitled to receive wages for a full normal working day under section 10, in case the employee has agreed to work on part time basis as per the terms of the employment or not entitled to receive such wage under any other labour law for the time being in force.

Number of hours of work which shall constitute a normal working day for the purpose of sub-section (1) of Section 13

9.(1) The number of hours of work which shall constitute a normal working day, for an employee whose wage period is on a daily basis shall be eight hours and interval for rest shall be in accordance with notification issued in this regard under Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020).

(2) The number of hours of work which shall constitute a normal working day for an employee whose wage period is other than on a daily basis shall be so fixed that the total number of weekly working hours shall not exceed forty-eight hours.

Determination of weekly rest day for the purpose of sub-section (1) of Section 13 and payment to be made in relation to the work done on the rest day

10.(1) Subject to the provisions of this Rule, an employee shall be allowed rest for one day or more than one day as the case may be, every week (hereinafter referred to as "the rest days") which in case of six day week shall ordinarily be Sunday and in case less of than six day week shall include Saturday and Sunday, however, the employer may fix any other days of the week as the rest days for any employee or class of employees:

Provided that in a six day working week or less than six days working week, as the case may be, the remaining days of the week shall be paid rest days for such employees:

Provided further that an employee shall be entitled for the rest days under this sub-rule if he has worked under the same employer in case of six day week for a continuous period of not less than six-days and in case of less than six day working week for a continuous period of the stipulated number of working days as the case may be:

Provided also that the employee shall be informed of the days fixed as the rest days and of any subsequent change in the rest days before the change is effected, by display of a notice to that effect at a conspicuous place in the place of employment or electronically.

Explanation:- For the purpose of computation of the continuous period of not less than six days or the stipulated number of working days in a week specified in the second proviso to this sub-rule,–

(a) any day on which an employee is required to attend for work but is given only an allowance for attendance and is not provided with work;

(b) any day on which an employee is laid off on payment of compensation under the Industrial Relations Code, 2020 (Act no. 35 of 2020); and

(c) any leave or holiday, with or without pay, granted by the employer to an employee in the period of six days or during the stipulated number of working days of a week as the case may be, immediately preceding the rest days, shall be deemed to be days on which the employee has worked.

(2) Any such employee shall not be required or allowed to work on the rest day unless he has or shall have a substituted rest day for a whole day on one of the working days in a week immediately before or after the rest day:

Provided that no substitution shall be made which will result in the employee working for more than ten days consecutively without a rest day for a whole day.

(3) Where in accordance with the sub-rules (1) and (2), any employee works on a rest day and has been given a substituted rest day on any one of the working days before or after the rest day, the rest day shall, for the purpose of calculating the weekly hours of work, be included in the week in which the substituted rest day occurs.

(4) An employee shall be granted, for rest day, wages calculated at the rate applicable to the previous working day; and where he works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid wages for the rest day on which he worked, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the previous working day:

Provided that in case of six day week where-

(a) the minimum rate of wages of the employee as notified under the Code has been worked out by dividing the minimum monthly rate of wages by twenty- six; or

(b) the actual daily rate of wages of the employee has been worked out by dividing the monthly rate of wages by twenty-six and such actual daily rate of wages is not less than the notified minimum daily rate of wages of the employee, then, no wages for the rest day shall be payable; and

(c) the employee works on the rest day and has been given a substituted rest day, then, he shall be paid, only for the rest day on which he worked, an amount equal to the wages payable to him at the overtime rate, which shall not be less than twice the normal rate of wages,

and, if any dispute arises whether the daily rate of wages has been worked out in accordance with the provisions of this proviso, the Labour Commissioner, Uttar Pradesh or the Additional/Deputy Chief Labour Commissioner having territorial jurisdiction may, on application made to him in this behalf, decide the same, after giving an opportunity to the parties concerned to make written representations:

Provided further that in case of an employee governed by a piece-rate system, he shall be paid wages for the rest day on which he works, at the overtime rate and wages for the substituted rest day at the rate applicable to the previous working day.

***Explanation*:-** For the purposes of this sub-rule the words "previous working day" means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day or the substituted rest day, as the case may be; and where the substituted rest day falls on a day immediately after the rest day, the previous working day means the last day on which the employee has worked, which precedes the rest day.

(5) The provisions of this rule shall not operate to the prejudice of more favourable terms, if any, to which an employee may be, entitled under any other law or under the terms of any award, agreement or contract of service, and in such a case, the employee shall be entitled only to more favourable terms aforesaid.

***Explanation*:-** For the purposes of this rule, 'week' shall mean a period of seven days beginning at midnight on Saturday night.

Determination of night shift under sub-section (1) of Section 13

11. Where an employee in an employment works on a shift which extends beyond midnight, then:-

(a) a rest day for the whole day for the purposes of rule 10 shall, in this case means a period of twenty-four consecutive hours beginning from the time when his shift ends; and

(b) the following day in such a case shall be deemed to be the period of twenty-four hours beginning from the time when such shift ends, and the hours after midnight during which such employee was engaged in work shall be counted towards the previous day.

The extent and conditions under sub-section (2) of Section 13

12. The number of working hours for certain categories of employees under sub-section (2) of Section 13 may exceed the normal working hours specified in Rule 9:

Provided that the overtime of these categories of implied shall be as per Section 14.

Longer wage period under Section 14

13. For the purpose of wages, the wage period shall not be more than a month.

CHAPTER-III
PAYMENT OF WAGES

Manner of recovery of deductions made under sub-section (4) of Section 18

14. As per sub-section (4) of Section 18, where the total deductions authorised under sub-section (2) of Section 18 exceed fifty percent of the wages of an employee, the access shall be carried forward and recovered from the wages of succeeding wage period. In instalments so that the recovery in any month shall not exceed the fifty percent of the wages of the employee in that month.

The Authority under sub-section (1) of Section 19

15. The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner having jurisdiction over the place of work of the employee concerned shall be the authority for the purposes of sub-section (1) of Section 19.

The manner of exhibiting the notice under sub-section (2) of Section 19

16. A notice referred to in sub-section (2) of Section 19 shall be displayed in physical form or electronically in Hindi and English at the conspicuous places in the premises of the workplace in which the employment is carried on, so that every concerned employee would be able easily to read the contents of the notice and a copy of the notice shall be sent to the Inspector-cum-Facilitator and regional Additional/Deputy Labour Commissioner having jurisdiction, speed post or electronically within forty-eight hours.

The procedure under sub-section (3) of Section 19 to impose fine and format of register to be maintained under sub-section (8) and manner to expense the amount of fine

17.(1) Every employer requiring the approval to impose fines in respect of any act or omission on the part of the employed person shall send to the regional Additional/ Deputy Labour Commissioner and having jurisdiction:–

(a) a list, in duplicate, clearly defining such acts and omissions;

(b) in cases where the employer himself does not intend to be the sole person empowered to impose fines, a list in duplicate, showing those appointments in the establishment of which the incumbents may pass orders imposing fines and the class of establishment on which the incumbent of each such appointment may impose fines.

(2) The Authority mentioned in sub-rule (1), on receipt of the list may, after such enquiry as he considers necessary, pass orders either:–

(a) disapproving the list;

(b) approving the list either in its original form or as amended by him, in which case such list shall be considered to be an approved list:

Provided that no order disapproving or amending any list shall be passed unless the employer shall have been given an opportunity of showing cause in writing why the list, as submitted by him should be approved.

(3) The employer shall display at the main entrance and on notice board of the establishment a copy of such approved list in English together with a literal translation in Hindi.

(4) No fine may be imposed by any person other than an employer or a person holding an appointment named in the list submitted under clause (b) of sub-rule (1).

(5) As per sub-section (3) of Section 19, the employer shall give intimation electronically or in writing to the employee concerned specifying therein the particulars of acts and omissions done by the employee, warranting the imposition of fine for showing cause within seven days.

(6) On establishment of charges, fine shall be imposed on the delinquent employee.

(7) Wherein no reply is received from the employee within the scheduled period, fine shall be imposed and the same shall be intimated to the employee within fifteen days of the implementation of such fine.

(8) The person imposing a fine or directing the making of deduction for damage or loss shall without unnecessary delay inform the employer of all particulars and the employer shall maintain the details of such fines or deductions in a register as mentioned in Form-I.

(9) The amount so accumulated, by way of all sorts of deductions, fines and realisations shall be applied only to such beneficial purposes to the persons employed in the establishment through such welfare schemes or measures, to be prepared by the employer and approved by Labour Commissioner, Uttar Pradesh or Additional Labour Commissioner/ Deputy Labour Commissioner, having territorial jurisdiction:

Provided that, nothing in these rules, prevents the employer to contribute any amount for these welfare measures or schemes meant for these purposes.

Manner of deduction and intimation of deduction under the proviso of sub-section (2) of Section 20

18.(1) Where an employer desires to make deductions under proviso to sub-section (2) of Section 20, the employer shall intimate electronically or in writing to the employee concerned regarding their intention of making such deduction seeking their reply within a period of seven days and on establishment of charges deduction shall be made from the wages of the employee in accordance with sub-section (3) of Section 18.

(2) If no reply is received from the employee concerned within seven days, the employer shall make such deduction from the wages and the same shall be intimated to the employee within fifteen days of the date of such deduction.

Procedure for deduction for damage or loss under sub-section (1) of Section 21 and entry in registers under sub-section (3)

19. Any employer, desiring to make deduction for damages or loss under sub-section (1) of Ssection 21, from the wages of an employee:–

(i) shall give the employee an opportunity to submit explanation within a period of seven days, showing cause, the value of the damage caused or loss of goods expressly entrusted to the employee.

(ii) On establishment of the charges, deduction shall be made from the wages of the employee in accordance with sub-section (3) of Section 18.

(iii) In case no reply is received from the employee concerned within seven days, the employer shall make such deduction from the wage of the employee concerned and the same shall be intimated to the employee within fifteen days of the date of such deduction.

(iv) The employer shall record such deductions in register as specified in Form-I.

Conditions regarding recovery of advance under Section 23

20. The recovery, as the case may be, of:–

(i) advances of money given to an employee after the employment begins under clause (b) of section 23; or

(ii) advances of wages to an employee not already earned under clause I of Section 23,

as the case may be, shall be made by the employer from the wages of the concerned employee in installments determined by the employer, so as any or all installments in a wage period shall not exceed fifty percent of wages of the employee subject to the celling specified in Rule 14 in that wage period and the particulars of such recovery shall be recorded in the register maintained in Form-I.

Extent of loan and deduction under Section 24

21. The extent of loans granted under clause (g) of sub-section (2) of Section 18 and the deductions for recovery of such loans granted for house building or other purposes approved by the Central or State Government, and the interest due in respect thereof shall be, subject to any direction made or circular issued by the Central or State Government from time to time regulating the extent to which such loans may be granted, and the rate of interest shall be payable thereon.

CHAPTER-IV

STATE ADVISORY BOARD

Constitution of State Advisory Board, its Committees and sub-committees under sub-section (4) of Section 42

22.(1) The State Government shall constitute a State Advisory Board for the purpose of sub-section (4) of Section 42.

(2) The Board shall consist of the persons to be nominated by the State Government representing employers and employees, as specified in clauses (a) and (b) of sub-section (6) of Section 42 and the independent persons of that sub-section as specified in clause (c).

(3) The persons representing employers as referred to in clause (a) of sub-section (6) of Section 42 shall not be less than twelve and the persons representing employees referred to in clause (b) of that sub-section shall also not be less than twelve.

(4) Independent Persons referred under clause (c) of sub-section (6) of Section 42, to be nominated by State Government in State Advisory Board shall consist of following: -

(i) Minister for Labour and Employment, Government of Uttar Pradesh– *ex-officio* Chairperson;

(ii) Two nominated members of State Legislature;

(iii) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Labour and Employment, Government of Uttar Pradesh;

(iv) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Finance, Government of Uttar Pradesh;

(v) Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Industries, Government of Uttar Pradesh;

(vi) Two members having expertise on wage and labour related matters;

(5) The Labour Commissioner, Uttar Pradesh shall be Member-Secretary of State Advisory Board.

(6) The State Advisory Board may constitute one or more Committees or sub-committees in accordance with sub-section (6) of Section 42. The Chairperson of the Committees and sub-committees, formed by the Board shall be appointed by the Board and the so chairperson, shall be a member from the independent members of the Board.

(7) The State Government shall, while nominating the members of the Board, take into account that the independent members under sub-rule (2) shall not exceed one third of the total members of the Board and minimum one third of the members of the Board shall be women.

Meeting of the Board, Committees and sub-committees under sub-section (10) of Section 42

23. The Chairperson of the Board or Committees or sub-committees constituted by Board, as the case may be, may, subject to the provisions of Rule 22 call a meeting of the Board at any time he thinks fit:

Provided that on requisition in writing from not less than one half of the members, the Chairperson shall call a meeting within thirty days from the date of receipt of such requisition.

Notice of meetings of the Board, Committees and sub-committees

24. The Chairperson shall fix the date, time and place of every meeting and a notice in writing containing the aforesaid particulars along with a list of business to be conducted at the meeting shall be sent to each member by registered post and electronically at least fifteen days before the date fixed for such meeting:

Provided that in the case of an emergent meeting, notice of seven days only may be given to every member.

Functions of the Chairperson

25. The Chairperson shall:–

(i) preside at the meetings of the Board:

Provided that in the absence of the Chairperson at any meeting, the Chairperson shall nominate a person, amongst the members of the Board, to preside at such meeting;

(ii) decide agenda of each meeting of the Board;

(iii) wherein the meeting of the Board, if any, issue must be decided by voting, conduct the voting and count or cause to be counted the secret voting in the meeting.

Quorum

26. No business shall be transacted in a meeting if at least one-third of the members and at least one member each from employers and employees are present in a meeting:

Provided that, if at any meeting less than one-third of the members are present, the Chairperson may adjourn such a meeting for maximum seven days and in the adjourn it shall be lawful to transact the business even if the members attending the meeting for short of the Quorum:

Provided further that the date, time and place of such adjourned meeting shall be intimated to all the members electronically or by a registered post.

Disposal of business of the State Advisory Board, Committees and sub-committees of State Advisory Board

27. All business of the State Advisory Board, Committees and sub-committees appointed by State Advisory Board shall be considered at a meeting of the State Advisory Board, Committees and sub-committees appointed by State Advisory Board, and shall be decided by a majority of the votes of members present and voting and in the event of an equality of votes, the Chairperson shall have a casting vote:

Provided that the Chairperson may, if he thinks fit, direct that any matter shall be decided by the circulation of necessary papers and by securing written opinion of the members:

Provided further that no decision on any matter under the preceding proviso shall be taken, unless supported by not less than two-thirds majority of the members.

Method of voting

28. Voting in the State Advisory Board, Committees and sub-committees appointed by State Advisory Board shall ordinarily be by show of hands, but if any member asks for voting by ballot, or if the Chairperson so decides, the voting shall be by secret ballot and shall be held in such manner as the Chairperson may decide.

Proceedings of the meeting

29.(1) The proceedings of each meeting of the State Advisory Board, Committees and sub-committees appointed by State Advisory Board showing *inter alia* the names of the members present there at shall be forwarded to each member and to the State Government as soon after the meeting as possible, and in any case, not less than seven days before the next meeting.

(2) The proceedings of each meeting of the State Advisory Board, Committees and sub-committees appointed by State Advisory Board shall be confirmed with such modification, if any, as may be considered necessary at the next meeting.

Summoning of witnesses and production of documents

30.(1) The Chairperson may summon any person to appear as a witness if required in the course of the discharge of his duty and require any person to produce any document.

(2) Every person who is summoned and appears as a witness before the Board shall be entitled to an allowance for expenses by him in accordance with the scale for the time being in force for payment of such allowance to witnesses appearing before a civil Court.

Term of office of members of the Board, Committees and sub-committees of State Advisory Board under sub-section (2) of Section 42

31.(1) The term of office of a nominated member of the Board or the Chairperson of any committee or sub-committee, as the case may be, shall be normally two years commencing from the date of his appointment or nomination, as the case may be, under sub-section (6) of Section 42.

(2) An independent member of the Board nominated to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(3) The official members of the Board shall hold office till they are replaced by respective such other official members.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) and (3), the members of the Board, shall hold office during the pleasure of the State Government.

(5) An outgoing member shall be eligible for re-nomination to the Board:

provided that they shall hold office for a maximum of two terms.

Travelling allowance

32. The Chairperson and the non-official members of the State Advisory Board, Committees and sub-committees, shall be entitled to draw travelling, daily and halting allowances for any journey performed by them in connection with their duties at such rates as are admissible to lowest of Group-A officers of the State Government.

Officers and Staff

33. The State Government may, apart from Member-Secretary of the Board, appoint a Secretary to the Board and one or more secretaries to Committees and sub-committees of the Board not below the rank of Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh and other officers and staff to the Board, Committees and sub-Committees, as it may think necessary for the functioning of the Board Committees and sub-Committees.

Resignation of the Chairperson and other members of the Board, Committees and sub-committees

34.(1) A nominated member of the Board, other than the Chairperson, Committees and sub-committees, may, by giving notice in writing to the Chairperson, resign his membership and the Chairperson, may resign by a letter addressed to the State Government.

(2) A resignation shall take effect from the date of Communication of its acceptance or on the expiry of 30 days from the date of resignation, whichever is earlier.

(3)When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Member-Secretary shall submit a report to the State Government immediately and the State Government shall, then, take steps to fill the vacancy in accordance with the provisions of the Code.

Cessation of membership

35. If a member of the Board, Committees and sub-committees fails to attend three consecutive meetings, without prior intimation to the Chairperson, he shall, cease to be a member thereof.

Disqualification

36.(1) A person shall be disqualified for being nominated as, and for being a member of the State Advisory Board –

(i) If he is declared to be of unsound mind by a competent Court; or

(ii) If he is an un-discharged insolvent; or

(iii) If before or after the commencement of the Code, he has been convicted of an offence involving moral turpitude.

(2) If any question arises whether a disqualification has been incurred under sub-rule (1), the decision of the State Government thereon shall be final.

CHAPTER-V

PAYMENT OF UNDISBURSED DUES, CLAIMS ETC.

Payment Of undisbursed dues to nominees in case of death of employeeunder clause (a) of sub-section (1) of Section 44

37.(1) (a) Under clause (a) of sub-section (1) of Section 44, every employee shall make a declaration in Form-XII in physical form or electronically, nominating a person conferring the right to receive the amount that may stand in the credit of the employee on the event of death, before that amount standing to the credit of such employee has become payable or where the amount has become payable, before payment has been made.

(b) If the employee has a family at the time of making nomination, the nomination shall be in favour of the spouse or the spouse is in preference followed by one or more members of the family:

Provided that nomination made by an employee having a family in favour of a person other than member of the family shall be invalid:

Provided further, that a fresh nomination towards the spouse of the employee shall be made by the employee on marriage and any nomination made before such marriage shall be deemed to be invalid.

(c) where the nomination is wholly or partly in favour of a minor, the employee may appoint a major person of the family to be the guardian of the minor nominee and where there is no major person in the family, the employee may by description appoint any other person to be the guardian of the minor nominee.

(d) If the employee nominates more than one member, the nominations shall specify the amount or share payable to each of the nominees at employee's own discretion, so as to cover the whole of the amount that may stand to the credit of the employee.

(2) Where any amount payable to an employee under the Code is due after the date on account of where abouts not being known of employee and the amount could not be paid to the nominee of the employee until the expiry of three months from the date the amount has become payable, the such amount shall be deposited by the employer with the Regional Additional/Deputy Labour Commissioner having jurisdiction, who shall disburse the amount to the person nominated by the employee after ascertaining the identity of the employee within two months from the date on which the amount was so deposited.

Deposit of the undisbursed dues in case of death of employeeunder clause (b) of sub-section (1) of Section 44

38.(1) Where any amount payable to an employee under clause (b) of sub-section (1) of Section 44 remains undisbursed, since no nomination has been made by such employee or for any other reason, such amount could not be paid to the nominee of the employee, all such amount shall be deposited by the employer after the expiry of six months from the date the amount become payablewith the Additional/Deputy Labour Commissioner having jurisdiction, before the expiry of fifteenth day after the last day of the said period of six months.

(2) The amount to be deposited under sub-rule (1) shall be through bank transfer or through a crossed demand draft obtained from any nationalised or scheduled bank in India drawn in favour of such Additional/ Deputy Labour Commissioner.

(3) Who shall disburse the amount to the person nominated by the employee after ascertaining his identity within two months of the date on which the amount was so deposited with him. For the purpose of ascertaining the identity of nominated person, the Additional/Deputy Labour Commissioner may seek help from the officers of the Revenue and Police Department.

(4) Where any amount payable to an employee under this Code is due after his death or on account of his where abouts not being known, remains undisbursed because either no nomination has been made by such employee or for any other reason, such amounts could not be paid to the nominee of employee until the expiry of three months from the date the amount had become payable, all such amounts shall be deposited by the employer with the Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having jurisdiction through Demand Draft or electronic transfer before the expiry of the fifteenth day after the last day of the said period of three months.

Manner of dealing with the undisbursed dues under clause (b) of sub-section (1) of Section 44

39.(1) The amount referred to in Rule 37 and 38 (hereinafter in this rule referred to as the amount) deposited with the Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having jurisdiction shall remain with him and be invested in the Central or State Government Securities or deposited as a fixed deposit in a nationalized bank.

(2) The Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having jurisdiction shall exhibit, as soon as may be possible, a notice containing such particulars regarding the amount as the Regional Additional/ Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh considers sufficient for information at least for fifteen days on the notice board and a copy of such information shall be sent to the employer as well, through manually and electronically both and the same shall be published in two local newspapers having maximum circulation. This notice shall also be displayed on the web-site of Labour Commissioner, Uttar Pradesh through a separate link meant for this purpose:

Provided that the expenses against the publication of notices in local newspapers shall be borne by the State Government.

(3) Subject to the provision of sub-rule (4), the Regional Additional/Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having jurisdiction shall release the amount to the nominee or to that person who has claimed such amount, as the case may be, in whose favour such Regional Additional/Deputy Labour Commissioner has decided, after giving the opportunity of being heard, the amount to be paid. For the purpose of ascertaining the identity of nominated person or legal heirs, the Additional/ Deputy Labour Commissioner may seek help from the officers of the Revenue and Police Department.

(4) If the undisbursed amount remains unclaimed for a period of two years, the Regional Additional/ Deputy Labour Commissioner, Government of Uttar Pradesh having jurisdiction, shall transfer the amount, with interest, if any, to Uttar Pradesh Labour Welfare Fund constituted under Section 3 of the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund Act, 1965 (Act no. 14 of 1965).

(5) The amount so transferred to Uttar Pradesh Labour Welfare Fund in accordance with sub-rule (4), shall be administered by the provisions of the Uttar Pradesh Labour Welfare Fund Act, 1965 (Act no. 14 of 1965) and rules made thereafter.

CHAPTER-VI
FORMS, REGISTERS AND WAGE SLIP

Registers to be maintained by employers

40. Every employer to whom Code on Wages, 2019 applies shall maintain following registers-

(i) mentioning the details of wages, overtime, fines, various deduction made in accordance with the Code in Form-I;

(ii) as per the provisions of sub-section (1) of Section 50 of the Code in Form-II;

(iii) nomination form as per the provisions of Clause (a) of sub-section (1) of Section 44 of the Code in Form-XII;

(iv) all the registers shall be maintained in physical format or in a digital format electronically;

(v) registers required to be maintained under these rules shall be preserved for a period of 5 years after the date of the last entry made therein.

Various Forms to be used for the purposes of these rules

41.(1) Forms appended to these rules and mentioned in the table below shall be used for the various provisions of these rules:–

Form No.	Related Rules	Particulars of Form
III	Rule 43	Single application under sub-section (5) of Section 45
IV	Rule 44 (1)	Certificate of Authorization
V	Rule 44 (5) (i)	Notice for the disposal of application
VI	Rule 44 (6) (i)	Record of order of direction
VII	Rule 45 (1)	Appeal under Section 49(1) of the Code on Wages, 2019
VIII	Rule 45 (3)	Notice to respondent of the day fixed for the hearing of the appeal under section 49 of the Code on Wages, 2019
IX	Rule 42	Wage slip
X	Rule 50 (1)	Application of employer for compounding the offences under sub-section (4) of Section 56 of the Code
XI	Rule 50 (2)	Notice to offending employer by Compounding Officer for compounding the offences under sub-section (1) of Section 56 of the Code
XII	Rule 37 (a)	Nomination form as per the provisions of clause (a) of sub-section (1) of Section 44

(2) The Authority referred to in sub-section (8) of Section 19 shall be Regional Additional/Deputy Labour Commissioner having jurisdiction.

(3) The registers maintained under these Rules shall be preserved for a period of five years after the date of last entry made therein.

Wage slip

42. Every employer shall issue wage slips, electronically or physically to the employees in Form-IX on or before payment of wages.

CHAPTER-VII
PROCEDURE FOR DISPOSAL OF CLAIM APPLICATIONS AND APPEALS

Application form for claim before authority

43. A single application on behalf of or in respect of any number or of group of employees employed in the same establishment wherein their claims relate to the same wage period or any incident of discrimination, may be filed under sub-section (5) of Section 45 in Form-III, manually or electronically along with documents as specified in the said Form before the Authority notified by the State Government under sub-section (1) of the Section 45 to here and determine claims which arise under the provisions of the Code.

Procedure for applications filed before Authority

44.(1) Where an application under Rule 43 is filed the Authority shall serve upon the employer electronically or by post a notice in Form-V to appear before them on the date specified in the notice with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the applicant of the date so specified.

(2) In case where the employer or their authorised representative, duly authorised and in Form-IV, fails to appear on the specified date, the Authority may hear and determine the application *ex-parte*.

(3) In case where the applicant or their authorised representative fails to appear on the specified date without any reasonable cause, shown in advance, the authority may dismiss the application.

(4) The Authority shall pass the order in Form-VI.

Procedure for disposal of Appeal

45.(1) Any person aggrieved by an order passed by the authority under sub section 2 of Section 45 may prefer an appeal under sub-section one of Section 49 in form 7 electronically or by post speed post along with documents mentioned by the applicant in the set form to the appellate authority having jurisdiction:

provided that no appeal by an implied shall be admitted unless at the time of preferring the appeal the appellant has deposited the claim amount with the appellate authority.

(2) Where an appeal under sub-section (1) of Section 49 is entertained, the Appellate Authority shall serve upon the respondent electronically or by speed post, a notice in Form-VIII to appear before them on the date specified in the notice and shall inform the appellant of the date so specified.

(3) In case where the employer or their representative fails to appear on the specified date, the Authority may hear and determine the application *ex-parte.*

(4) In case where the applicant or their representatives failed to appear on the specified date the authority may dismiss the appeal.

CHAPTER-VIII

INSPECTIONS AND INSPECTOR-*CUM*-FACILITATOR

Inspection scheme under sub-section (2) of Section 51

46.(1) For the purposes of this Code and these rules, there shall be formulated an inspection scheme by the Labour Commissioner, Uttar Pradesh with the approval of the State Government for inspection of the establishments covered under the Code.

(2) Labour Commissioner, Uttar Pradesh shall be the competent authority to resolve the problems arising in the course of implementation of inspection scheme and can issue any order or directions regarding the same.

Powers of Inspector-*cum*-Facilitator under Clause (e) of sub-section (6) of Section 51

47. Inspector-*cum*-Facilitator appointed under sub-section (1) of Section 51 shall exercise the following powers:–

(a) enter, at all reasonable hours, with such assistants (if any) being persons in the service of the Government or any local or other public authority, as he thinks fit, any premises or place where employees are employed or work is given out to out-workers whether unskilled occupation, skilled occupation, semi-skilled, occupation, and highly skilled occupation in respect of which minimum rates of wages have been fixed under this Code, for the purpose of examining any register, records of wages or notices, required to be kept or exhibited by or under this Code or rules made there under, and require the production thereof for inspection;

(b) examine any person whom he finds in any such premises or place and who, he has reasonable cause to believe, is an employee employed therein or an employee to whom work is given out therein and require any person giving out-work and out-workers, to give any information, which is his power to give, with respect to the names and addresses of the persons to, for and from whom the work is given out or received and with respect to the payments to be made for the work;

(c) seize or take copies of such register, record of wages or notices or portions thereof, as he may consider relevant in respect of an offence under this Code, which he has reason to believe, has been committed by an employer;

(d) supervise the payment of wages to persons employed in any factory or industrial or any other establishment;

(e) to prosecute, conduct or defend before a Court or competent Authority, any complaint or other proceeding arising under the Code or in discharge of his duties as an Inspector-*cum*-Facilitator and secure such evidence, as may be necessary for the purpose;

(f) upon complaint received from an employee or worker or a registered trade union related to the establishment, regardless of the fact, whether an inspection scheme stands formulated as per sub-section (2) of Section 51, the Inspector-*cum*-Facilitator shall be required to undertake complete inspection of the establishment(s) and make as many visit to the establishment(s) as may be necessary, with the prior written approval of Labour Commissioner Uttar Pradesh:

Provided that, inspection shall be done with the prior approval of regional Additional/Deputy Labour Commissioner and *ex-facto* approval shall be obtained from Labour Commissioner, Uttar Pradesh within 72 hours of such inspection, in case if complaint is received through any Commission established under law (*e.g.* National Human Rights Commission, State Human Rights Commission, National Commission for Protection of Child Rights, State Commission for Protection of Child Rights *etc.*) or the compliant is related to issues regarding employment of child labour and/or bonded labour or if the Inspector-*cum*-Facilitator is informed by any means that any fatal accident has occurred in the establishment.

(g) Every Inspector-*cum*-Facilitator shall be deemed to be a public servant within the meaning of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023).

(h) Any person required to produce any document or thing or to give any information to an Inspector-*cum*-Facilitator under sub-rule (a) to (e) shall be deemed to be legally bound to do so within the meaning of Section 210 and Section 211 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act no. 45 of 2023).

CHAPTER-IX

OFFENCES AND PENALTIES

Appointment of officer to impose penalty under sub-section (1) of Section 53

48. The State Government by notification in the Official *Gazette*, shall appoint an Gazetted Officer not below the rank of Under Secretary of Government of Uttar Pradesh or Deputy Labour Commissioner of minimum pay matrix-11 within the limits of its territorial jurisdiction for the purpose of imposing penalty under clauses (a) and (c) of sub-section (1) and sub-section (2) of Section 54 and sub-section (7) of Section 56, as the case may be, for holding enquiry in such matter, as prescribed in Rule 49 and Rule 50 of these rules.

Manner of holding enquiry under sub-section (1) of Section 53

49.(1) Where a complaint is filed before the officer appointed under sub-section (1) of Section 53 under Rule 48 (hereinafter in this Rule referred to as the Compounding Officer) in respect of the offences referred to in said sub-section either by an officer authorized for such purpose by the State Government or by an employee aggrieved or a registered trade union registered under Code on Industrial Relations, 2020 (Act no. 35 of 2020) or an Inspector-*cum*-Facilitator, the officer, after considering such evidence as produced before him by the complainant, is of the opinion that an offence has been committed, shall issue summons to the offender on the address specified in the complaint fixing a date for his appearance.

(2) If the offender to whom the summons has been issued under sub-rule (1) appears or is produced before the Officer, he shall explain the offender the offence complained against and if the offender pleads guilty, the Officer shall impose penalty on him in accordance with the provisions of the Code and if the offender does not plead guilty, the Officer shall take evidence of the witnesses produced by the complainant on oath and provide opportunity of cross examination of the witnesses so produced.

(3) The officer shall record the statement of the witnesses on oath and in cross-examination in writing and take the documentary evidence on record.

(4) The officer shall, after the complainant's evidence is complete, provide an opportunity of defense to the accused person and the witnesses produced by the accused shall be cross examined after their statements on oath by the complainant and documentary evidence in defense shall be taken on record by the officer.

(5) The officer shall after hearing the parties and considering the evidence both oral and documentary decide the complaint in accordance with the provisions of the Code.

The manner of imposing fine under sub-section (1) of Section 56

50.(1) An accused person desirous of making composition of offence under sub-section (1) of Section 56 may make an application in Form-X, physically or electronically, appended to these rules, electronically or otherwise to the Compounding Officer/Gazetted Officer notified under said sub-section (1).

(2) The Compounding Officer/Gazetted Officer referred to in sub-rule (1), shall, on receipt of such application, satisfy himself as to whether the offence is compoundable or not under the Code and if the offence is compoundable, he shall send a notice on Form-XI and if the accused person agrees for the composition, compound the offence for a sum of fifty percent of the maximum fine provided for such offence under the Code, to be paid by the accused within thirty days of the order of composition issued by such officer.

(3) The Compounding Officer shall issue a composition certificate in Part-B of Form-XI within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in compliance of the composition notice.

(4) In case where a person should noticed fails to deposit the composition amount within the time specified by the Compounding Officer prosecution shall be instituted before the Competent Court against such person for such offense in respect of which the compound notice was issued.

(5) Where the offence has been compounded under sub-rule (2) after the institution of the prosecution, the Officer shall send a copy of such order for intimation to the Officer referred to in sub-section (1) of Section 53 for action under sub-section (6) of Section 56.

(6) The Compounding Officer/Gazetted Officer shall exercise the powers to compound the offence under this Rule, subject to the direction, control and supervision of the State Government.

CHAPTER-X

MISCELLANEOUS

Timely payment of wages

51. Where the employees are employed in an establishment through contractor, then, the company or firm or association or any other person who is the proprietor of the establishment shall pay to the contractor the amount payable in respect of the wages of employees in accordance with the provisions of the Code.

Explanation:– For the purpose of this Rule, the expression "firm" shall have the meaning as assigned to it in the Indian Partnership Act, 1932 (Act no. 9 of 1932).

Responsibility for payment of minimum bonus under Section 26

52. Where in an establishment, the employees are employed through contractor and the contractor fails to pay minimum bonus to them under section 26, then, the company or firm or association or other person as referred to in the proviso to Section 43 shall, on the written information of such failure, given by the employees or any registered trade union or unions of which the employees are members and on confirming such failure, pay such minimum bonus to the employees and may recover the same from the contractor.

Display Notices to be put up by employers under sub-section (2) of Section 50

53.(1) In terms of sub-section (2) of Section 50, all employers and principal employers shall ensure that the contents of display notices shall be displayed prominently at each entry and exit of each unit of the establishment.

(2) The display notices shall be put up in languages that are understood by majority of the workers working in the said unit of the establishment.

(3) The display notices shall be put up in such size to enable a person with normal eyesight to conveniently read the contents thereof, from a distance of 10 meters at least.

(4) The display notices shall be visible at all times and on all days.

(5) Schedule for display notices:–

(a) Minimum wage rate fixed by State Government for all categories of employees;

(b) Weekly day of rest;

(c) Paid rest day;

(d) Working hours;

(e) Overtime payment;

(f) Overall maximum hours of work in a week;

(g) Scheduled breaks;

(h) Date and time of payment of wages;

(i) Details of inspector-*cum*-facilitator having jurisdiction;

(j) Details of authority appointed under section 45;

(k) Wage period;

(l) Other such notices as prescribed under these rules.

Annual Returns

54. The return under these rules shall be filed electronically by every employer of an establishment to which the Code applies in the relevant Columns of the Form specified for such purpose in the rules made under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (Act no. 37 of 2020).

By order,
DR. M.K. SHANMUGA SUNDARAM,
Pramukh Sachiv.

———

FORM-I

[*See* Rule 17 (8), Rule 19 (4) and Rule 20]

REGISTER OF WAGES, OVERTIME, FINE, DEDUCTION FOR DAMAGE AND LOSS

Name of the Establishment: Name of the Employer:

Name of the Owner: PAN/TAN of the Employer:

Labour Identification Number (LIN)

Sl. no. in Employee Register	Name of the employee	Designation	Department	Duration of payment of Wages (Monthly fortnightly/ Weekly/ Daily/ piece rated)	Wage Period Form-To	Total no. of days worked during the period	Total overtime (hours worked or production in case of piece workers)	Rates of wages		
								Basic	DA	Allowances
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Amount of wages earned					Deductions										Net Payment
Basic	DA	Allowances	Over time	Total wages earned	EPF	ESIC	Society	In-come Tax	Insu-rance	Advances	Recovery of Fines	Recovery on account of damages/ losses	Total deduc-tions	Others	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Date of Payment	Receipt by employee/ Bank transaction ID	Nature of acts and omissions for which fine imposed with date	Amount of fine imposed	Damages or loss caused to the employer by neglect or default of the employee	Signature of employer/ employer representatives**
28	29	30	31	32	33

** if it is necessary to maintain the register in physical form.

FORM-II

[*See* sub-rule (2) Rule 40]

EMPLOYEE REGISTER

Name of the Establishment: Name of the employer:

Name of the Owner: PAN/TAN of the Employer:

Labour Identification Number (LIN):

Sl. no.	Employee code	Name	Sur-name	Gender	Father's/ Spouse name	Date of birth	Nationality	Edu-cation level	Date of Joining	Designation	Categogary (HS/S/ SS/US)*	Type of Employment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Mobile No.	UAN	PAN	ESIC IP No.	AADHAR	Bank A/c Number	Bank	Branch (IFSC)	Present Address	Permanent Address
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Service Book No.	Date of Exit	Reasons for Exit	Mark of Identification	Photo	Specimen Signature/ Thumb Impression	Remarks
24	25	26	27	28	29	30

Place of Birth	Details of posting	Pay	Promotion	Nominee	Details of family	EPS/ NPS
31	32	33	34	35	36	37

* = Highly skilled/ Skilled/ Semi-skilled/ Unskilled

FORM-III

(*See* Rule 43)

SINGLE APPLICATION UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 45 OF THE CODE

BEFORE THE AUTHORITY APPOINTED UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 45 OF THE CODE ON WAGES, 2019 (29 of 2019)

FORAREA…….

Application No……of 20…….

Between ABC and (State the number)……..other……. Applicant

(Through employees concerned or registered trade union or Inspector-cum-Facilitator)

Address……

versus

XYZ……

Address…….....……

The application states as follows:

(1) The applicant(s) whose name(s) appear in the attached schedule was/were/has/have been employed from …….. to ……. as (category) in ……..(establishment) of Shri/M/s……..(name of the employer) and was/were/has been/ have been engaged in ……(nature of work) which is/are covered by the Code on Wages, 2019.

(2) The opponent(s) is/are the employer(s) within the meaning of Section 2(1) of the Code of Wages, 2019.

(3) (a) The applicant(s) has/have been paid wages at less than the minimum rates of wages fixed for their category (categories) of employment(s) under the Code by Rs…….. per day for the period(s) from ……. To …….

(b) The applicant(s) has/have not been paid wages at Rs…… per day for the weekly days of rest from …….. to ……

(c) The applicant(s) has/have not been paid wages at overtime rate(s) for the period from …….. to …….

(d) The applicant(s) has/have not been paid wages from period(s) from ……. To ……

(e) Deductions have been made which are in contravention of the Code, from the wage(s) of the applicants(s) as per details specified in the annexure appended with this application.

(f) The applicants(s) has/have not been paid minimum bonus for the accounting year……

(4) The applicant(s) estimate(s) the value of relief sought by him/them on each amount as under:

(a) Rs…….

(b) Rs……..

(c) Rs……

Total Rs……

(5) The applicant(s), therefore, pray (s) that a direction may be issued under section 45(2) of the Code of Wages, 2019 for ;

(a) Payment of the difference between the wages payable under the Code of Wages and actually paid;

(b) Payment of renumeration for the days of rest;

(c) Payment of wages at the overtime rates;

(d) Payment of delayed wages;

(e) Payment of deductions in wages made in contravention of the Code;

(f) Payment of unpaid bonus;

(g) Compensation amounting Rs……

(6) The applicant(s) do hereby solemnly declare(s) that the facts stated in this application are true to the best of his/their knowledge, belief and information.

Dated: ……..

Signature or thumb impression of the employed person(s), or official of a registered trade union duly authorized or Inspector-*cum*-Facilitator.

Mobile number and Email-id: …….

NOTE:- The applicant(s), if required may append annexures containing details, with this application.

FORM-IV

[*See* Sub-rule (2) of Rule 44]

CERTIFICATE OF AUTHORISATION

I/We employed person(s) hereby authorize Sri/Smt/Ku. …….. , a legal practitioner …… / Sri/Smt/Ku. ……an official of ..... which is a registered Trade Union to Act on my/our behalf under section 45 or Section 49 of the Code on Wages 2019 (29 of 2019), in respect of the claim/ appeal against ..... on account of the difference between wages payable and actually paid under the Code/ payment of remuneration of days of rest/ payment of wages at the overtime rates/ delay in payment/ illegal deductions from my/our wages/ non-payment of bonus for.....

Witnesses:	Signature:
(1)	(1)
(2)	(2)
(3)	(3)
(4)	(4)

Date:

Place:

I accept the authorisation.

Signature of authorized person/ Legal practitioner/ Official of a registered trade union with Seal.

FORM-V

[*See* Sub-rule (1) of Rule 44]

NOTICE FOR THE DISPOSAL OF APPLICATION

Whereas, under the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) a claim against you has been presented to me in the application of which a copy is enclosed, you are hereby called upon to appear before me either in person or by any person duly instructed, and able to answer all material questions relating to the application, or who shall be accompanied by some person able to answer all material questions relating to the claim application, or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions, on the ..... day of .....20..... at ..... o'clock in the forenoon/ afternoon to answer the claim;

and, as the day fixed for your appearance is appointed for the final disposal of the claim application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence, and the documents upon which you intend to rely in support of your defence.

Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the claim application will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and seal, this day of .....20...

Authority

Seal

FORM – VI

[*See* Sub-rule (4) of Rule 44]

RECORD OF ORDER OF DIRECTION

1. Serial number.....
2. Date of the application.....
3. Name or names, parentage, address or addressed of the applicant, or some, or all of the applicants belonging to the same unpaid group:
4. Name and address of the employer:
5. Amount claimed:
   (a) as difference of wages payable under this Code and actually paid: Rs …….
   (b) as payment of remuneration of days of rest: Rs ……..
   (c) as payment of wages of overtime rates: Rs …….
   (d) as payment of delayed wages: Rs. .....
   (e) as payment of deductions made in contravention to the Code: Rs ……..
   (f) as non-paid bonus: Rs …….
   (g) compensation amounting as: Rs …….
6. Plea of the employer and his examination (if any):
7. Finding, and a brief statement of the reasons therefore:
8. Amounts awarded:
   (a) as difference of wages payable under this Code and actually paid: Rs …….
   (b) as payment of remuneration of days of rest: Rs ……..
   (c) as payment of wages of overtime rates: Rs …….
   (d) as payment of delayed wages: Rs. .....
   (e) as payment of deductions made in contravention to the Code: Rs ……..
   (f) as non-paid bonus: Rs …….
9. Compensation awarded.....
10. Costs awarded to:
    (a) Court-fee Charges.....
    (b) Pleader' s fee.....
    (c) Witnesses' expenses.....
11. Date by which the amounts awarded shall be paid.

Dated:

Authority

NOTE:- In case where an appeal lies, attach on a separate sheet the substance of the evidence.

FORM-VII

[*See* Sub-rule (1) of Rule 45]

APPEAL UNDER SECTION 49(1) OF THE CODE ON WAGES, 2019

Before the Appellate Authority under the Code on Wages, 2019

A.B.C

Address……Appellant.

Vs

X.Y.Z.

Address…….Respondent.

DETAILS Of APPEAL:

1. Particulars of the order against which the appeal is made:
   Number and Date:
   The authority who has passed the impugned order:
   Amount awarded:
   Compensation awarded, if any:
2. Facts of the case:
   (give here a concise statement of facts in a chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a separate issue or fact)
3. Grounds for Appeal:
4. Matters not previously filed or pending with any other Court or any appellate Authority:
   The appellant further declares that he had neither previously filed any appeal, writ petition nor suit regarding the matter in respect of which this appeal has made, before any Court or any other Authority or Appellate Authority nor any such appeal, writ petition or suit is pending before any of them.
5. Reliefs sought:
   In view of the facts mentioned above the appellant prays for the following relief(s):-
   [Specify below the relief(s) sought]
6. List of enclosures
   1.
   2.
   3.
   4.
   ……
   Date:
   Place:

Name and Signature of the applicant

Mobile. number and email id: …….

For office use

Date of filing
Or
Date of receipt by post
Registration No.

Authorized Signatory

FORM–VIII

[*See* Sub-rule (2) of Rule 45]

NOTICE TO REPONDENT OF THE DAY FIXED FOR THE HEARING OF THE APPEAL UNDER SECTION 49 OF THE CODE ON WAGES, 2019

Appeal from the decision of the Authority for the ..... area dated the .....day of 20.....

To

…….

……. (Respondent)

Take notice that an appeal of which a copy is enclosed from the decision of the Authority for ..... Area has been presented by ……X,Y.Z. (and others), and registered in this office, and that the .....day of 20….. has been fixed by this Appellate Authority for the hearing of the appeal.

If no appearance is made on your behalf by yourself, or by someone by law authorized to Act for you this appeal, it will be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal, this .....day of .....20..

Seal

Appellate Authority

FORM – IX

(*See* Rule 42)

WAGE SLIP

Date of issue:

Name of the Establishment…….

Address……

Period……

1. Name of the employee:
2. Father's/ Spouse name:
3. Designation:
4. UAN:
5. Bank Account No.:
6. Wage period:
7. Rate of Wages payable: (a) Basic. (b) D.A. (c) other allowances
8. Total attendance/unit of work done:
9. Overtime wages:
10. Gross wages payable:
11. Total Deductions: (a) PF (b) ESI (c) Others.
12. Net wages paid:

Employer/

Pay-in-charge signature.

FORM-X

[*See* Sub-rule (1) Rule 50]

PART-A

APPLICATION OF EMPLOYER FOR COMPOUNDING THE OFFENCES UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 56 OF THE CODE

To,

The Compounding Officer,
Office of the Additional/ Deputy Labour Commissioner,
Region ……

Date: ……..

Dear Sir/ Madam,

I/We …… , son of/ wife of/ husband of …… employer of M/s ……. address …… am/ are desirous of making composition of offence under sub-section (1) of Section 56 of the Code on Wages, 2019. I/We have/had committed following offence(s) under the Code:

1. …….
2. …….
3. …….

Prosecution for the above violations-

1. * has not been filed in any competent Court against the undersigned.
2. * has been filed against the undersigned in the Court of …….

The details of the prosecution filed are given below:

1. Date of Inspection/ complaint: ……..
2. Case no. and date of filing of prosecution: ……..
3. Section(s) and Rule(s) which were found violated: ……..
4. Name and designation of the person who has filed the prosecution: ……
5. Whether prosecution against the applicant is pending or not: ……
6. Whether the offence is first offence, or the applicant has committed any other offence prior to this offence? If yes, then full details of the prior offence: …… ……
7. Any other information which the applicant desires to provide: …… ……

It is therefore requested that kindly give me direction or allow me to deposit the compounding amount as per sub-section (1) of the Section 56 of the Code on Wages, 2019. It is also requested to the Compounding Officer to inform the competent Court under section 52 and /or Officer authorized under section 53 for imposing penalty.

Date: Name and signature of applicant

Place: Name of the establishment:……

Address of Establishment:……

*** strike out whichever is not applicable**

PART-B

COMPOSITION CERTIFICATE

Reference Notice number: …….. Date: ……

This is to certify that the offence under sub-section ……. of Section 54 in respect of which notice number …… dated ……. was issued to ……(applicant), the employer of ……(name and registration number of the establishment) has been compounded on account of remission of full amount of Rs. …….. (Rupees …….) towards the composition of offences to the satisfaction of the said notice.

(Signature)

Name and Designation of the Compounding Officer

Date:

Place:

To,

…….(employer/ establishment)

…… (name and registration number)

……(address)

FORM-XI

[*See* Sub-rule (2) of Rule 50]

NOTICE TO OFFENDING EMPLOYER BY COMPOUNDING OFFICER FOR COMPOUNDING THE OFFENCES UNDER SUB-SECTION (1) OF 56 OF THE CODE

NOTICE

To,

…….. (Name of employer)

M/s ……

…… (Address)

Kindly refer to your application dated …….. regarding the composition of offence(s) committed in contravention to the provisions of Code on Wages, 2019 (Act no 29 of 2019) by you/ your company/ establishment;

Since you have requested for the composition of the said offence(s), you are hereby intimated that the allegation has been made against you for committing offence for violation of section(s) …….. of the Code on Wages, 2019. Your application has been examined by undersigned and it was found that the violations under the section(s) …… are compoundable while the offence(s) under the section(s) …… may not be compounded for the reasons stated below under the Code on Wages, 2019–

1. …….
2. …….

The compounding amount required to be paid by you towards composition of offences is rupees …….. By this notice, you are hereby directed to deposit the abovementioned compounding amount within fifteen days from the date of issue of this notice for compounding of the offence(s). In case if you fail to deposit the said amount within specified time, no further opportunity shall be provided to you and necessary direction for filing prosecution under section(s) …….. as per the provisions of the Code against you shall be issued;

You are also hereby informed, that if you fail to deposit the abovementioned compounding amount within the specified time, you will be liable to pay the same as per the provision of sub-section (7) of Section 56 of the Code.

This notice is issued under my signature and seal on …….. day of ……., 20……

Compounding Officer,

Seal

FORM-XII

[*See* Sub-rule (3) of Rule 40]

NOMINATION FORM

To

……

……

……

[Give here name or description of the establishment with full address]

1. I, Shri/Shrimati/Kumari **……** whose particulars are given in the statement below,
   …….
   …….
   …….
   …….
   [Name in full here]

   hereby nominate the person(s) mentioned below to receive all the unpaid dues as per Code on Wages, 2019 payable after my death standing to my credit in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid and direct that the said unpaid wages and other amounts shall be paid in proportion indicated against the name(s) of the nominee(s).

2. I hereby certify that the person(s) mentioned is a/are member(s) of my family within the meaning of clause (f) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Uttar Pradesh Code on Wages Rules, 2026.

3. I hereby declare that I have no family.

4. (a) My father/mother/parents is/are not dependent on me.
   (b) my husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband.
   (c) the income of my dependent parents including my father-in-law/mother-in-law (in case of women employees) from all sources does not exceed such income as specified by State Government for this purpose.

   (d) my husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband.

5. Nomination made herein invalidates my previous nomination.

Nominee(s):

(1) Name in full with full address of nominee(s) ……..
Relationship with the employee ……
Age of nominee**…….**
Proportion by which the unpaid amount will be shared ……..

(2) ……..

(3) …….

(4) ……..

Statement:

1. Name of employee in full ……
2. Gender ……..
3. Religion ……
4. Whether unmarried/married/widow/widower ……..
5. Department/Branch/Section where employed ……..
6. Post held with Ticket or Serial No., if any ……
7. Date of appointment ……
8. Permanent address: Village **……** Thana **……** Sub-division **……** Post Office **……**
District **……** State**……**

Place:
Date:

Signature/Thumb impression
of the employee

Declaration by witnesses

Nomination signed/thumb impressed before me.

Name in full and full address of witnesses. Signature of witnesses

1.
2.

Place:
Date:

Certificate by the employer

Certified that the particulars of the above nomination have been verified and recorded in this establishment.

Employer's Reference No., if any: ……

Date and Signature of the employer/
Officer authorised
Designation

Name and address of the
establishment or rubber stamp
thereof.

Acknowledgement by the employee

Received the duplicate copy of nomination in Form-XII filed by me and duly certified by the employer.

Date and Signature of the employee

FORM-XIII

[*See* Sub-section (1) of Section 50 of The Code on Wages, 2019]

ATTANDENCE REGISTER-CUM-MUSTER ROLL REGISTER

Name of the establishment:

Name of the employer:

Name of the owner:

Registration number of the establishment (Labour Identification Number (LIN) shall be the registration number of the establishment:

For the month of:

Sl. No	Employee code	Name	Designation	Shift	Place of work/ Section/ department
1	2	3	4	5	6

Date and time of attendance (7)																						
Date	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
Time	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out
Signature																						

Date	12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22	
Time	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out
Signature																						

Date	23		24		25		26		27		28		29		30		31	
Time	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out	In	Out
Signature																		

Total number of days worked	Total number of overtime hours worked	Brief details of tour or assignment outside the workplace, if any	Signature of register keeper*
8	9	10	11

* **NOTE:** Required in case register is maintained physically.

SCHEDULE-A

[*See* sub-rule (3) of Rule 7]

CLASSIFICATION OF WORKERS IN CATEGORIES AS PER THEIR SKILL

Sl. no.	UNSKILLED
1	Attendant
2	Attender
3	Bajri Spreader
4	Beater Women
5	Beldar/Beldar (Canteen)
6	Bell-Woman
7	Boat Man
8	Borryman
9	Breaker (using manual appliances)
10	Bridge
11	Bucket Man
12	Butcher
13	Calf boy
14	Caretaker (Bridge)
15	Caretaker (except in Copper, Chromite and Graphite mines where it is semiskilled)
16	Carrier
17	Carrier (Stone)
18	Carrier (Water)
19	Cartman
20	Cattleman
21	Chain Man
22	Chowkidar
23	Cleaner
24	Cleaner (Crane, Truck, Cinder for ash Pit)
25	Cleaner (Motor shed, Tractor, Cattle, Yard, M.T)
26	Coalman
27	Collecting loose fodder
28	Concrete (Hand Mixer)
29	Condenser
30	Condenser Attendant
31	Cook-helper
32	Coolie
33	Daffadar
34	Dairy coolie
35	Dairyman
36	Digger
37	Dismantling stocks
38	Dresser / Dressing Mazdoor
39	Driver (Bullock, Camel, Donkey, Mule)
40	Earth Cutter
41	Electrical
42	Excavating Labour
43	Flag Man

Sl. no.	UNSKILLED
44	Flagman (Blast Train)
45	Gangmen
46	Gate Man
47	Gatingman (Permanent Way)
48	Grass Cutter
49	Grazler
50	Handle Man, Jumper Man
51	Helper
52	Hole Cutter
53	Jelly Maker
54	Kamin (Female Work)
55	Khalas
56	Khalasi not attending to machines
57	Labourer (Boiler, Cattle Yard, Cultivation, General Loading and Unloading, Bunding, Carting- Fertilizers, Harvesting, Miscellaneous Seeding, Sowing, Thatching, Transplanting, Weeding)
58	Lampman
59	Loader
60	Lorry Helper
61	Lorry Trainees,
62	Mali
63	Marine
64	Mazdoor (Arportculturist Compost, Dairy's Haystaking, Irrigation, Manure,Stacking, Milk- room, Ration room Store, Anti-Malaria, M.R.)
65	Messanger (Male / Female)
66	Messenger (Office)
67	Moplah
68	Muchhers Jamadars
69	Number Taker
70	Nursing Orderlies
71	Office Boy
72	Office Peon /Peon (except in Bauxite Mines)
73	Over burden Remover
74	Person employed in loading and unloading
75	Person employed in sweeping and cleaning and other cateogires by whatever name called which are of unskilled nature
76	Petrolman
77	Quarry Worker
78	Roller Survey
79	Searcher
80	Share
81	Shunters
82	Signal man
83	Stable man
84	Steam Road
85	Store-Mazdoor

Sl. no.	UNSKILLED
86	Store
87	Stretcher Bearer
88	Striker (Moplah gang)
89	Strikers
90	Surface loader
91	Surface Mukar
92	Survey Khalasi
93	Sweeper
94	Syce
95	Tall Boy
96	Tile
97	Trammer
98	Trolley Retriever (Airport)
99	Trolly man
100	Trolly Triper
101	Turner
102	Tying and Carrying loose hay
103	Under Ground Mukar
104	Unloader
105	Vaks Controller
106	Valveman
107	Waste removing mazdoor
108	Watchman
109	Water Carrier
110	Waterman,
111	Weighing and Carrying bales
112	Weighman (Bales, pally)
113	Wood Cutter
114	Wooder Woman
115	Wooderman

Sl. no.	SEMI SKILLED
1	Animal Attendant
2	Assistant
3	Assistant (Chowdhary)
4	Assistant Driller
5	Assistant Wireman
6	Assistant-Plumber Attendant
7	Attendance-keeper
8	Attendant (Bull-calving lines, Chowkidar, Chaff cutter, Hostel, Dry Stock, Grain crusher, Pump, Siekline
9	Bearer
10	Belchawala
11	Bhisti
12	Bhisti (with Mushk)
13	Boatman (head)

Sl. no.	SEMI SKILLED
14	Brander
15	Breaker (Stone, Rock, Rock Stone, Stone Metal
16	Breaker (using mechanical appliances)
17	Breaker
18	Breakman
19	Bullman
20	Butler/Cook
21	Butterman
22	Canweaver
23	Chainman(Head)
24	Charge-man
25	Charpoy-Stringer
26	Checker
27	Chowkidar/ Watchman/ Night Guard
28	Classman
29	Coachman
30	Cobbler
31	Cook
32	Cracker
33	Crech Ayah/Ayah/Untrained Crech Attendant
34	Crowlder Man
35	Cultivator
36	Cylinder handler
37	Daftry
38	Dandee
39	Dark Room Attendant
40	Delivery boy
41	Deliveryman
42	Dhobi
43	Dollyman
44	Dresser
45	Driller
46	Driver (Skin)
47	Engine Driver and/or Feeder
48	Excavator
49	Ferroman
50	Fireman
51	Fireman (Brick Kiln, Steam Road Roller)
52	Fitter
53	Fitter (Assistant Semi-Skilled)
54	Floor Cleaner with machine
55	Frash
56	Gang
57	Gate keeper
58	Gharami
59	Gowala

Sl. no.	SEMI SKILLED
60	Grater
61	Greaser-*cum*-Fireman
62	Grinder
63	Hacksaw man
64	Hammerman
65	Helper
66	Helper (Artisan)
67	Helper (Blacksmith)
68	Helper (locco-Crane/Truck)
69	Helper (Mason, Carpenter, Blacksmith)
70	Helper (Sawyer)
71	Housekeeping janitor
72	Jamadar
73	Jamadar (stand)
74	Kasab
75	Keyman
76	Khalasi
77	Khalasi (Head Survey, Rivertters-Moplah Gang, Supervisory)
78	Khalasi (Structural)
79	Lab. Attendant
80	Laboratory Boy
81	Labourer (Rock-Cutting)
82	Lascar
83	Lift and Escalator Operator
84	Mali (Head)
85	Mali Senior
86	Manjhee (Boatman)
87	Masalchi P.M. Mates
88	Mate
89	Mate (Blacksmith, Road, Carpenter)
90	Mate (Stone)
91	Mate/Mistry
92	Mazdoor (Heavy-weight)
93	Mazdoor (literate)
94	Mazdoor Mason
95	Miner
96	Mistri (Head)
97	Muccadam
98	Muccadam (without competency certificate under Metalliferous Bulldozer Driver Mines Regulations, 1961)
99	Nalband
100	Night Guard
101	Oilman
102	Oilman/Oiler
103	Permanent Way
104	Ploughman

Sl. no.	SEMI SKILLED
105	Pointsman Sencummy
106	Pump Attendant
107	Pump-Driver Turner
108	Quarry man
109	Quarry Operator
110	Runner (Post dak)
111	Sr. Ward Orderlies
112	Stable, (Yard Stock)
113	Stocker
114	Stockers and Boilerman
115	Stone mines and other cateogires by whatever name called which are of semi-skilled nature
116	Stoneman
117	Supervisor
118	Thatcher
119	Thoombaman (Spade worker)
120	Tindals
121	Topas
122	Topkar (Big Stone Breaker)
123	TrollyJamadar
124	Trollyman (Head Motor)
125	Untrained Mate/ Mining Mate/ Mate without Competency certificate Under Metalliferous Mines Regulations, 1961
126	Valveman
127	Valveman (Senior)
128	Vtackers
129	Waiter
130	Winchman
131	Wireman fixing tin cables

Sl. no.	SKILLED
1	AC Operator
2	Accounts Clerk
3	Air Compressor Attendant
4	Air-conditions Mechanic
5	Airwineh Haulage Operator
6	Armature Winder Grade-II and III
7	Artificer (Class-II, III, IV)
8	Assistant (Cashier)
9	Assistant (Farm)
10	Assistant Mistry
11	Assistant, Radio)
12	Auto-electrician
13	B.I.M Muccadam (Head)
14	B.I.M. Road
15	Battery car operator (Airport)
16	Bhandari

Sl. no.	SKILLED
17	Blacksmith
18	Blacksmith (Class II)
19	Blacksmith (Selection Grade, Grade II, III, Class II and III)
20	Blaster
21	Blaster/Shot-firer Driver
22	Boiler Foreman Grade II
23	Boiler Man (with Certificate)
24	Boilerman
25	Boilerman Grade II and III
26	Book Keeper
27	Boreman
28	Borer
29	Brick Layer
30	Bricklayer (Selection Grade, Class II)
31	Cabinet Maker
32	Caneman
33	Carpenter
34	Carpenter (Class II) Carpenter-*cum*-Blacksmith
35	Carpenter (Selection Grade, Grade II and III, Class I and III Assistant)
36	Celotex
37	Chargeman
38	Checkder (Junior)
39	Chemist and Assistant/ Chemist
40	Chick Maker
41	Chickman (Junior) Concrete Mixure Mixer
42	Chipper
43	Chipper-*Cum*-Grinder
47	Chowdhary
48	Chowkidar (Head)
49	Clerk / File Clerk
50	Clerks
51	Cobbler
52	Compressor Attendant
53	Compressor Driller
54	Compressor Driver
55	Compressor Operator
56	Computer/Date Entry Operator
57	Concrete Mixure Operator
58	Cook (Head)
59	Coremaker
60	Crech Attendant only in Magnesite, Manganese and Mica Mines
62	Crusher Operator
63	Cutter
64	Cutter Maker Chargeman, Class II and Class III, Carpenter Ordinary)
65	Data Entry Supervisor
66	DG Operator

Sl. no.	SKILLED
67	Diesel Engine
68	Diesel Engine Grade II
69	Diesel Grade II
70	Diesel Mechanic
71	Dietician
72	Dispensary Attendant
73	Distemprer, Electrician, Electrician (Grade II, Class II and Class III)
74	Dozer Operator
75	Drafts Man
76	Dresser Grade -I Mica
77	Drill Mechanic
78	Driller
79	Driller (Well Boring)
80	Driver (Engine Static Stone Crusher, Tractor/Bull Dozer, Steam Road Roller,Water Pump, Mechanical Assistant, Road Roller, Mechanical, Steam Crane,Tractor with Bull Dozer Mechanical, Transport, Engine Static and Road Roller Boiler Attendant)
81	Driver (Engine Tractor, M.T.Motor)
82	Driver / CashVan Driver
83	Driver Auto
84	Driver Motor Vehicle
85	Driver(Loco/Truck)
86	Driving Pantooms with Boiler
87	Dumper Tractor Operator
88	ECG Technician
89	Electrician
90	Electrician (Assistant)
91	Engine Driver
92	Engine Operator (Stone Cursher Mechanical)
93	Engineman
94	Executive House Keeper (Railway Coach)
95	Ferro Printer cum-chairman
96	Ferry Driver
97	Fireman only in Mines
98	Fitter
99	Fitter (Selection Grade, Grade II and III) class II and III Assistant, Pipe class II, Pipe Line ending Bars for
100	Foreman
101	Geologist
102	Gharami (Head)
103	Glazier
104	Handhole Driller
105	Haulage Operator
106	Head cook
107	Head Waiter
108	Hoist Operator
109	Hole Drillar for Blasting

Sl. no.	SKILLED
110	Housekeeping Machine operator
111	IMCE Driver
112	Issuer Loco
113	Joiner
114	Joiner (Cable, Cable Grade II)
115	Lab. Technician
116	Librarian
117	Limco Loader Operator
118	Line Man
119	Lineman (Grade II,III, High Tension/Low Tension) Mason
120	Loader Operator
121	Loco Driver
122	Lorry Grade II
123	M. C. Clerk
124	Machine hand (Class II, III, IV)
125	Machineman
126	Machinery Attendant
127	Magazine Clerk
128	Manson (Gharami)
129	Mason
130	Mason (Selection Grade, Grade II, III and Class B Mistry)
131	Mason Class A
132	Mason Class II
133	Mate Gr. I (Senior)
134	Mechanic
135	Mechanic (Class II, Air conditioning, Air conditioning Grade II)
136	Mechanic (Tube-Well)
137	Mechanic/ Machinist
138	Mechanical Road Roller I.C. and Cement Mixer *etc*. Road Roller
139	Medical Social Worker
140	Meter Reader
141	Meterorogical Observer Navghani
142	Mica Cutter Grade -I
143	Mid Wife
144	Milk Writer
145	Miner Grade - I
146	Mining Engine Driver Grade -II
147	Mining Mate with competency certificate under Metalliferous Mines/Regulations, 1961
148	Mistry
149	Mistry (Head)
150	Mistry Grade II, Air conditioning Grade II, P. Way, Survey, Santras Works)
151	Mistry (Stell, Tube-Well, Telephone)
152	Motor Lorry
153	Motor Vehicle Selection Grade
154	Motor-Lorry Grade II
155	Moulder

Sl. no.	SKILLED
156	Moulder (Brick, Tile)
157	Muccatam (with Compentency Certificate under Metalliferous Mines Regulations, 1961).
158	Munshi
159	Munshi (Matriculate, Non-matriculate)
160	Muster Writer
161	Nursing sister
162	Operaor (Batching Plant, Cinema Project,Clamp Shelf, Compressor, Grane, Dorrick, Diesel Engine, Doser, Dragling Drill Dumber, Excavator, Fork Lift Generator, Grader, Jack Hammer and Payment breaker Loader, Pump, Pile Driving,Scrapper, Screening Plant, Shoval, Tractor, Vibrator, Weight Batcher, Railway Guards, Repairer (Battery)
163	Operator
164	Operator (Tube-well)
165	Operator Pneumatic Tools, Operator (Fitter)
166	Ordinary Machanis
167	Painter
168	Painter (Selection Grade,Grade II and III, Class II, Assistant Lotter and Polisher, Polisher, Rough)
169	Painter Spray (Class II)
170	Persons working at Airlines counter (Airport)
171	Pest control
172	Pharmacist
173	Physiotherapist / Therapist
174	Pipe Fitter
175	Plasterer
176	Plasterer (Mason Grade II)
177	Plumber
178	Plumber (Selection Grade, Class II, Assistant Lotter and Polisher, Rough)
179	Plumber (Selection Grade, Class-II, Assistant Senior, Junior, Mistry Grade II)
180	Plumber-*cum*-Fitter
181	Plumbing Mistry
182	Polisher
183	Polisher (Floor)
184	Polisher (with spray) Grade II
185	Power and Pump House Operator
186	Power Shovel Operator
187	Pump Attendant only in Gypsum, Barytes and Rock Phosphates
188	Pump Driver
189	Pump Driver (Selection Grade), Grade II and III, Class II)
190	Pump Man Driver, Grinder in Mica Mines
191	Pump Operator/Driver
192	Pumpman (Assistant)
193	Pumpman Pump Driver (Selection Grade, P.E., Driver
194	Radiographer
195	Ratan Man
196	Record Keeper
197	Register Keeper

Sl. no.	SKILLED
198	Reinforcement-*cum*-mechanic, Mechanic and Plumber)
199	Rivet Cutter (Assistant)
200	Rivetter
201	Rivetter (Cutter)
202	Road Inspector Grade II, Railway Plate Layer
203	Road Roller Driver Grade II
204	Road Roller Grade II
205	Rod Bender
206	Sawyer
207	Sawyer (Selection Grade Class II) Serang
208	Security Guard (without arms)
209	Security Guard (without arms) and other cateogires by whatever name called which are of skilled nature
210	Senior Mechanic
211	Serangpile
212	Shapesman
213	Sharper/Slotter
214	Shift-incharge
215	Shovel Operator
216	Sirdhar Lathe Man
217	Skilled Mazdoor
218	Sprayer (Ashalt) Station Master
219	Sprayman
220	Sprayman (Roads)
221	Staff Nurse Grade 'B'
222	Stationery Engine Attendant, Generator Operator, Loading Foreman
223	Stone (Stone Class II, Brick Work, Stone work)
224	Stone Blasterer
225	Stone Chisler
226	Stone Chisler (Class II)
227	Stone Crusher Operator
228	Stone Cutter
229	Stone Cutter (Selection Grade, Grade II, Class II)
230	Store Attendant
231	Store clerk
232	Store Clerk (Matriculate Non-matriculate)
233	Store Issuer
234	Store Keeper
235	Store Keeper Grade I, Grade II, (Matriculate)
236	Sub-Overseer (Unqualified)
237	Super Foreman
238	Supervisor
239	Supervisory Fireman
240	Supervisory Mechanic
241	Surface Supervisor
242	Surveyor (Silt)

Sl. no.	SKILLED
243	Surveyors
244	Surveyors (Assistant)
245	Tailor
246	Tailor (Upholstry)
247	Tally Clerk
248	Tar man
249	Technical Asstt. / Scientific Asst.
250	Telephone Operator, Typist
251	Telex or Telephone Operator
252	Teller Clerk
253	Ticket Vendor (Metro)
254	Tile Flooring
255	Tiler (Selection Grade)
256	Tiler Class II
257	Timber Man/Timber Mistry Elect.
258	Time Keeper
259	Time Keeper (Matriculate Non-Matriculate)
260	Tin Smith (Selection Grade, Grade II and III, Class II) Tinker
261	Tin-Smith
262	Tool Keeper
263	Tracer
264	Tractor Driver
265	Tractor Operator, Tub Repairer, Lathe Mistry
266	Trades-Man
267	Trailors
268	Train Examiner
269	Transprayer
270	Turner
271	Turner/Miller
272	Typist and other categories by whatever name called which are of clerical nature
273	Tyre Vulcaniser
274	Upholsterer
275	Upholsterer (Grade II and III)
276	Valveman
277	Vehicle Driver
278	Wall (Floor, Roof)
279	Welder
280	Welder (Class II, Bridge work)
281	Welder gas
282	Well Sinker
283	White Washer
284	White Washer (Selection Grade, Class II)
285	White Washing and Colour Washing Man
286	Winding Engine Driver Grade - II
287	Wirelesss Operator Asstt. Foreman
288	Wireman (Grade II and III, Mechanic, Electrical)

Sl. no.	SKILLED
289	Wireman,
290	Wood Cutter
291	Wood Cutter Class II
292	Wood Cutter Section Grade
293	Work (Assistant)
294	Work Mistry
295	Work Munshi
296	Work Munshi (Subordinate)
297	Work Sakar

Sl. no.	HIGHLY SKILLED
1	Accountant
2	Airconditioning Grade I/Class I, Mistry Grade I
3	Armature Winder Grade I
4	Artificier Class I
5	Blacksmith Class I
6	Blacksmith Grade I and Class I
7	Boilerman Foreman Grade I
8	Boilerman Grade I
9	Brick Layer class I
10	Cable Joiner Grade I
11	Carpenter grade I and Class I
12	Celo Cutter and Decorator
13	Chargeman Class I
14	Charper/Sletter Grade I
15	Checker (Sr.) Driver Lorry Grade I
16	Clamp Shell Grade I
17	Compounder
18	Compressor Grade I
19	Crane Grade I
20	Diesel Engine Grade I
21	Dozer Grade I
22	Dragline Grade I
23	Drill Grade I
24	Drill Operator other than Jack Hammer
25	Dumper Grade I
26	Electrical Supervisor with Competency Certificate
27	Excavator Grade I
28	Fitter (Grade I, Class I)
29	Foreman (Assistant) Line Man Grade I Mason (Skilled Grade I, Class I) Mast Rig
30	Fork Lift Grade I
31	Generator Grade I
32	Grader Grade I
33	Grinder (Tool) Grade I
34	Hand Class I
35	Head Electrician

Sl. no.	HIGHLY SKILLED
36	Head Mechanic
37	Incharge of Watch and Ward
38	Leader Grade I
39	Machine
40	Machine Tool Mechanic
41	Mason Class I
42	Mechanic (Diesel Grade I and Road Roller Grade I)
43	Mechanic (Senior)
44	Mechanic Class I and Class II
45	Mechanical/Plant Foreman
46	Mining Supervisor
47	Mistry (Airconditioning Grade I)
48	Mistry Grade I
49	Motor Lorry Grade I
50	Motor Vehicle Class I and Diesel Engine Grade I
51	Operator (Batching Plant Grade I)
52	Operator (Heavy Earth Moving Shovel and Bulldozer)
53	Overseer (Senior and Junior)
54	Painter (Grade I, Class I, Spray) Plasterer (Mason) Class I
55	Pile Driving Grade I
56	Pipe Class I (Head)
57	Plumber (Head, class I)
58	Polisher (with spray Grade I)
59	Pump Class Electrician Grade I and Class I/ Grade I
60	Pump Grade
61	Pump Grade I
62	Qualified and Experienced Welder
63	Rigger Grade I
64	Rigger Grade II
65	Road Inspector Grade I
66	Road Roller Grade I
67	Sawyer Class I
68	Scrapper Grade I
69	Screening Plant Grade I
70	Security Guard (Armed)
71	Security Guard (with Arms)and other categories by whatever name called which are of Highly- skilled nature
72	Shift Incharge
73	Shovel and Dragline
74	Shovel and Dragline Tractor Grade I
75	Shovel Grade I
76	Staff Nurse with Diploma
77	Steno with 7 years of service
78	Stone Chisler Class I
79	Stone Cutter Class I
80	Stone Mason Class I

Sl. no.	HIGHLY SKILLED
81	Store Incharge
82	Sub-Overseer (Qualified)
83	Supervisor
84	Surveyor
85	Tiler Class I
86	Tinsmith Grade I and Class I
87	Tractor Grade I
88	Tradesman Class I
89	Turner/Miller Grade I
90	Tyre vulcanser Grade I
91	Underground Shift Boss
92	Upholsterer Grade I
93	Varnisher Class I
94	Vibrator Grade I
95	Vocational Training Instructor/Teacher
96	Welder (Gas) Class I
97	Welder-*cum*-Fitter and Air Conditioning Mechanic
98	White Washer Class I
99	Winding Engine Driver
100	Wireman Grade I, Class I
101	Wood Cutter Class I
102	Work (Assistant) Grade I
103	Mast Rig
104	Housekeeping Supervisor
105	Cash/ ATM custodian
106	Cashvan armed security guard

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 459 राजपत्र–2026–(1130)–599 प्रतियाँ (डीटी0पी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 3 सा0 श्रम–2026–(1131)–600 प्रतियाँ (डीटी0पी0/आफसेट)।

459 RPH 2026 (Shram Anubhag-3) data 1e